राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६० का २३वां दिवस [संख्या १६

मंगलवार, १३ सितम्बर, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, नियुक्ति, शिक्षा, पुनर्वास, सामान्य प्रशासन, सिंचाई पंचायत, समाज कल्याण एवं खनिज-विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

श्री रामकरणसिंह : प्रश्न संख्या ५०९।

कई माननीय सदस्य : प्रश्न सं० ५०९ तो लिस्ट में ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : एक सप्लीमेंट्री लिस्ट थी जिसमें यह शोर्ट नोटिस क्वेश्चन था। यह सार्वजनिक निर्माण मंत्री का है।

डाबलाकोट-चानसूर की सड़क की मरम्मत सम्बन्धी कार्यवाही

५०९ (बी). **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या सरकार को विदित है कि डाबलाकोट-चानसूर सड़क कट गई है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि इस ६ मील के टुकड़े को ठीक करने के लिए गैंग नियुक्त है ?

(ग) यदि हां, तो क्या पिछले तीन मास में उन्होंने इस सड़के के टुकड़े पर काम किया है ?

(घ) क्या यह भी सही है कि इस गैंग को वहां के अधिकारी अपनी मर्जी से चाहे जिस तरह काम में लेते हैं ?

(ङ) क्या सरकार इस ६ मील के टुकड़े को विशेष ध्यान देकर एक दफा

Page No.2

(श्री रामकरणसिंह)

अच्छी हालत में करने का विचार रखती है ताकि डाक आदि के लाने-ले जाने में देरी न हो ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जी हां : कोटपुतली-डाबला रोड वर्षा में कहीं २ से कट गई थी जो ठीक कर दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां, आवश्यकतानुसार।

(ङ) प्रस्तावित तृतीय पंचवर्षीय सड़क योजना में यह सड़क विचाराधीन है।

श्री रामकरणसिंह : यह जो आपने पहले जवाब दिया कि सड़क कट गई थी और उसके बाद कहा, 'जी हां।' तो मैं कल ही वहां से आ रहा हूं, कल तक तो ठीक नहीं हुई है, वहां पर किसी प्रकार का काम नहीं हुआ है। जिस समय वहां पर वर्षा हुई २७, २८, २९, व ३० तारीख को तो सड़क कट गई थी, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, मैं वहां से कल सुबह ९ बजे आया हूँ।

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी जानकारी मैं करके बता दूंगा। मेरे पास जो सूचना है वह यह है कि वहां जो गैंग है वह रिपेयर करती है।

श्री सूरजमल (फलोदी-मु०) : क्या आपने पहले जानकारी नहीं की थी।

श्री हरिश्चन्द्र : जानकारी करके ही मैं बोल रहा हूं।

श्री रामकरणसिंह : (घ) का जवाब नहीं सुना गया।

श्री हरिश्चन्द्र : 'जी हां,' मैंने कहा।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि इस गैंग को वहां के अधिकारी चाहे जिस तरह अपनी मर्जी से काम में लेते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने 'जी हां' कहा है।

श्री रामकरणसिंह : जब वहां के अधिकारी अपनी मर्जी से काम में लेते हैं, तो आपने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया ?

श्री हरिश्चन्द्र : एक्शन लेने का प्रश्न नहीं है। जहां पर भी सड़क टूटी हो वहां वे भेज देते हैं, जब दूसरी जगह टूट जाती है तो वहां पर भेज देते हैं।

श्री रामकरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां पर गैंग को अपने मनमाने ढंग से काम में लेते हैं, अपने निजी कामों में लेते हैं और वहां पर मैनेजर और युनियन जो है उन्होंने इसके लिए एप्लीकेशन भी दी। उस एप्लीकेशन को आपके ओवरसियर अपने हाथ में लेकर गए और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बारे में भी आपके उच्च अधिकारियों को एप्लीकेशन दी थी।

श्री हरिश्चन्द्र : उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

Page No.3

श्री रामचरणसिंह : क्या यह सही है कि कोई दरख्वास्त फाड़ने के बारे की एप्लीकेशन आपके पास पहुँचाई गई है।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास नहीं आई।

प्रश्न संख्या ५१०

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर से लूणकरणसर, नापासर तथा पूगल तक सड़क का निर्माण

५११. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) बीकानेर से लूणकरणसर तथा नापासर व पूगल की सड़क का कार्य पूरा हुआ या नहीं? यदि नहीं हुआ तो क्यों तथा यह कार्य कब तक पूरा होगा?

(ख) नोखा से सुजानगढ़ जाने वाली सड़क कहां २ पक्की है व कहां कहां कच्ची है?

(ग) कच्ची सड़क को पक्की बनाने की क्या योजना है।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) बीकानेर से लूणकरणसर, बीकानेर से डूंगरगढ़ सड़क का कार्य चालू है; पूगल को सड़क द्वारा मिलाने का कार्य अभी किसी योजना में स्वीकृत नहीं हुआ है। दोनों सड़कों का कार्य योजनानुसार चालू है। आशा है, दोनों भाग वर्ष १९६१ के अन्त तक पूर्ण हो जावेंगे।

(ख) सारा भाग पक्का है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि बीकानेर से लूणकरणसर तक की सड़क का कार्य सन् ५९ के मार्च तक खत्म हो जाना चाहिए था?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो यह है कि इस सड़क का कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया गया था लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है जब कि मार्च ५९ तक काम पूरा हो जाना चाहिए था?

श्री हरिश्चन्द्र : जो ओरीजिनल कॉन्ट्रैक्टर था उससे तो कॉन्ट्रैक्ट बन्द कर दिया गया था, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर नथमल मेहता को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा कि बीकानेर से डूंगरगढ़ तक की सड़क का काम सन् ६१ तक खत्म हो जायेगा, यह सूचना आप किस आधार पर दे रहे हैं जब कि उसका काम ही प्रारम्भ नहीं हुआ? बीकानेर से नापासर तक का काम है और जब काम प्रारम्भ ही नहीं हुआ तो सन् ६१ तक पूरा कैसे हो जायगा।

श्री हरिश्चन्द्र : जो फेज़ प्रोग्राम है सेकन्ड फाइव इयर प्लान का, उसके अनुसार १६ मील का काम पूरा हो जावेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या आप बीकानेर से नापासर तक की १६ मील की सड़क के बारे में कह रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री किशनाराम (रतनगढ़): (अश्रव्य)

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्य): He is not audible, Sir.

श्री हरिश्चन्द्र : I am afraid, I am not hearing anything.

श्री मुरलीधर व्यास : उनका कहने का मतलब यह है कि बीकानेर से सुजानगढ़ तक जो सड़क पक्की है तो वह पक्की किस तरह से है ? पक्की का मतलब तो है कि या तो मेटल रोड हो या उस पर डामर हो जाय, लेकिन किसी तरह की चीज़ नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : पक्की का मतलब मेटल से ही है।

श्री मुरलीधर व्यास : वह तो बिल्कुल खराब हालत में पड़ी हुई है।

श्री हरिश्चन्द्र : आप नोखा-सुजानगढ़ रोड के बारे में फरमा रहे हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : जी हां।

श्री हरिश्चन्द्र : उसकी पोज़ीशन यह है कि नोखा की तरफ जो ६ मील का हिस्सा है वहां तो डामर हो गया है और २६ मील सुजानगढ़ की तरफ का बाकी का पोर्शन है उसमें से १२ मील के लिए तो टेंडर हो गया है, ६ मील का टेंडर आना बाकी है। १२ और ६ मिल कर २१ मील हो जायेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : यह काम कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : टेंडर आ रहे हैं, जल्दी हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

सारनेश्वरजी देवस्थान बोर्ड तथा सिरोही देवस्थान बोर्ड

५१२. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) सिरोही डिस्ट्रिक्ट के सारनेश्वर देवस्थान बोर्ड के कौन २ सदस्य हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या सरकार के ऐसे नियम हैं कि जिस मेम्बर में बकाया देवस्थान की रकम हो वह उस बोर्ड का मेम्बर नहीं बन सकता है ?

(ग) सिरोही देवस्थान बोर्ड व सारनेश्वरजी देवस्थान बोर्ड के किन २ ट्रस्टियों से देवस्थान की रकम कितनी २ और कब से बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

देवस्थान मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) सिरोही जिले में सारनेश्वरजी देवस्थान बोर्ड की कोई संस्था नहीं है। सिरोही में देवस्थान बोर्ड, सिरोही नाम की संस्था अवश्य है जिसके अन्तर्गत श्री सार-

Page No.5

(श्री दामोदरलाल व्यास)

नेश्वरजी का भी इन्तजाम है। इस बोर्ड के निम्नलिखित सदस्य हैं:-

१. हर हाइनेस राजमाता साहेबा, सिरोही।

२. हिज हाइनेस महाराज श्री अभयसिंहजी, सिरोही।

३. श्री गोकुल भाई दौलतराम भट्ट

४. ठाकुर श्री बलवन्तसिंह पार्डीव

(२) जी नहीं।

(३) यह कहा जाता है कि श्री सारनेश्वरजी का बकाया हिज़ हाइनेस में पुराना है जिसे प्राइवेट सेक्रेटरी हिज़ हाइनेस, खारजुल मियाद बताते हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : जब पुराने इनके अन्दर बकाया है तो ये बोर्ड के मेम्बर कैसे बने ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बोर्ड सिरोही स्टेट ने कॉन्स्टीट्यूट किया था और उनको पूरा अधिकार था कि वे जिसको चाहें मेम्बर बनावें। इसमें कोई वैधानिक आपत्ति नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : जो बकाया है उसके लिए सरकार ने क्या किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार के लिए इसमें करने की कोई बात नहीं है। जो कर्ज खारजुल मियाद है उनको बेरू-मियाद नहीं कर सकते।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सीटी) : जो बोर्ड के सदस्य हैं वे तो स्टेट के समय के हैं लेकिन अब तो बात दूसरी है, नए कानूनों के अनुसार सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपसे कह चुका हूं कि इस बोर्ड के मामले में दखल देने का वैधानिक अधिकार सरकार को नहीं है

प्रश्न संख्या ५१३

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया।

(अनुपस्थित)

करकेड़ी (किशनगढ़) सड़क निर्माण

५१४. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) किशनगढ़ सब डिविजन में करकेड़ी रोड का काम चालू करने के आदेश कब हुए और अब तक क्या कार्य हुआ?

(ख) सरकार इस कार्य को जल्द से जल्द कब तक सम्पूर्ण कराने का इरादा रखती है ?

सर्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): (क) जनवरी ६० में पुनः सर्वे किया गया तथा एस्टीमेट बनाये गये और टेन्डर मांगे गए हैं।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : प्रथम मंजूरी कब हुई थी ?

Page No.6

श्री हरिश्चन्द्र : इस सड़क विषय में पहले ग्रेवल रोड की स्वीकृति हुई थी जो १ लाख, २० हजार रु० की थी। उसके बाद जब केबिनेट की मीटिंग हुई उसमें इसको अप-ग्रेड करके मेटल रोड बनाने का निर्णय लिया गया और इसके लिये ३ लाख रुपयों की स्वीकृति हुई। इसके लिये टेन्डर मांगे गये हैं। मैं आशा करता हूं कि तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में यह कम्पलीट हो जायगी।

प्रश्न संख्या ५१५

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

राजस्थान जन सेवा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्षों की राज्य सेवा में पुनर्नियुक्तियां

५१६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि संविधान के आर्टिकल ३१९ के अनुसार राज्य के जन सेवा आयोग के अध्यक्ष को सरकार राज्य सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं कर सकती ?

(ख) यदि हां, तो राजस्थान जन सेवा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मदनमोहन वर्मा एवं श्री देवीशंकर तिवाड़ी की क्रमशः चैयरमैन, हायर सेकेन्डरी बोर्ड तथा अध्यक्ष, अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के पद पर राज्य सरकार ने किस प्रकार से नियुक्तियां की हैं ?

(ग) क्या सरकार संविधान के प्रतिकूल की गई इन नियुक्तियां को रद्द करते हुए उपरोक्त अध्यक्षों को इन पदों से तुरन्त हटाये जाने की आज्ञा प्रदान करेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी हां।

(ख) जी हां। यह नियुक्ति संविधान की उपरोक्त धारा ३१९ के विरुद्ध नहीं है। श्री देवीशंकरजी तिवारी राज्य सेवा में नहीं हैं और इस पद पर अवैतनिक कार्य कर रहे हैं। हायर सेकेन्ड्री बोर्ड के श्री मदनमोहन वर्मा वैतनिक चेयरमैन हैं, पर हायर सेकेन्ड्री बोर्ड राज्य सेवा के अन्तर्गत नहीं आता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : उनको किसी प्रकार से पद से लाभ नहीं मिल रहा है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किनके लिये फरमा रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : दोनों के लिये ही।

श्री दामोदरलाल व्यास : हायर सेकेन्डरी अलग बोर्ड है, उसकी सर्विस सरकार की सर्विस नहीं मानी जाती है। अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के चेयरमैन श्री देवीशंकर तिवारी को उस पद पर काम करने के लिये कुछ नहीं मिल रहा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सच है कि श्री देवीशंकरजी तिवारी को अलाउन्स वगैरह मिल रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

Page No.7

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह ख्याल करती है कि दोनों पद ऑफिस ऑफ प्रोफिट नहीं हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने एक पद के लिये कहा कि this is not a Govt. Department so far as Higher Secondary Education Board is concerned. Urban Improvement Board is certainly a Govt. Department. वहां से देवीशंकरजी को कुछ नहीं मिल रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सच है कि हायर सेकेन्डरी बोर्ड के चेयरमैन पद के लिये सरकार ने श्री मदनमोहन वर्मा को लिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने प्रश्न के उत्तर में 'जी हां' कहा है ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आपने कहा that it is a Govt. Department. Under which Article do you make an exception where one can serve a Government Department honorarily ? Under Article 319 it is laid down that one cannot be taken in the State Service or Government Service in any Department honorary.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not a Government Service. The Hon'ble member should know that this Urban Improvement Board is a statutory body, and Shri Devi Shankar Tiwari is working as Chairman of that boby without any remuneration.

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Minister has stated in the House just now that the Urban Improvement Board is a State Department in which he is serving honorary. I want to know as to which Article makes the exception that a member or a Chairman of the State Public Service Commission can serve the State Department honorary?

श्री दामोदरलाल व्यास : What I mean to say is that like the Municipality the Urban Improvement Board is a Government Department. It is a statutory body under Urban Improvement Board Act, and asa Chairman there is no provision to draw any allowance or any salary.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड का चेयरमैन पब्लिक सर्वेन्ट की डेफिनिशन में आता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आ सकता है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या पब्लिक सर्विस कमीशन पब्लिक सर्विस में नहीं आता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पब्लिक सर्विस में तो बहुत से लोग आते हैं । म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर्स और चेयरमैन भी पब्लिक सर्विस में आते हैं, फिर भी उनका पद ऑफिस ऑफ प्रोफिट में नहीं माना जाता है ।

श्री श्रीभानसिंह : प्रश्न यह है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो ऐसा कौनसा आर्टिकल है जो यह लेडाउन करता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का भूतपूर्व चेयरमैन सर्विस कर सकता है ?

Page No.8

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने साथ साथ यह भी कहा है, that it is a Statutory body under the Urban Improvement Board Act. Please don't put only one phase of the point and exclude the other. Both phases should be taken together. It is a Government body under the Urban Improvement Act.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि जयपुर अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड, अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत स्थापित नहीं हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत स्थापित नहीं हुआ है. इसके अलग रूल्स हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि यह बोर्ड अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत स्थापित नहीं हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह नहीं हुआ है, होने वाला है।

श्री भैरोंसिंह : जवाब यह दिया गया है कि जयपुर अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड स्टेचुटेरी बोडी है, ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत स्थापित हुआ है; यह गलत है।

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already replied it.

श्री श्रीभानसिंह : The question is this that the Urban Improvement Board is established under the rules not framed by this Legislature, and hence it is not a statutory body. It is a body directly under the Government, and it comes within the definition of a Government Department. Therefore, it is necessary for the Hon'ble Minister to explain in the House as to which is the exceptional clause that has been applied in this case?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already explained. The matter has been thoroughly examined in the Law Department and they have given their opinion that he is not holding any office of profit. He is not, therefore, a Government servant.

श्री श्रीभानसिंह : If anybody serves a Government Department honorary, will he not be called a Government employee Or will he be free from all the liabilities of a Government servant ?

श्री दामोदरलाल व्यास : This is a matter of opinion. You can hold that opinion.

श्री श्रीभानसिंह : This is not a matter of opinion, but a thing established under rules, and he cannot be an exception under State Law.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): क्या स्टेट सर्विस में किसी को ऑनरेरी रखा जा सकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not a State Service.

श्री श्रीभानसिंह : How do you

Page No.9

(श्री श्रीभानसिंह)

establ sh the independence of Urban Improvement Board ?

श्री दामोदरलाल व्यास : As a matter of fact, I have already stated it is not an office of profit. It is a matter of opinion. The Government is convinced and the Government has taken a decision.

श्री श्रीभानसिंह : The Government is wrongly convinced and therefore, the Government is responsible for all the wrong decisions. He cannot be an exception to the rules. The Board is establ shed wnder the rules framed by the Executive Body and not by the Legislative body.

श्री दामोदरलाल व्यास : This is a matter of opinion. You might hold the opinion that this is an office of profit.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि श्री देवीशंकर तिवारी को ६०० रु० माहवार का अलाउन्स दिये जाने के सम्बन्ध में कागजात मुख्य सचिव के सामने प्रस्तुत हुए हैं और उनका नोट यह है कि क्योंकि श्री तिवारी को कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन होने के नाते अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता इसलिए कागजात रिजेक्ट कर दिये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That matter is not within my knowledge. I want notice for this purpose.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि श्री देवीशंकर तिवारी ने कभी कोई अलाउन्स नहीं लिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी जानकारी में तो कभी नहीं लिया ।

श्री भैरोंसिंह : क्या उन्होंने अलाउन्स लिया और वापिस जमा कराया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already said that it is not within my knowledge.

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : Is he responsible to any work so far as his duties are concerned ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Certainly he is responsible.

मेजर श्री फतेहसिंह : What will be the position, if he does mistake, and you do not consider him as a public servant ? This is an important point, Sir. Suppose, Mr. Tewari as an honorary adviser or in his honorary capacity he does any mistake, what action will the Government take against him ?

श्री दामोदरलाल व्यास : There is a definite law in this regard.

श्री अध्यक्ष : I think, the Hon'ble Minister has stated that there is law.

Page No.10

श्री श्रीभानसिंह् : There is no law. Either the Hon'ble Minister should explain under which law the Urban Improvement Board is functioning ? The rules cannot be taken as law.

श्री दामोदरलाल व्यास : I am not going to say what he wants me to say.

श्री श्रीभानसिंह् : I will make him to say what is under the Constitution.

श्री दामोदरलाल व्यास : You may consider me as incorrect but the House is not going to consider it.

श्री श्रीभानसिंह् : Everybody as a matter of fact feels like that.

श्री दामोदरलाल व्यास : Let the House...

(शोरगुल)

श्री शंकरलाल (रायपुर) : इस मामले में लॉ डिपार्टमेंट से जांच करवा कर देख लें।

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच करवाली है।

श्री भैरोंसिंह : लॉ डिपार्टमेंट ने खिलाफ ओपीनियन दी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बिल्कुल गलत है।

श्री भैरोंसिंह : यह बिल्कुल सही है। लॉ डिपार्टमेंट ने लिखा है कि नियुक्ति नहीं कर सकते, ५०० रु० का अलाउन्स भी नहीं दे सकते। श्री मदनमोहनजी के बारे में लॉ डिपार्टमेंट ने लिखा कि नियुक्ति नहीं कर सकते।

श्री श्रीभानसिंह् : To prove your contention and your reply, is the Hon'ble Minister prepared to lay all the files regarding his appointment in the Department before the House ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not necessary. The information which I give is supposed to be correct.

श्री श्रीभानसिंह् : Are you prepared to take the consequences of the House by showing any member of this House regarding his appointment and drawing the honorarium ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not necessary for me to show the files to any member. If the Hon'ble Speaker wants he can go through them.

श्री श्रीभानसिंह् : The Hon'ble Minister cannot say like that, but can request and submit the files, if he wants, before the Hon'ble Speaker.

श्री दामोदरलाल व्यास : There is a a procedure. If the Hon'ble member thinks that my replies are not correct, let him table a motion of privilege; then the files will be shown to the Privileges Committee.

Page No.11

श्री श्रीमानसिंह : Just now the Hon'ble Minister has admitted that a privilege motion can be tabled for the incorrect reply. Will the Hon'ble Speaker come to his indulgence when the Hon'ble member has agreed that the motion can be tabled, it would not be rejected?

श्री अध्यक्ष : I am not bound by his agreement in case a privilege motion is tabled on a reply of the question.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन यह आता है कि क्वेश्चन के रिप्लाई में गलत आन्सर दे दिया है, उसके लिए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं लाया जा सकता है ? मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी ने कह दिया है, जो उत्तर दिया है और इस सम्बन्ध में यह बात कही है कि प्रिविलेज मोशन मूव कर दें। मैं समझता हूं कि मुझे यह बाध्य नहीं करेगा कि क्वेश्चन के रिप्लाई में गलत बात कही है, उसके लिए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन न करूं।

श्री अध्यक्ष : फाइल में किस स्टेज पर किस डिपार्टमेंट ने क्या कहा है, that matter cannot be discussed here. और लॉ डिपार्टमेंट ने एक राय दी है और गवर्नमेंट ने किसी लेवल पर डिसएग्री किया हो even then the Government is responsible for all the action and all the orders as passed by them, whatever the advice of Law Department or of other Government officers might have been चाहे सही हो या गलत हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : But he is not disclosing the full facts.

श्री अध्यक्ष : It is not necessary to disclose.

श्री श्रीमानसिंह : यह कॉन्स्टीट्यूशनल इश्यू है। रूल्स के लिए माननीय मंत्री ने कहा है, a law should be passed by the Legislature, and then a body can become a statutory body, but the Urban Improvement Board is a Statutory body under the rules framed by the Government. I cannot understand and make distinction between an executive order passed by the executive body and a law passed by the Legislative.

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य शायद किसी बात का गलत इन्टरप्रिटेशन कर रहे हैं। The Urban Improvement Board was established in the time of Jaipur State. उस वक्त जो रूल्स थे they have the force of law. Even after coming into force of the Constitution, these rules have the force of law unless they are repealed by another law. This is the legal position. Many of the Hon'ble members might know it.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री भैरोंसिंह।

Page No.12

श्री चांदमल जैन, स्टेनो, की रेवेन्यू ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, टोंक के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्ति

४१७. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि श्री चांदमल-जैन जो रेवेन्यू बोर्ड में स्टेनो थे, को रेवेन्यू ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, टोंक का ए. ओ. नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(ख) श्री चांदमल स्टेनो किस पद पर किस वेतन अथवा ग्रेड में कार्य कर रहे थे तथा अब किस वेतन ग्रेड अथवा अलाउन्स पर कार्य कर रहे हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि ए.ओ. का पद तहसीलदार की ग्रेड का है ? यदि हां, तो इनकी यहां पर किस प्रकार नियुक्ति की गई ?

(घ) एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिये क्या क्या योग्यता निर्धारित है ? श्री चांदमल की इस योग्यता की तुलना में क्या योग्यता है ?

(ङ) क्या यह सही है कि श्री चांदमल का सवाई माधोपुर से शिकायतों पर स्थानान्तरण हुआ था ? यदि हां, तो उन शिकायतों की यदि जांच हुई, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी हां, दिनांक २४.१०.५६ से ;

(ख) श्री चांदमल जैन स्टेनो, के पद पर, कार्य कर रहे थे ; उनका वेतन १२०-२५० की श्रृंखला में था व रुपये १२०)६० पा रहे थे तथा अब वे ११०--२२५ की श्रृंखला में हैं व रुपये २५ अलाउंस प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) कोई योग्यता निर्धारित नहीं है।

(ङ) जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह बतायेंगे कि एक स्टेनो की योग्यता के व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर किस बेसिस पर बना दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उस वक्त बनाना मुनासिब समझा।

श्री भैरोंसिंह : किस तरह मुनासिब समझा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : चेअरमैन, रेवेन्यू बोर्ड के इन्चार्ज हैं और उस पद के लिए व्यक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने योग्यता के आधार पर मुनासिब समझा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद के लिए जिस प्रकार की योग्यता की आवश्यकता थी, उस प्रकार की योग्यता स्टेनो में मौजूद थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह समझना चाहिए जब कि चेयरमैन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उसको अपोइन्ट किया।

Page No.13

श्री भैरोंसिंह : समझना चाहिए ही, ऐसा मैं समझूं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा, समझना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप बता सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की क्या योग्यता निर्धारित है ?

श्री दामोदरलाल व्यास कोई योग्यता निर्धारित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन किसी अयोग्य व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना सकते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : योग्य समझ कर ही बनाया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या योग्यता के आधार पर यह अपाइन्टमेंट किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कह रहा हूं कि योग्यता निर्धारित नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि एक स्टेनो की योग्यता के व्यक्ति का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर अपोइन्टमेंट किया जा सकता है, जो कि नायब तहसीलदार, तहसीलदार की पोस्ट के इक्विवेलेंट पोस्ट थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आप समझ सकते हैं, समझने की पूरी स्वतंत्रता है। वैसे उस वक्त इस पद की योग्यता को देखते हुए ही इनको मुकर्रर कर दिया। बाद में हैड अवेलेबल हुआ तो उसे हटा दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि बिना सरकारी इजाजत लिये रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्ति नहीं कर सकता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, लेकिन रूल्स के रिलेक्सेशन का अधिकार हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट के हाथ में है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार ने रूल का रिलेक्सेशन नहीं किया और बिना रूल का रिलेक्सेशन किये चेयरमैन ने जो कार्यवाही की वह अनियमित थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गवर्नमेंट को रूल का रिलेक्सेशन करने की आवश्यकता नहीं थी, चेयरमैन खुद कर सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि रूल के रिलेक्सेशन के बारे में गवर्नमेंट की इजाजत लेनी चाहिए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे ख्याल से चेयरमैन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए आवश्यक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या रूल में रिलेक्सेशन किया है चेयरमैन ने ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रिलेक्सेशन किया है, तब ही तो अपोइन्टमेंट किया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस प्रकार के रिलेक्सेशन का कोई नोटीफिकेशन नहीं हुआ है ?

Page No.14

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नॉन गजेटेड है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस प्रकार का ऑर्डर इश्यू नहीं किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अपॉइन्टमेंट का ऑर्डर इश्यू हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : रिलेक्सेशन का ऑर्डर ?

श्री अध्यक्ष : अपॉइन्टमेंट कर दिया तो रिलेक्सेशन हो गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें इम्प्लाइड नहीं माना जायगा ?

श्री भैरोंसिंह : रूल्स के रिलेक्सेशन का ऑर्डर करना पड़ेगा, बाद में फिर रिलेक्सेशन होगा।

श्री अध्यक्ष : Are there any hard and fast rules ?

श्री दामोदरलाल व्यास : As a matter of fact, he has been appointed as an Administrative Officer of a training school. No qualification was prescribed. No body was found suitable to administer the post, otherwise the Principal. The principal is already there. He is a junior officer of a Naib Tehsildar's grade to look after the facilities and conveniences of the Tehsildars and Naib-Tehsildars who come there for training. Under the circumstances he appointed his Steno because he was drawing the same salary and grade is also the same as that of a Naib Tehsildar. As soon as a senior man from Naib-Tehsildars, si avai1able we would immediately appoint a Naib Tehsildar on that post and would remove him.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया, वह चेयरमैन की जाति का है और दूर का रिश्तेदार है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री दामोदरलाल व्यास : I refuse to accept this allegation against the Chairman.

श्री भैरोंसिंह : रूल्स का वायोलेशन होकर जो नियुक्ति की गई, वह इस कारण की गई।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास, ५१८।

उच्च शिक्षाध्यक्ष कार्यालय, बीकानेर

५१८. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि राजस्थान बनते समय यह निश्चय किया गया था कि नये राज्य के प्रधान शहरों में राज्य के प्रधान कार्यालयों में से एक न एक अवश्य रखा जावेगा ?

(श्री मुरलीधर व्यास)

(ख) क्या इसी आधार पर बीकानेर में शिक्षाध्यक्ष का सम्पूर्ण कार्यालय रखा गया था ?

(ग) क्या यह सत्य है कि अब बीकानेर से उच्च शिक्षाध्यक्ष का विभाग हटाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जब राजस्थान बना तब से पहले वर्ष तक शिक्षा विभाग का जो कार्यालय था उसे नहीं हटाया जा रहा है, केवल जो अतिरिक्त युनिवर्सिटी के कार्य के लिए जो पहले जयपुर में ही सचिवालय कार्य करता था उसका कार्यालय यहीं रखे जाने का निर्णय किया गया है क्योंकि डाइरेक्टर को विश्वविद्यालय में बहुत सम्पर्क में आना-जाना पड़ता है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके पहले यह कार्यालय बीकानेर में कितने समय तक रहा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन का कार्यालय, जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है, दो भागों में विभाजित किया गया है: डाइरेक्टर, सेकन्डरी एजुकेशन, डाइरेक्टर ऑफ युनिवर्सिटी एजुकेशन। डाइरेक्टर, युनिवर्सिटी एजुकेशन का ऑफिस है, उसको शिफ्ट करने का ऑर्डर हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास : उसके पहले यह डाइरेक्टर युनिवर्सिटी एजुकेशन का काम करते थे, वह कब तक करते रहे ?

श्री अध्यक्ष : हाल ही...

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख और संवत् मुझे याद नहीं। डाइरेक्टर का ऑफिस जो कार्य करता रहा वह करता रहेगा, केवल युनिवर्सिटी एजुकेशन के डाइरेक्टर का ऑफिस जो है, वह तब्दील किया जा रहा है, उसकी आवश्यकता है और बहुत जरूरी है और सरकार ने बहुत सोच-समझ कर निर्णय लिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार से वह कार्यालय यहां लाने से कितनी धनराशि की बचत होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हजारों रुपये सरकार के इस बात में खर्च होते हैं कि डाइरेक्टर को युनिवर्सिटी के काम से बार बार आनाजाना पड़ता है, उसको बचाने के लिए यह किया जा रहा है।

प्रश्न संख्या ५१६

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

जस्थान में प्रथम श्रेणी के नगर

५२०. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No.16

(श्री मुरलीधर व्यास)

(१) केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुसार राजस्थान का कौनसा शहर प्रथम श्रेणी में आता है ?

(२) आबादी के अनुसार जयपुर नगर प्रथम श्रेणी का शहर हुआ या नहीं ? यदि हां, तो वहां के कर्मचारियों को प्रथम श्रेणी में आये नगरों में काम करने वाले कर्मचारियों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध क्यों नहीं हैं ।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) इस नीति के अनुसार राजस्थान का कोई भी शहर प्रथम श्रेणी में नहीं आता है ।

(२) भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमानित जयपुर शहर की आबादी १ जुन, सन् १९५९ को ४.४६ लाख थी अतः आबादी के अनुसार जयपुर शहर अभी प्रथम श्रेणी का नहीं हुआ । अतः तदनुसार सुविधाएं देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या केन्द्रीय सरकार ने जो बड़े शहरों की व्याख्या की है उसके आधार पर केन्द्रीय सरकार ने जयपुर को प्रथम श्रेणी का माना है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जवाब अर्ज कर दिया । मैं फिर अर्ज कर दूँ कि भारत सरकार ने जन-गणना की, उसके लिहाज़ से इसको नही माना है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ४.४६ लाख किस आधार पर कहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ४.४६ लाख की आबादी किस आधार पर बताई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : भारत सरकार ने कुछ अपने आधार बना रखे हैं इस बारे में और १९५१ की जो आबादी की सेन्सस है, उसके लिहाज़ से आबादी करीब तीन लाख होती है । इस लिहाज से भी उस श्रेणी में नहीं आता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

श्री नारायणलाल पटवारी (प्रतापगढ़) के विरुद्ध घूस के आरोप

४२१. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि श्री नारायणलाल पटवारी, तहसील प्रतापगढ़ के खिलाफ खयानत की शिकायत के कागजात तहसील में पेश हुए ? यदि हां, तो कब और कितने रुपयों की खयानत के ?

(ख) इस सम्बन्ध में पटवारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(ग) यह मामला पुलिस में क्यों नहीं दिया गया ?

(घ) खयानत शुदा रकम किसने और कब जमा कराई ? यदि नहीं जमा कराई तो उसका कौन देनदार है ?

Page No.17

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां। दिनांक १६-१०-१९५९ को रु० १०.३७ नये पैसे दिनांक ५-१२-५९ को ६०.६२ व ११-१२-५९ को २९६.३५ कुल नये पैसे ३६७.३४ नये पैसे।

(ख) पटवारी को मोअत्तिल किया गया है।

(ग) मामला पुलिस में दे दिया गया है।

(घ) कभी कोई रकम जमा नहीं हुई। रकम का देनदार पटवारी है। यदि वह दाखिल नहीं करेगा तो उसके जामिन से वसूल की जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : मामला पुलिस में कब दिया गया?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सवाल करने के बाद।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह ४ अप्रेल, १९६० को उप जिलाधीश, प्रतापगढ़ के पास भेजा गया पुलिस में पेश करने के लिए।

श्री भैरोंसिंह : पुलिस को कब दिया गया? पुलिस में देने के लिए तो भेज दिया लेकिन पुलिस में कब दिया गया?

श्री दामोदरलाल व्यास : I am sorry, २२-१२-१९५९ को पुलिस में दे दिया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल्स की भवन निर्माण योजना

५२२. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या किशनगढ़ शहर के लिए मिडिल स्कूल व प्राइमरी स्कूल की इमारत के लिए कोई रकम स्वीकृत हुई?

(ख) अगर हां, तो ये इमारतें कब तक बननी शुरू हो जावेंगी?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) इसी मास में।

बांसवाड़ा जिले के हाई स्कूल प्रधानाध्यापकों का शिष्ट मंडल

५२३. श्री मोगजी भाई (बांसवाडा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले के हाई स्कूल प्रधानाध्यापकों के एक शिष्ट मंडल ने जिले के समान हाई स्कूलों के निरीक्षण करने का कार्यक्रम सरकार को पेश किया था? यदि हां, तो कब? कार्यक्रम की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि उक्त शिष्ट-मंडल ने जिले में दौरा किया था तथा उसकी रिपोर्ट सरकार को दी है? यदि हां, तो इस रिपोर्ट में किन किन समस्याओं को सुलझाने के क्या क्या सुझाव पेश किये गये हैं?

Page No.18

(श्री मोगजी भाई)

(३) क्या यह सही है कि जिले की मिडल शालाओं के भवन निर्माण के संबन्ध में सरकार के पास कोई सुझाव पेश किये गये हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ग) जी हां, सुझाव पर उचित कार्यवाही की जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट संख्या १ देखिये)

श्री मोगजी भाई : आपने मेरे प्रश्न (१) के उत्तर में बताया, 'जी हां' । यह शिष्ट मंडल कितने प्रधानाध्यापकों का है और उसने कहां कहां दौरा किया, यह आपने नहीं बताया । इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जो सुझाव उन्होंने दिये उन पर सरकार ने क्या अमल किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर आप एक एक प्रश्न पूछें तो मैं उनका उत्तर स्पष्ट रूप से दे सकूं । आप एक साथ बहुत से प्रश्न पूछ रहे हैं ।

मैंने जैसे कहा कि बांसवाड़ा जिले के हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों ने जिले की समस्त हाई स्कूलें और हायर सेकेन्ड्री स्कूलों का साथ साथ निरीक्षण किया और यह प्रोग्राम सन् ६० में रखा है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): क्या उन्होंने जो सुझाव दिये उन पर सरकार ने अमल किया या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कह कि वे विचाराधीन हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : ऐसे सुझाव हैं कि मिडल स्कूल में पढ़ाने के लिये ट्रेन्ड टीचर्स चाहिये, मगर उनका अभी तक पालन नही हुआ, क्यों ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि कुछ तो सुझाव ऐसे हैं जिनका पालन जल्दी किया जा सकता है, कुछ को समय लग सकता है । सदन की मेज पर जो सजेशन्स रखे गये हैं उनको आप देखें तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे सुझावों का पालन किया गया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा मैंने देखा, जो सजेशन्स सदन की मेज पर रखे गये हैं उनमें कि मिडल क्लासेज़ के लिये ग्रेजुएट होने चाहिये ...

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां पर एवेलेबल हुए हैं वहां पर इसका प्रबन्ध किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

पूर्वी बंगाल के विस्थापित

५२५. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) परानिया, तहसील किशनगंज में पूर्वी बंगाल के कितने विस्थापितों को बसाया गया था तथा ये विस्थापित कब आये थे ?

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(ख) क्या उन सभी विस्थापितों को २।। एकड़ सिंचित तथा ५।। एकड़ असिंचित भूमि अलॉट कर दी गई है तथा उनके खाते बांध दी गई है ? यदि हां, तो कब ?

(ग) क्या इन सभी विस्थापितों को ५००) रु० बैलों के तथा १००) रु० गाय का दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(घ) क्या इन विस्थापितों की भूमि में सिंचाई के लिये नहरें बन चुकी हैं और क्या उन नहरों से पानी खेतों तक पहुँचता है ?

(ङ) क्या ये विस्थापित इन खेतों से एक भी फसल लेने में सफल हुए हैं ? यदि हां , तो कितने एकड़ में तथा कितने परिवार हैं ?

(च) क्या यह सही है कि इन विस्थापितों का डोल बन्द कर दिया गया है ? यदि हां , तो कब ?

(छ) परानिया बस्ती में इस समय कितने परिवार हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) परानिया कोलोनी, किशनगंज तहसील में पूर्वी पाकिस्तान के आये हुए ६२ कृषक व ३ व्यवसायी कुल ६५ विस्थापित परिवारों को बसाया गया था । ये विस्थापित परिवार दिसम्बर, सन् १९५८ से मई, सन् ५९ तक अलग अलग ब्रैचेज में आये थे ।

(ख) प्रत्येक विस्थापित कृषक परिवार को आगमन के साथ ही २।। एकड़ सिंचित भूमि अलॉट की गई थी किन्तु इन विस्थापित परिवारों ने इस भूमि में फसल लेने का कोई प्रयास नहीं किया । इनको दी जाने वाली ५।। एकड़ असिंचित भूमि को री-क्लेम किये जाने में भी ये अपना सहयोग नहीं दे सके । भूमि अभी खाते नहीं बांधी गई है ।

(ग) प्रत्येक विस्थापित कृषक परिवार को १००) रु० गाय खरीदने के लिये नकद रूप में तथा ५००)रु० का ऋण बैलों के रूप में दिया गया । गाय के लिये ऋण इनके आगमन के एक माह पश्चात् हो दे दिया गया तथा बैल इस खरीफ की फसल के ६ माह पूर्व ही खरीदवा दिये गये ।

(घ) विस्थापितों की सिंचित भूमि में सिंचाई के लिये कालीसोत बांध से नहरें निकली हैं जो बन कर तैयार हो चुकी हैं और इन नहरों से पानी खेतों तक पहुंचता है ।

(ङ) जी हां । विस्थापित कोलोनी परानिया के ३५ कुटुम्बों ने गत वर्ष १२१ बीघा भूमि काश्त की है ।

(च) इन विस्थापित परिवारों को पुनर्वास मंत्रालय की स्वीकृति के अनुसार इनके आगमन काल से लेकर माह खर्च मार्च, सन् १९६० तक लगातार निर्वाह भत्ता (Maintenance allowance)दिया जाता रहा है । यह भत्ता केवल ३ माह अप्रेल से जून ६० तक पुनर्वास मंत्रालय के निर्णय के अनुसार नहीं दिया गया तथा बाद में इस खरीफ फसल के समय अर्थात् जुलाई ६० से फिर दिया जा रहा है जो नवम्बर ६० तक दिया जावेगा । यह निर्वाह भत्ता (Mainten.

Page No.20

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ance allowance) इस उद्देश्य से बन्द किया गया था कि ये विस्थापित केवल इसी निर्वाह भत्ते पर ही आधारित न रह कर अन्य जीविका उपार्जन के कार्यों पर तत्पर हों और इसीलिये इनको इन्हीं की भूमि को कृषि योग्य (reclaim) किये जाने हेतु १॥ रुपये दैनिक भत्ते (daily wages) पर लगाया गया ताकि अपनी जीविका समुचित रूप से उपार्जित कर सकें।

(छ) परानियां कोलोनी में इस समय १५ कृषक व १ व्यवसायी परिवार हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : जिस समय बसाये गये उस समय ६५ परिवार बसाये गये और अब केवल २५ ही हैं तो बाकी परिवार क्यों छोड़ कर चले गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : क्यों छोड़ कर चले गये, यह तो उनसे पूछा जावे कि वे क्यों चले गये। मैं क्या कह सकता हूं कि वे क्यों छोड़ कर चले गये ?

श्री दयाकृष्ण विजय : आखिर सरकार ने उनको बसाने का ठेका लिया था और अगर वे छोड़ कर चले जाते हैं तो इसमें कुछ न कुछ संचालकों की गल्ती है....

श्री दामोदरलाल व्यास : वे कोई सरकार की कैद में तो थे नहीं, हर आदमी आजाद है। इसलिये कोई कहीं जाना चाहे जा आ सकता है। सरकार की तरफ से जो उनको सुविधाएं दी जानी चाहिये थीं और जो दी गई वह मैंने आपको अर्ज कर दिया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि २॥ एकड़ सिंचित भूमि उनसे साफ कराई गई और वहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं होने से वे चले गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बात गलत है। मैंने साफ बताया है कि कितनों को मेन्टीनेन्स एलाउन्स दिया गया और उनको गाय और बैलों के लिये रुपया दिया गया आदि। मैंने जो बताया है वह सही है और आप कहते हैं वह सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि वहां पर एक विस्थापित भूख के मारे मर गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बिल्कुल गलत है।

श्री भैरोंसिंह : यह बिल्कुल सही है। अगर माननीय मन्त्री चाहें तो जांच करा सकते हैं। यह बिल्कुल सही है। आपके कहने से गलत नहीं हो सकता।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके कहने से नहीं हो सकता।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : Such question cannot be put. If he wants some information, he can put question.

श्री भैरोंसिंह : आपने आरोप लगाया है कि मेरा कहना गलत है और वे कह रहे हैं वह सही है। मैं यह कहूंगा कि आपने जो जवाब दिया वह बिल्कुल गलत है और सही नहीं है।

Page No.21

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : On a point of order, Sir, that is no questiin.

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं निवेदन करूंगा कि विस्थापित ५८ में आये....

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मेरे उत्तर को जो मैंने कहा है अच्छी तरह से पढ़े या सुने। मैंने कहा कि ५८ में कोई प्रयास नहीं किया। आप हर प्रश्न को पूरा पढ़िये और समझने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और पूछना है। वहां के..

प्रश्न संख्या ५२५

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

सरदारशहर में अति वृष्टि से हुई हानि

५२६. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि इस वर्ष सरदारशहर में अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ ? यदि हां, तो कितना ?

(ख) क्या गत वर्ष भी इस प्रकार अति-वृष्टि से सारा बाजार डूब गया था ? यदि हां, तो उसको बचाने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया था ?

राजस्व मन्त्री(श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी हां, यह सही है। इस वर्ष सरदारशहर में अति वृष्टि होने के फलस्वरूप १,५३३ मकानों में से कुछ तो गिर गये व कुछ को बहुत क्षति हुई। अनुमान किया जाता है कि नुकसान १० लाख रुपयों के लगभग हुआ है।

(ख) पिछले वर्ष सरदारशहर में बज-रिये टेलीफोन शहर में पानी भर जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना आने पर तार द्वारा बीकानेर से सरकारी पम्पिंग सेट मंगाने के लिये लिखा गया परन्तु कोई पम्पिंग सेट हाथ न लगा। इस पर सहायक अभियन्ता, भवन व पथ निर्माण विभाग, चूरू को सरदारशहर भेजा गया और उसने सूचना दी कि पानी सूख गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार ने इसके लिये कोई स्थाई प्रबन्ध भी किया है ? गत वर्ष भी ऐसा हुआ, आपने सहायता दी। मगर अब क्या सरकार ने इसके लिये कोई स्थाई प्रबन्ध किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां। स्थाई प्रबन्ध के लिये यह मामला सरकार के विचाराधीन है और पी० डब्ल्यू० डी० इस पर विचार कर रही है। इसकी बाकायदा सर्वे होकर पीछे इस पर सुझाव करेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सर्किट हाउस, जोधपुर

५२७. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) :

(श्री भैरोंसिंह)

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(क) क्या यह सही है कि जोधपुर सर्किट हाउस का सन् ५६-५७ में फिज़ीकल वैरीफिकेशन हुआ था और उसमें कई प्रकार की कमियां पाई गई थीं। यदि हां, तो क्या क्या? कृपया फिज़ीकल वैरीफिकेशन रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या यह भी सही है कि इसके पश्चात् बैलेन्स एक नये रजिस्टर में दर्ज किया गया?

(ग) क्या यह सही है कि बैलेन्स के अगेन्स्ट पिछली कमियां दर्ज की गई? यदि हां, तो क्यों?

(घ) फिज़ीकल वैरीफिकेशन में जो कमियां पाई गई उनकी वसूली की क्या व्यवस्था हो रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां। कम अथवा अधिक पाये गये सामान की सूची मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी हां। इस वर्ष सभी पुराने रजिस्टर सभी सर्किट हाउसेज़ में बदले गये थे।

(ग) जी हां। कुछ मामलों में ऐसा पाया गया है। सम्बन्धित क्लर्क से इस विषय में पूछा गया है। सत्यापन द्वारा यह भी मालूम किया जा रहा है कि यह लेखा भूल से ही किया गया है अथवा किसी अन्य आधार पर?

(घ) इस सम्बन्ध में एक कमेटी बनाई गई है जिसकी रिपोर्ट अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखें)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह कमेटी कब बनाई गई?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कमेटी कमिश्नर, ट्रेज़री ऑफिसर, जोधपुर और इन्सपेक्टर ऑफ सर्किट हाउस की बनी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसी तारीख को बनी?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कमेटी रिपोर्ट कब देने वाली थी और यह कमेटी किसलिये बनाई गई थी?

श्री दामोदरलाल व्यास : ५७१.१२ नये पैसे का शोर्टेज था, उसके लिये रिपोर्ट देने के लिये यह कमेटी बनाई गई थी फिज़ीकल वैरिफिकेशन करने के लिये।

श्री भैरोंसिंह : यह कमेटी कितने दिनों बाद में बनाई गई?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप यह भी बता दें कि लगभग इतना समय हुआ है?

Page No.23

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको अर्ज किया कि मेरे पास तारीख नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपको लेकर आना चाहिये था। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कमेटी के एपोइन्टमेंट किये जाने के संबन्ध में है और आप इसका जवाब दे रहे हैं। आपको इसके संबन्ध में सारी वेअर-अबाउटस मालूम होने चाहिये। और दूसरी चीज तो आपको मालूम नहीं हो सकती मगर कम से कम डेट तो मालूम होनी ही चाहिये। मगर इसमें बात यह है कि जब यह प्रश्न पेश हुआ तब यह कमेटी मुकर्रर की है कि कौन कौन से आइटम्स ऐसे हैं जिनका एमाउन्ट वसूल किया जावे जो बकाया है।

श्री अध्यक्ष श्री वीराराम।

ग्राम फूलां बाई खेड़ा (सिरोही) की पड़त भूमि

५२८. **श्री वीराराम** (सिरोही--सु०) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि जिला सिरोही, तहसील पिन्डवाड़ा के ग्राम फूलां बाई खेड़ा में जमीन पड़त पड़ी थी? यदि हां, तो कितनी एकड़?

(२) क्या यह भूमि अलॉटमेंट कमेटी ने काछोली ग्रामवालों को कोऑपरेटिव सोसाइटी बना कर अलॉट की थी? यदि हां, तो कितनी सोसाइटियां बनीं और कितनी भूमि अलॉट की गई?

(३) क्या यह भूमि सोसाइटी द्वारा काश्त हो रही है? यदि हां, तो कब से?

(४) क्या यह सही है कि उन्हें अलॉट होने के बाद भी काश्त करने से रोका गया था? यदि हां, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां। ग्राम फूलां बाई के खेड़े में ५१७॥) एकड़ भूमि पड़त पड़ी है।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या उनको यह जमीन कमेटी ने अलॉट नहीं की थी?

(विराम)

उनको यह जमीन अलॉट की थी, फिर आप कैसे फरमा रहे हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जमीन केटल ब्रीडिंग और शीप फार्मिंग के लिए रिज़र्व है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या यह सही है कि इस जमीन को अलॉटमेंट कमेटी द्वारा काश्तकारों को अलॉट करने के बाद सरकार द्वारा उसको रिज़र्व किया गया है?

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है, बाद में किया हो। बाद में रिजर्व किया जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : फिर आपने जवाब कैसे दे दिया?

Page No.24

श्री दामोदरलाल व्यास : आप इस पर इसरार कर रहे थे इसलिए यह जवाब दिया गया कि हो सकता है कि बाद में रिज़र्व किया गया हो। जो मैंने पहले आपको जवाब दिया यह वास्तविक जवाब है, फिर भी आप इसरार करते हैं तो हो सकता है कि बाद में उस जमीन को रिज़र्व किया हो।

श्री दलपतसिंह : फिर अलॉटमेन्ट कमेटी ने इसको कैसे अलॉट कर दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Perhaps the Hon'ble members do not know the powers of the Allotment Committee. It is only...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : Do not call that the members do not know. You cannot accuse them.

श्री दामोदरलाल व्यास : I am sorry.

(विराम)

The Allotment Committee is only to advise and recommend cases for allotment. The Collector is empowered to reserve the land for any purpose.

श्री दलपतसिंह : यह ठीक है, अध्यक्ष महोदय, लेकिन जब अलॉटमेंट कमेटी ने एडवाइस दे दी थी कि काश्तकारों की सोसाइटी बना कर एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए इस जमीन को उनको दे दिया जाय तो फिर केटल ब्रीडिंग और शीप फार्मिंग के लिए जरूरत थी तो सरकार को अलॉटमेंट कमेटी से एडवाइस इसके लिए पहले लेनी चाहिये थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : अलॉटमेंट नहीं हुआ, रिजर्व लैंड है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : जब अलॉटमेंट जमीन का कर दिया गया, बाद में सरकार लेती है तो वह तो रिक्विज़ीशन की तरह ही लिया जा सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अलॉटमेंट कमेटी तो केवल एडवाइस देती है और सरकार के अधिकारी उसको फाइनल करते हैं। उनकी राय में इसको रिजर्व करना था इसलिए सरकार ही इस मामले में अन्तिम फैसला देती है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या एडवाइस के बाद भी भूमि का अलॉटमेंट नहीं किया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका मैं जवाब दे चुका हूं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अलॉट करने का अधिकार अलॉटमेंट कमेटी का ही है।

श्री लक्ष्मीचन्द : इस जमीन को ५८ मे अलॉट कर दिया था और बाद में उन काश्तकारों को वह नहीं दी जाकर उसको रिजर्व किया गया।

प्रश्न संख्या ५२६

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

श्री मोहरसिंह ।

तहसील तारानगर (चुरू) के काश्तकारों से बकाया तावान की वसूली

५३०. **श्री मोहरसिंह** (चुरू) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कि चुरू जिले में बीकानेर स्टेट के वक्त से यह अमल चला आ रहा था कि काश्तकार बिना किसी लिखित इजाजत या पट्टे के ही सरकारी पड़त भूमि को ग्राम के नम्बरदार या पटवारी से पूछ कर काश्त कर लेते थे और उनको सिर्फ वाजिब लगान ही देना पड़ता था ?

(२) क्या यह भी सही है कि तारानगर तहसील के बहुत से ग्रामों में अब भी किसानों ने पटवारियों व चौधरियों से पूछ कर पड़त जमीन पर कब्जा कर रखा है ?

(३) यदि हां, तो क्या यह सही है कि उन काश्तकारों पर अब पिछले ५–६ साल का तावान एक साथ लगा दिया गया है ?

(४) यदि हां, तो किस किस गांव पर कितनी कितनी रकम तावान के रूप में बकाया निकाली गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(५) तारानगर तहसील की अनउपजाऊ भूमि तथा वहां के किसान की गरीबी को देखते हुए क्या सरकार तावान की उक्त रकम माफ करने का विचार रखती है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी नहीं ।

(२) जी नहीं । जिन लोगों ने तहसील की आज्ञा के बिना सरकारी भूमि पर नाजायज़ कब्जा किया है उन पर तावान लगाया गया है ।

(३) जिन लोगों ने बिना आज्ञा के सरकारी भूमि पर नाजायज़ कब्जा किया है उन पर सम्वत् २०१३ से २०१६ का इकट्ठा तावान कायम किया गया है ।

(४) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(५) ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि टीनेन्सी एक्ट के लागू होने से पहले काश्तकारों का जिस भूमि पर कब्जा था उनसे तावान नहीं लिया जाता था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यदि कानून की धारा १५ के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं तो तावान नहीं लिया जाता है । आरजी काश्तकार था इस तारीख से पहले और खातेदार नहीं बना है और अधिकार प्राप्त नहीं किया है तो उसको ट्रेसपासर शुमार किया जाता है और उससे तावान वसूल किया जाना चाहिये ।

श्री मोहरसिंह : आपने जो आइटम

(१) का उत्तर दिया तो वह किस आधार पर दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बीकानेर टीनेन्सी एक्ट के आधार पर, वहां के कानून के आधार पर, वहां के रिवाज़ के आधार पर और वहां के अमल के आधार पर।

श्री मोहरसिंह : रिवाज़ का जहां तक ताल्लुक है वहां पर यह रिवाज़ था। टीनेन्सी एक्ट लागू होने पर यह रिवाज़ था कि लम्बरदार और पटवारी से पूछ कर काश्तकार काश्त करते थे।

श्री अध्यक्ष: श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

गवर्नमेन्ट गर्ल्स हाई स्कूल, किशनगढ़ (अजमेर) की बस व्यवस्था

५३१. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या अजमेर डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, किशनगढ़ में छात्राओं को लाने के लिये बस की व्यवस्था है ?

(ख) अगर नहीं, तो इस स्कूल के लिए बस की स्वीकृति कब तक दे दी जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी नहीं।

(ख) बस के लिए स्वीकृति देने का अभी कोई विचार नहीं है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : आपको यह मालूम होना चाहिये कि शहर से दो मील का फासला है। लड़कियां कैसे पढ़ने आ सकती हैं जब कि आप कहते हैं कि लड़कियों की शिक्षा को हम राजस्थान में प्रोत्साहन देना चाहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी विचार नहीं है कि जहां जहां पर गर्ल्स हाई स्कूल्स हैं, कॉलेजेज़ हैं वहां पर फन्ड्स के लिहाज़ से भी प्राथमिकता किन स्कूलों को देनी चाहिये, उनके डिस्टेन्स, वहां की पापुलेशन आदि को देखते हुए दी जानी चाहिये, यह विचार किया जाता है। किशनगढ़ का नम्बर अभी नहीं आया है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं निवेदन करूं कि ३५ हजार की पोपुलेशन में केवल एक हाई स्कूल है तो क्यों नहीं यह वहां पर व्यवस्था की जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी बात वाजिब हो सकती है। मेरी दिक्कत भी तो आप देखें। प्रायोरिटीज़ दूसरों के मुकाबले में किनको दी जा सकती हैं; यह गवर्नमेन्ट को ख्याल करना पड़ता है। बाद में जब नम्बर आवेगा तब हो जायगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : तो क्या कोई प्रायोरिटी के नियम बने हुए हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लड़के-लड़कियों की तादाद, डिस्टेन्स शहर या आबादी का, और भी दीगर बातें हैं।

Page No.27

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : इस पर क्या पुनर्विचार किया जावेगा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : वेटिंग लिस्ट में नाम लिख लीजियेगा।

प्रश्न संख्या ५३२

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री शिवचरणदास।

मृतक अध्यापकों के विचाराधीन ग्रेच्युइटी केसेज, जिला भीलवाड़ा

५३३. **श्री शिवचरणदास** (मांडल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) भीलवाड़ा जिले में मृतक अध्यापकों के ग्रेच्युइटी के कितने केसेज़ कब से और किन किन के इस समय सरकार के समक्ष निर्णयात्मक हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त केसेज़ में एक केस श्री बंशीलाल पारीख, निवासी पिपलाज़ जो ग्राम धनोप, तहसील शाहपुरा में मास्टर थे का भी चल रहा है ? यदि हां, तो कब से और इनकी मृत्यु कब हुई ? अब तक तय नहीं होने का क्या कारण है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) भीलवाड़ा जिले के मृतक अध्यापकों के ग्रेच्युइटी के कुल ६ केसेज़ हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(ख) जी हां। बंसीलाल पारीख, प्राथमिक शाला धनोप की मृत्यु दिनांक ३. ७. ५७ को हुई थी। उनके वारिस ने ग्रेच्युइटी सम्बन्धी फॉर्म पेश करने के लिए कई बार कहने के उपरान्त भी बहुत देर से फॉर्म भर कर पेश किया। उनका केस तैयार करके महालेखापाल, जयपुर के पास भेज दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री शिवचरणदास : सूची तो मिली नहीं। मामला कब तक तय हो जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

ग्राम वाणियाला तथा भांडग, तहसील तारानगर (चुरु) के निवासियों के नाम झूठी तकावी का अंकन

५३४. **श्री मोहरसिंह** (चुरू) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चुरू जिले के तारानगर तहसील के ग्राम वाणियाला व भांडग के बहुत से आदमियों के नाम हजारों रुपये झूठी तकावी लिखी हुई है ?

(२) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों के नाम उपरोक्त तरीके से फरजी तौर पर तकावी लिखी हुई है उन्होंने सम्बन्धित उच्चाधिकारियों से बार बार प्रार्थना की है कि जांच कराकर उनके नाम फरजी लिखी हुई तकावी को खारिज किया जावे ?

(३) यदि हां, तो क्या जांच कराई गई और उस जांच का क्या नतीजा रहा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

Page No.28

(श्री मोहरसिंह)

(४) क्या सरकार जांच पूरी होने तक उक्त तकावी की वसूली स्थगित किये जाने का आदेश करने का विचार रखती है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): इस सम्बन्ध में जांच एन्टीकरप्शन विभाग में चल रही है। अतः जब तक जांच पूर्ण न हो जावे यह नहीं कहा जा सकता कि तकावी झूठी अथवा सच्ची लिखी हुई है।

(२) जी हां।

(३) जी हां। जांच कराई गई है और अभी तक पूर्ण नहीं हुई है।

(४) जी हां। वसूली की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

राष्ट्रीय कृत पुस्तकों की प्राप्ति में विलम्ब

५३५. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष भी राष्ट्रीय कृत पुस्तकों की प्राप्ति में छात्रों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

(ख) कक्षा ७ और ८ की पुस्तकें बाजार में कब पहुँची ? इसमें विलम्ब का क्या कारण है ?

(ग) पहले से आवश्यकता का अनुमान कर पुस्तकों की व्यवस्था नहीं की जाती ताकि सत्रारम्भ में वे छात्रों को सुलभ हो सकें ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी नहीं।

(ख) कक्षा ७ व ८ की पुस्तकें बाजार में जुलाई से पहुँचना आरम्भ हो चुकी थीं। कुछ पुस्तकें जो बाहर छपवाई गई हैं उनके न पहुँचने का कारण केन्द्रीय कर्मचारीगण लोगों की हड़ताल है।

(ग) पुस्तकें आवश्यकतानुसार सत्रारम्भ के पहले ही छपवाने का प्रयत्न किया जाता है। किन्तु इस सत्र में सामाजिक ज्ञान व सामान्य विज्ञान कक्षा ६ एवं ७ व ८ की पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। इसमें जो विलम्ब हुआ उसका कारण प्रश्न 'ख' में बताया जा चुका है।

(घ) पुस्तकें बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त प्रधान अध्यापकों व अध्यापिकाओं को भी डिपो से पर्याप्त मात्रा में पुस्तकों का विक्रय किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को असुविधा न हो।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार को यह मालूम है कि राष्ट्रीय कृत पुस्तकों के वितरण की दोषपूर्ण व्यवस्था है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बैटरमेन्ट लेवी में किसानों को राहत

५३६. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) भाखरा योजना में इर्रिगेशन तथा पॉवर में अलग अलग राजस्थान के हिस्से का कुल कितना खर्चा लगेगा ?

(श्री भीमसेन)

(ख) बैटरमेंट लेवी में किसानों को क्या राहत देने की योजना है ?

(ग) बैटरमेंट लेवी के सम्बन्ध में पंजाब सरकार ने क्या रियायतें दी हैं ? उन रियायतों के बाद वहां पर फी एकड़ कितनी लेवी कितनी किश्तों में वसूल होगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सिंचाई मंत्रीजी से सम्बन्धित है, अतः वे उनकी टर्न पर इसका जवाब देंगे।

श्री भीमसेन : इसमें तो बैटरमेंट लेवी का क्या क्वेन्टम है, इसके बारे में पूछा गया है। यह तो आप ही से ताल्लुक रखता है।

सरकारी स्तर पर निर्मित तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप एवं पंचायतों का सहयोग

५३७. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) राजस्थान की तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सरकारी स्तर पर कब तैयार की गई और पंचायतों को अपने प्रस्ताव भेजने के लिये कब आदेश भेजे गये ?

(ख) क्या पंचायतों द्वारा अपने क्षेत्र में इस सम्बन्ध में ग्राम सभाओं का भी आयोजन किया गया था ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): राजस्थान की तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा (plan frame) जनवरी, १९६० में तैयार हुई तथा २२ जून, १९६० को समस्त पंचायत समितियों को अपने प्रस्ताव भेजने के लिये आमन्त्रित किया गया था।

समस्त पंचायत समितियों को निर्देश दिये गये थे कि वे अपनी योजनायें ग्राम सभा आदि से विचार-विमर्श करके बनावें। आदेशानुसार पंचायत समितियों को अपने प्रस्ताव पंचायतों से व ग्राम सभाओं से सलाह करने के पश्चात् ही भेजने थे। ऐसी आशा की जाती है कि पंचायत समितियों ने पंचायतों व पचायतों ने ग्राम सभाओं से सलाह करके ही अपने प्रस्ताव सरकारी विभागों को भिजवाये हैं।

श्री शंकरलाल : जब २२ जून, १९६० को आदेश जारी किये गये तो कब कब प्रस्ताव ग्राम सभाओं से मांगे गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास: अलग अलग ग्राम पंचायतों, समितियों, जिला परिषदों आदि के लिये अलग अलग तारीखें मुकर्रर की गई थीं। कौनसी तारीख किस किस को, यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या यह सही है कि इस प्रकार से आदेश होने के बावजूद भी ग्राम सभाओं का आयोजन नहीं किया गया और इस तरह से ग्राम सभाओं में प्रस्ताव नहीं रखा गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई खास जगह ऐसा हो सकता है, लेकिन पांच–पचास पंचायतों से तो मैं वाकिफ हूं। जहां ग्राम सभा को बुलाया गया उसमें प्रस्ताव लाया गया, उसके बाद यहां भेजा गया।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि ड्राफ्ट प्रिन्ट होने से पहले पंचायत समितियों की राय नहीं ली गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री मुरलीधर व्यास : किन किन पंचायत समितियों से प्लान के सम्बन्ध में अपनी अपनी योजनायें आईं, इसके आंकड़े आप दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : सभी ने भेजे होंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : जो आपने ड्राफ्ट प्लान बनाया था उसके लिये पंचायत समितियों को सूचना नहीं दी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्लान की रूपरेखा ही जनवरी, १९६० में तैयार हुई थी, इसलिये पहले सूचना देकर प्लान मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

राजस्थान स्टेट लैंड कमीशन के सुझावों की क्रियान्विति

५३८. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :–

क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट लैन्ड कमीशन ने सुझाव दिया है कि भूमि सुधार कानूनों का काश्तकारों पर क्या असर पड़ा है इसकी जांच हेतु एक समिति का गठन किया जावे ? अगर हां, तो सरकार उपरोक्त सुझावों पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): जी हां, समिति के गठन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री भीमसेन : कब से विचाराधीन है और कब तक कार्यवाही हो जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जल्दी ही कर देंगे।

भरतपुर जिले में हरिजनों के विकास हेतु कल्याणकारी योजनायें

५३९. श्री गोवर्धनसिंह केन (बयान-सु०) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) जिला भरतपुर की जन संख्या कितनी है और उसमें हरिजन तथा पिछड़ी जातियों का अनुपात क्या है ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) सरकार ने हरिजनों के लिये कल्याणकारी योजनाओं द्वारा जिले में क्या क्या कार्य किये हैं और भविष्य में क्या क्या कार्य करने की योजना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): जिला भरतपुर की कुल जनसंख्या ९,०६,०९४ है। इनमें १३,६३३ अनुसूचित जाति तथा २८,९२६ अनुसूचित जन-जाति के लोग हैं। इनका अनुपात क्रमश: १००:१५ और १००:३ बनता है। तहसीलवार सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

है। भविष्य में भी ये सब कल्याणकारी कार्य चलते रहेंगे।

(कृपया परिशिष्ट संख्या ५ देखिये)

श्री गोवर्धनसिंह केन : यह जो आपने सूचना दी है मकान बनाने के लिये रुपया दिया गया है उसमें हम देखते हैं चार तहसीलों को; जैसे बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर, राजाखेड़ी जहां की आबादी ३ लाख है, यहां कुछ नहीं दिया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो मैं नहीं कह सकता कि क्यों नहीं दिया गया। जिन परिवारों को मकान बनाने के लिये सहायता दी गई उसकी सूची मैंने दे दी है। इनको नहीं देने के ये भी कारण हो सकते हैं कि या तो इनकी दरख्वास्तें नहीं आयी होंगी या समय निकलने के बाद आयी होंगी; कोई न कोई कारण होगा।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या यह सत्य है कि इन तहसीलों से २०० से ऊपर दरख्वास्तें इस विभाग को दी गई हैं, लेकिन सब खारिज कर दी गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कब दी गई ?

डॉ० बहादुरसिंह : १९५९-६० में।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप जानकारी दे रहे हैं, मैं इसकी जानकारी कर लूंगा।

श्री गोवर्धनसिंह केन : जो सहायता ७ गांवों को दी गई कितने दिनों में दी गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो लिस्ट आपको दी है उसमें सब बताया हुआ है। सन् ५७-५८ के अन्दर पीने के पानी के कुओं के लिये अग्नि पीड़ितों को सहायता, हरिजन मोहल्लों में जल-व्यवस्था, छात्र-वृत्ति वितरण आदि सब की सूचना इसमें दी हुई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) ; यह सम्पूर्ण सहायता क्या नगरपालिका के थ्रू दी गई थी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

उदयपुर जिले में निर्मित कृषि सहकारी समितियां

५४०. **श्री लक्ष्मण हीरात** (गोगुन्दा-सु.) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) उदयपुर जिले में जनवरी, ५९ से माह अगस्त तक कितनी कृषि सहकारी समितियां किन किन तहसीलों में बनाई गई हैं ? कृपया तहसील वाइज़ आंकड़े बतायें।

(२) क्या यह सच है कि कहीं कहीं भूमि १५० एकड़ नहीं होने पर भी कृषि सहकारी समितियां बनाई गई हैं ?

(३) माह जनवरी से अब तक अस्थायी रूप से व्यक्तिगत भूमि किन किन आसामियों को एक वर्ष के लिये दी गई है ? कृपया मय नाम के तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(१) तहसील मावली	१.
(२) तहसील सुराडा	२.
(२) तहसील गिरवा	३.
(४) तहसील कुम्भलगढ़	४.
(५) तहसील नाथद्वारा	२.
(६) तहसील राजसमन्द	३.
(७) तहसील देवगढ़	१.
योग	१६

(२) जी हां। तहसील कुम्भलगढ़, सराड़ा, रेलमगरा में १५० एकड़ भूमि नहीं होने पर भी सहकारी समितियां बनी हैं।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रश्न भाग १ से सम्बन्धित सूची के लिये कृपया परिशिष्ट ६ देखिये एवं भाग ३ से सम्बन्धित सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या सरकार का सर्कुलर इस प्रकार का है कि १५० एकड़ भूमि नहीं होने पर सहकारी समितियां नहीं बनायी जा सकतीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक मुमकिन हो १५० एकड़ भूमि होनी चाहिये, लेकिन कम जमीन होने पर कोई कोऑपरेटिव बना कर खेती करता है तो कोई मुमानियत नहीं है।

प्रश्न संख्या ५४१

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

पलाना खान से उपभोक्ताओं को कोयले की अनुपलब्धि

५४२. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार को विदित है कि पलाना खान से उपभोक्ताओं को कोयला इस समय सप्लाई नहीं हो रहा है जिससे भट्टे-वालों को असुविधा होने के साथ साथ शहर के निर्माण कार्यों में भी रुकावट आ रही है ?

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) पलाना में जितनी मात्रा में कोयला निकाला जाता है उसमें से बीकानेर पॉवर हाउस को सप्लाई करने के पश्चात् जितना बचता है उतना ही शहरवालों को दे दिया जाता है।

(ख) उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

श्री भीमसेन : शहरवालों को प्रति माह कितना कोयला दिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह प्रोडक्शन पर निर्भर करता है। प्रायोरिटी पॉवर हाउस को दी जाती है और जितना बच रहता है वह शहरवालों को दिया जाता है।

Page No.33

श्री भीमसेन : पॉवर हाउस की केपेसिटी तो निर्धारित है । प्रोडेक्शन कितना होता है और शहरवालों को उसमें से कितना दिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग-अलग महीनों में अलग अलग क्वान्टिटी होती है । यह कैसे कह सकते हैं कि कितना किस किस महीने में खर्च होगा ? It all depends upon production, consumption and saving.

श्री भीमसेन : पिछले दो महिने में कितना दिया गया, यह बता सकते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

भरतपुर जिले में हुई आगजनी से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता

५४३. श्री गोवर्धनसिंह केन (बयाना—सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला भरतपुर में १९५६ से अब तक कितने ग्रामों में आग लगी और कितने घर जल कर नष्ट हुए और किस किस जाति के और कितनी क्षति हुई ? ग्राम वार व जातिवार क्षति की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ख) क्या सरकार ने इन अग्नि पीड़ित लोगों को कोई आर्थिक सहायता प्रदान की है ? यदि हां, तो किस हिसाब से ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जिला भरतपुर में १९५६ से अब तक ३११ ग्रामों में आग लगी और २,२६४ घर जल कर क्षतिग्रस्त हुए । ग्राम व जातिवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) सरकार ने अग्नि पीड़ितों में से जिनको सहायता दिये जाने योग्य समझा उन्हें १७,४७२ रु० की आर्थिक सहायता दी है जो कि क्षति के १।६ के हिसाब से दी गई । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह जो ३११ गांवों में आग लगी, क्या सब लोगों को सहायता दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिनको सहायता मिलने योग्य समझा गया और जिन्होंने सहायता लेना स्वीकार किया उनको दी गई ।

डॉ० बहादुरसिंह : ३११ गांवों में आग लगने का क्या रायज था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गर्मी की मौसम होने से बेऐहतियाती की वजह से आग लगी है और वैसे भी वे फूस के मकान हैं जिसकी वजह से आग लग जाती है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : किस माध्यम से आपने यह पता लगाया कि अमुक अमुक व्यक्ति रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप इस बात से परिचित नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह : परिचित होने का ठेका क्या आपने ही ले रखा है, आप इस तरह से नहीं कह सकते कि परिचित हैं या नहीं। What is...

श्री दामोदरलाल व्यास : Sir, if he wants to over-awe or threaten anybody I am not going to be threatened.

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन इन माध्यमों से है। हमारे यहां दो प्रकार के माध्यम हैं डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन एक माध्यम है और दूसरा माध्यम है तहसीलदार; तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन से माध्यम से आपने जानकारी करके उनको रिलीफ दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रिलीफ फंड में से किस किस को सहायता दी जाती है, यह सब रूल्स में प्रोवाइड किया हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : क्या रूल्स के अनुसार इस प्रकार का फन्ड क्रिएट करना राज्य सरकार के अधिकार में नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई फन्ड करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पंचायत समितियों के गठन के बाद इस प्रकार के फन्ड के लिये कोई बजट ग्रान्ट नहीं, जिससे अग्नि पीड़ितों को सहायता आदि दी जा सके ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बजट ग्रान्ट है।

श्री भैरोंसिंह : पंचायत समितियों को यह ट्रान्सफर कर देने पर जो नियम सरकार के लिये लागू हैं वे पंचायत समितियों पर भी लागू होते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं लागू होंगे।

श्री गोवर्धनसिंह केन : सरकार को जब यह मालूम है कि आग लग जाती है तो भविष्य में इसके लिये जांच के लिये क्या योजना बना रही है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

दिनांक ३० अगस्त, १९६० का स्थगित तारांकित प्रश्न

अजमेर जिले में नम्बरदारों के बकाया अलाउन्स का भुगतान कराना

२२०. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(क) अजमेर जिले में कौन कौन सी ऐसी तहसीलें हैं जिनमें नम्बरदारों को अलाउन्स नहीं दिया गया है ?

(ख) जिन नम्बरदारों को अलाउन्स नहीं मिला है उनके नाम उनकी बकाया राशि की सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(ग) यह बकाया अलाउन्स नहीं चुकाने के क्या कारण हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) किशनगढ़ तहसील के कुछ नम्बरदारों को अलाउन्स नहीं दिया जा सका है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(ख) ऐसे सब मामले विवादास्पद हैं। यह जांच की जा रही है कि सही हकदार कौन है।

(कृपया परिशिष्ट संख्या ७ देखिए)

श्री भैरोंसिंह : यह सूची प्रकाशित की गई है। इसमें तीन मामले छोड़ कर सभी मामले एस. डी. ओ., किशनगढ़ के हवाले हैं, जैसा सूची में कहा गया है, क्या यह ठीक है?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : सूची में इनके नीचे डिटो नहीं किया गया है, इसलिये पूछा है। क्या ये सारे मामले उनके विचाराधीन हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां। क्योंकि इन व्यक्तियों के विरुद्ध हुई शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन पर निर्णय लेने के पश्चात् ही कुछ तय किया जावेगा, साथ ही कुछ नम्बरदारों को कितनी रकम देनी है यह भी एस. डी. ओ., साहब के पास विचाराधीन है।

प्रश्न संख्या ५४३ ए.

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द।

रानीवाड़ा से बड़गांव की सड़क का ठेका

५४३ बी. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) जोधपुर डिविजन में रानीवाड़ा से बड़गांव जाने वाली सड़क को किस श्रेणी का बनाया जा रहा है और उस पर कितने रुपये खर्च करने की स्वीकृति है?

(ख) क्या यह सत्य है कि उक्त सड़क अभी तक सम्पूर्ण ही नहीं हुई है और सब जगह से टूट गई है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(ग) क्या यह भी सही है कि उक्त ठेकेदार को इसका पेमेन्ट किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) मैटल रोड बनाई जा रही है। ४०,६००) रु० खर्च करने की स्वीकृति है।

(ख) जी हां। बरसात के कारण सड़क कहीं कहीं टूट गई थी जो ठीक कर दी गई है।

(ग) जी हां, पेमेन्ट किया जा रहा है; क्योंकि इसका कार्य अभी तक चल रहा है।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह ठीक कब कराई गई है?

श्री हरिश्चन्द्र : यह हाल ही ठीक हुई होगी।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह सड़क बिल्कुल टूट गई है। अगर ठीक करनी है तो पेमेन्ट होने से पहले कराएं, नहीं तो ठेकेदार पेमेन्ट लेकर चला जावेगा। आपने तो कह दिया कि ठीक हो गई, पर वह अभी तक टूटी हुई पड़ी है।

श्री हरिश्चन्द्र : अभी तो और भी तो सड़क बन रही है। उसका तो पेमेन्ट करना ही पड़ेगा। आप कहते हैं तो और जांच करवा लूंगा।

श्री दलपतसिंह (आबू) : गर्मियों के दिनों में बरसात से पहले ही यह सड़क टूट गई थी। मैं गर्मियों के दिनों में उधर टूर में गया था तो गर्मियों में ही वह टूटी हुई थी जगह जगह; दो-दो, तीन-तीन हाथ गहरे गड्ढे बने हुए थे। कन्स्ट्रक्शन छः महीने से चला हुआ था और कन्स्ट्रक्शन के दर्मियान में ही समर सीज़न में ही टूट गई थी। विहिकल्स उस पर चलना कठिन है। अगर इसी तरह की सड़कें आप बनवाते हैं तो न्यू प्लानिंग में आप काफी सड़कें बनवाने जा रहे हैं। अगर ये छः महीने में ही टूट जाती हैं तो टैक्नीकली ये काफी कमजोर रहेंगी और प्लान का सारा पैसा मिसयुटीलाइजेशन में जावेगा। इसकी समर में ही हालत खराब हो गई थी।

श्री हरिश्चन्द्र : कौन से सेक्शन में खराब हो गई?

श्री दलपतसिंह : रानीवाड़ा से बड़गांव की सड़क, जोधपुर डिविजन में। हर जगह एक एक मील में एक खड्डा दो-दो, तीन-तीन फीट का है और जगह जगह बहाव हो गया है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने अर्ज किया कि पानी के कारण टूट गई है।

श्री दलपतसिंह : यह गर्मी के सीज़न में बननी स्टार्ट हुई थी, सर्दी के फर्स्ट वीक में जनवरी के, ऐसा मुझे याद है और अप्रेल में मैं टूर पर गया था। तो तब की बात अर्ज कर रहा हूं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व). On a point of order Sir, अर्ज करने का मतलब?

श्री दलपतसिंह : मैं अपील के सेंस में कह रहा हूं कि उस सड़क की हालत इस तरह से खराब हो गई, उसे ठीक कराया जाय।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं इसकी और जांच करवा लूंगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : आपने इस सड़क की जांच कराई कि ठीक हो गई है पेमेन्ट करने के पहले?

श्री हरिश्चन्द्र : पेमेन्ट तो सड़क बन रही है इसलिये हो रहा है। The road is already in construction. The payment has to be made to the contractor.

श्री दलपतसिंह : पेमेन्ट करें या न करें, यह तो माननीय मन्त्रीजी पर निर्भर है; उनकी मर्जी पर है, पर सड़क जो इस तरह की बन रही है आज-कल इससे डर है कि आगे तीसरी योजना में काफी सड़कें बनने वाली है और इसी तरह अगर बनीं तो सारा पैसा व्यर्थ जावेगा।

श्री हरिश्चन्द्र : मर्जी का सवाल नहीं है। मैंने कहा, अगर सड़क बन रही है तो पेमेन्ट तो कॉन्ट्रेक्टर को होगा ही। अब रहा सवाल खराब हो गई, तो इसके लिये जांच करेंगे।

Page No.37

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : पेमेन्ट सड़क बनने से पहले हुआ या बाद में ?

श्री लक्ष्मीचन्द : सड़क की कन्डीशन बहुत ही बुरी है, सड़क दो महीने में बनती है और खराब हो जाती है।

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी जांच करके मैं आपको बताऊंगा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : एक अतिरिक्त प्रश्न है सरदारशहर वाला।

श्री अध्यक्ष : अब समय नहीं है। फिर ले लेंगे।

(१२.१६ म० प०)

जयपुर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन (टेम्पोरेरी प्रोविजन्स) बिल, १९६०।

जयपुर नगरपालिका प्रशासन (अस्थायी प्रावधान) विधेयक, १९६० (पुरःस्थापन)

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन (टेम्पेरेरी प्रोवीज़न्स) बिल, १९६० को पुरःस्थापित करने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप विरोध कर रहे हैं क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी हां, मैं विरोध कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपको अधिकार है, यह सवाल नहीं है। पर जैसी व्यवस्था यहां सदन में रही है, इस स्टेज पर इस तरह की बहस नहीं करते हैं। अब यह आप पर है कि आप इस स्टेज पर बहस कर लें या नेक्स्ट स्टेज पर कर लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I have got a right to oppose it under the Rules.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): You cannot oppose it at introduction stage.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : On a point of order, Sir, our Rules are always superior to practice. According to our rules, the Hon'ble Member can object to the introduction of the Bill.

श्री अध्यक्ष : You would like to oppose at this stage ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Yes, Sir.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Under what rules he is opposing, Sir? He can oppose it only if he raises a Constitutional objection.

श्री अध्यक्ष : Let us see what the Hon'ble member has to say.

श्री श्रीभानसिंह : But the Hon'ble member must stand under some rule and then oppose it.

Page No.38

श्री अध्यक्ष : We will take the next one in the mean while for introduction.

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६० पुरःस्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): मैं राजस्थान लैंड रिफार्म्स एण्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६० को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये निवेदन करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १९६० को पुरःस्थापित करने की इन्हें आज्ञा प्रदान की जावे !

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

जयपुर नगरपालिका प्रशासन (अस्थायी प्रावधान) विधेयक, १९६० (पुन: विचार-विमर्श एवं पुरःस्थापन)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को और भी कई मौके मिलेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : I draw your attention to Rule 64, Sir: "If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker, after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may, without further debate, put the question :"

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आप ठीक समझें तो ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): यह वैल एस्टेब्लिश्ड कन्वेन्शन है । आज तक कभी नहीं हुआ कि इस स्टेज पर किसी ने विरोध किया हो ।

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस तो पहले इस सदन में शायद ही कोई मौका हो, जब इस स्टेज पर विरोध किया गया हो या विरोध या बहस की गई हो ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : Sir, I want to ask a question. If this is wrong...

श्री अध्यक्ष : Would the Hon'ble Member resume his seat please ? I am addressing the House.

यह रूल्स की बात है । अगर इस पर माननीय सदस्य इन्सिस्ट करना चाहें तो दूसरी तरह से देखना चाहता हूं । पर कई माननीय सदस्यों ने बताया कि हम सदन में इस स्टेज पर बिल का विरोध नहीं करते आये हैं । फिर भी अगर आप करते हैं तो मैं तो इस बहस के बीच में नहीं आना चाहूँगा । आपको इजाजत दूँगा । पर जो एक प्रेक्टिस बनी आ रही है उसका इस तरह से विरोध किया जावे या नहीं, यह तो माननीय सदस्य के सोचने की चीज़ है ।

(श्री अध्यक्ष)

आप बता दीजिये इस बिल के बारे में कोई बात, मन्त्री महोदय ।

श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मन्त्री) : वैसे तो ऑब्जेक्ट्स और रीज़न्स इसमें दिये हैं वे बिल्कुल स्पष्ट हैं । जयपुर म्युनिसिपैलिटी के कुछ सदस्यों ने, कुछ बहुमत सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया था उसके फलस्वरूप इसे सस्पेन्ड करके एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया । एडमिनिस्ट्रेटर १४ जुलाई, १९५८ को यहां पर अपॉइन्ट किया गया । इसके बाद में पुराना एक्ट बहुत दिनों तक चलता रहा और इसके बाद नया एक्ट एग्ज़िस्टेन्स में आया । तो इन दोनों के बीच का पीरियड कुछ ऐसा हो गया कि उसके लिये हम कोई नोटीफिकेशन जारी नहीं कर पाये जिसके अभाव में इस थोड़े समय में जो विकास के काम किये गये उनको रेगुलराइज़ किया जाना जरूरी हो गया । उनको रेगुलराइज़ न करें तो कोर्ट में ऑब्जेक्शन हो सकता है । कोर्ट में एक-आध केस दायर भी किया गया है । तो उस नुक्स को दूर करने के लिये यह लेजिस्लेशन असेम्बली में लाया गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जो, अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दी है उसे मैं शिरोधार्य करता हूं और इस सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता । आपकी अनुमति से दो मिनट में एक बात कहना चाहूंगा ।

यह जो स्पष्टीकरण दिया गया है कि जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल अगस्त, १९५८ में सस्पेन्ड की गई और नई म्युनिसिपल कौंसिल कॉन्स्टीट्यूट न हो सकी, इसके लिये इस प्रकार का प्रयास करना पड़ रहा है । अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जयपुर नगरपालिका के चुनाव के सम्बन्ध में कि यह कब होगा, नया क्यों नहीं कराया जा रहा है ? इसके सम्बन्ध में कई बार प्रश्न इस सदन में भी पूछे गये पर इसके लिये कोई संकेत तारीख तक का भी कि इस तारीख तक करा दिया जावेगा, नहीं मिला, बल्कि गैरकानूनी ढंग से सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना चाहती है, जिसका परिणाम यह आता है कि अदालतों में मुकदमे दायर होते हैं और जब मुकदमे दायर होते हैं तब सरकार की आंखें खुलती हैं और इस सदन के द्वारा उस गैर कानूनी ढंग से किये गये काम की छाप लगवाने की कोशिश करती है जो निश्चित रूप से एक प्रकार का ऑटोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक एक्शन है । इसलिये चाहता तो मैं यह था कि इसका विरोध करूं, इसी स्टेज पर और यह सदन भी पसन्द करता कि ऐसे अनडेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेट एक्शन का इसे इन्ट्रोड्युस करने की स्टेज पर ही विरोध करता ।

अध्यक्ष महोदय, आपने जिस प्रकार की व्यवस्था दी है उसको शिरोधार्य करता हुआ इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : श्रीमान्, मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ बोलना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : It is not permissible. No more debate at this stage.

प्रश्न यह है कि जयपुर नगरपालिका प्रशासन (अस्थायी प्रावधान) विधेयक, १९६० को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान कृषि उपज विपणि विधेयक, १९६०

(प्रवर समिति को)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज विपणि विधेयक, १९६० को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि उपज विपणि विधेयक, १९६० सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है। इसके सम्बन्ध में मेरा एक संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे और जिसके सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस विधेयक से स्पष्ट है कि इसके द्वारा हमारी सरकार राजस्थान राज्य में कृषि उपज के क्रय और विक्रय के लिए सुन्दर व्यवस्था करना चाहती है और उसके अन्तर्गत मण्डियों का निर्माण होगा तथा मण्डियों के संचालन के लिए एक मन्डी समिति बनाई जायेगी। वैसे तो जैसा इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में स्पष्ट बताया जा चुका है कि हमारे माननीय कृषि मंत्री महोदय एवं कृषि विभाग इस विषय में ६ साल तक सोच-विचार करने के बाद यह विधेयक यहां लाने में समर्थ हुए हैं। सेन्ट्रल कॉटन कमेटी ने १९५४ में इस तरह की सिफारिश की थी कि कृषि उपज के क्रय-विक्रय के लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। अन्य राज्यों में इस तरह का प्रावधान हुआ और व्यवस्था हो गई और अब जाकर ६ साल बाद हमारी सरकार ने भी इस तरह की एक व्यवस्था की बात सोची सो बिल्कुल ठीक है।

जहां तक इस विधेयक की उपयोगिता का सवाल है यह स्वयंसिद्ध है क्योंकि हम सब जानते हैं, आज किसान की गाढ़ी कमाई इतने कठिन परिश्रम के बाद जो उपज होती है उसके ऊपर अधिकार व्यापारियों का होता है। किसान अपनी उपज का अनाज, साग-सब्जी वगैरह बाजार में ले जाता है और व्यापारियों को जिस भी दाम पर व्यापारी चाहते हैं उन्हीं पर किसान को अपना माल बेच देना पड़ता है। इस विधेयक के द्वारा जब मण्डियों की स्थापना हो जायेगी तो वह माल जो किसान अपने परिश्रम से उपजायेगा उसके लिए मण्डियों में सुन्दर से सुन्दर व्यवस्था होगी और फिर अभी तक जो उसका एक प्रकार से शोषण व्यापारियों द्वारा होता था, वह नहीं होगा। आज हम देखते हैं कि किसान बड़ी मेहनत से अन्न उपजाता है और उस उपज को वह मण्डियों में ले जाता है उससे जिस भाव पर दुकानदार लेते हैं और यदि उसी किसान को बाजार से साग-सब्जी खरीदनी हो तो उन दोनों कीमतों को यदि देखा जाये तो उनमें बहुत फर्क होता है। एक चीज यदि सीधे सब्जी मण्डी में जाकर सीधे किसान से लेते हैं तो वह बहुत सस्ती पड़ती है और यदि वही चीज़ दूकानदार से लेते हैं तो बहुत

(डॉ० चन्द्रकला)

मंहगी पड़ती है। इसी तरह से अनाज के व्यापारियों का हाल है। वह गाड़ी की गाड़ी एक भाव से गांव वालों से ले लेते हैं और जब किसान को जरूरत होती है तो उसको महंगे भाव से चीज मिलती है। आज की हमारी विषमता की परिस्थिति में किसानों को अपनी उपज को बेचना पड़ता है, अपनी आवश्यकताओं के लिए। जब उसे पैसों की आवश्यकता होती है तो किसान को अपनी उपज को जाकर विक्रय करना पड़ता है। तो विक्रय की ही आवश्यकताओं को महसूस करके यह विधेयक लाया गया है। अवश्य ही यह विधेयक किसानों के लिए हितकारी होगा। इस दृष्टि से यह विधेयक बहुत ही आवश्यक है बल्कि मैं तो यह कहूंगी कि यह ६ साल का भी विलम्ब नहीं होना चाहिए था और सेन्ट्रल कॉटन सोसाइटी ने जो सिफारिश की उसके बाद ही यहां पर इस तरह का प्रावधान होना चाहिए था पर 'देर आयद दुरुस्त आयद,' किसानों को अब तो सुविधा मिलेगी। लेकिन इसके लिए अधिक सोचने विचारने की जरूरत है। जब मैं इस विधेयक की धाराओं को देखती हूं तो ऐसा लगता है कि जितनी अच्छी तरह से कृषि विभाग को सोचना चाहिए था उतनी अच्छी तरह से नहीं सोचा गया। इस पर और सोचने की जरूरत है और जिसके ऊपर विचार अच्छी तरह से प्रवर समिति कर सकती है। इस विधेयक की धारा २ को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि कृषि उपज की क्या परिभाषा है। साथ ही इसके अन्दर एक अनुसूची दी हुई है उसको देखने से ऐसा लगता है कि हमारी सरकार हमारे राजस्थान की बात नहीं सोचती और न जाने किस राज्य की बात सोचती है। यदि इस अनुसूची को देखें तो उसमें सबसे पहले अनाज में सरसों लिखा हुआ है। पहले तो मैं यह सरसों देख कर सोचने लगी कि सरसों होगी पर जब उसे अनाज की सूची में देखा तो मुझे तो आश्चर्य हुआ क्योंकि सरसों कोई धान नहीं होता है, यह हम भी सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसको तो सही माने में तिलहन के शीर्षक में होना चाहिए। आखिर यह कोई न कोई गल्ती हो सकती है।

अब इसके बाद में जब हम फलों की सूची देखते हैं तो उसमें अन्जीर हैं, चीकू हैं; सब कुछ हैं लेकिन हमारे राजस्थान के बेर, मतीरे और कचरी हैं जिनका नाम अपने राजस्थानी गीतों में हम बड़े गर्व से लेते हैं उनका नाम कहीं नहीं है। इस तरह से जो चीजें यहां राजस्थान में पैदा होती हैं उनका नाम कहीं नहीं है और वे फल कि जो राजस्थान में पैदा ही नहीं होते उनका उल्लेख इसमें किया हुआ है। क्या हमारी सरकार केवल ऐसी चीजों की मण्डी लगाने जा रही है जो हमारे यहां पैदा ही नहीं होते हैं। जो चीजें हमारे यहां ढेर सारी पैदा होती हैं और किसानों के लिए जो चीजें सुलभ हैं उनका कहीं ज़िक्र नहीं है। फिर तरकारी में 'सूरन' शब्द है। वैसे यह शब्द यहां राजस्थान के लिए कोई अपरिचित सा शब्द तो नहीं है लेकिन उदयपुर के प्रसिद्ध रतालू, शकरकन्द जो कि हमारी कृषि उपज हैं उनका कहीं नाम नहीं है। ऐसी चीजें जिनको यहां होना चाहिए वह नहीं हैं।

यह मैं मानती हूँ कि इसके साथ ही साथ विधेयक में एक और धारा ३४ रखी हुई है। उसके अनुसार हमारी राज्य सरकार गजट में सूचना देकर इस सूची को घटा सकती है

(डॉ० चन्द्रकला)

और बढ़ा सकती है। पर देखते ही मुझे उसकी यह गल्ती मालूम पड़ी! ऐसी सूची को घटा और बढ़ा सकते हैं, यह तो ठीक है लेकिन यह सूची बनाते समय आपको मालूम होना चाहिए कि किन किन चीजों की पैदावार हमारे यहां नहीं होती हैं जैसे इसमें लौंग, इलायची के लिए लिखा है। यह तो हमारे यहां होती ही नहीं हैं। मैं सोचती हूँ कि राजस्थान के बहुत से किसानों ने तो इसके पेड़ को देखा तक नहीं होगा। किसी शौकीन राजा-महाराजा के बगीचे में दो-चार पेड़ प्रदर्शन के लिए हो सकते हैं लेकिन जो अनुसूची रखी गई है उसको देख कर लगा कि क्या कृषि विभाग ऐसा ही काम करता है कि सूची बनाते समय इन और और चीजों के नाम और संख्या गिना कर 'आदि' शब्द जोड़ देते हैं जिससे सारी बचत हो जाती है। इस बात को देखकर लगा कि इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके बाद इसके अन्दर 'कृषक' की परिभाषा और भी सुन्दर दी हुई है उस परिभाषा में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिससे कृषक होने से कोई बच जाता हो। कोई भी कृषक बन सकता है। जो स्वयं खेती करता है या अपने नौकरों से काश्त करवाता है, दलाली करता है या विक्रय करता है, ऐसा इसमें दिया हुआ है।

कृषक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो सामान्यतः स्वयं या अपने आसामियों या भाड़े के मजदूरों द्वारा या अन्यथा कृषि उपज के उत्पादन या विकास में व्यस्त हों, उसको तो कृषक मान लिया गया लेकिन इसमें कृषि उपज का व्यापारी या दलाल शामिल नहीं है चाहे ऐसा व्यापारी या दलाल भी कृषि उपज के उत्पादन या विकास में व्यस्त क्यों न हो। यानी वह व्यक्ति जो किसी भी तरह से कृषि उपज के बढ़ाने में व्यस्त हो कृषक मान लिया जायगा लेकिन अगर वह खुद व्यापार करता है, भले ही वह उत्पादन करता हो, कृषक नहीं माना जायेगा। इस तरह की परिभाषा से, जिस तरह की भावना इस विधेयक को लाने की रही है और जिसको देखकर ही लोग इसका स्वागत करना चाहते हैं, वे सारे भाव खत्म हो जाते हैं। क्योंकि हम यहां देखते हैं और मैं तो यहां जयपुर शहर में देखती हूं बहुत सारे लोग साग-सब्जी का व्यापार करते हैं उनके अपने छोटे २ फार्म भी हैं, वे खुद खेती भी करते हैं, वही साग-सब्जी का उत्पादन भी करते हैं और व्यापार भी करते हैं। किसी के चार भाई हैं तो एक भाई तो दूकान करता है और तीन भाई खेती करते हैं, स्वयं खेती करके उत्पादन करते हैं। उन लोगों को आप किसान नहीं मानेंगे जो खेती तो भले ही करता है लेकिन जो व्यापार करता हो या दलाली करता हो तो उसको आप कृषक नहीं मानेंगे। इस तरह से कोई भी नौकर रख कर खेती करवा ले, मैं विधान सभा की सदस्या हूं, हमारे नाम पर कोई जमीन लेकर नौकर रखकर खेती करवा ली और मैं कृषक हो जाऊंगी लेकिन जो स्वयं परिश्रम करके खेती तो करता है लेकिन व्यापार या दलाली भी करता है तो वह कृषक नहीं माना जायेगा, यह बात तो ठीक नहीं है। अब इसकी धारा २ में यह प्रावधान किया गया है कि कृषक कौन है। अगर कृषक के बारे में कोई झगड़ा खड़ा हो जाय तो उसका फैसला संचालक करेंगे। जब इतनी सारी बातें परिभाषा में रख देते हैं और उसके बाद भी यह संचालक

[redacted]

(डॉ० चन्द्रकला)

पर छोड़ देते हैं कि वह जिसको चाहेंगे उसको कृषक बता देंगे और इसमें संचालक का निर्णय अंतिम होगा या यह भी उपयुक्त नहीं लगता है। सबसे पहले तो मूलभूत बात को इसके अन्दर लेना पड़ेगा कि कृषि उपज के अन्तर्गत क्या क्या लेना चाहिए और कृषि की परिभाषा में क्या क्या होना चाहिए।

इसके बाद हम आगे चलते हैं तो इसमें मंडी निर्माण की योजना है। इस बिल के अनुसार मंडियों का निर्माण किया जायेगा और मंडियों का निर्माण सब क्षेत्रों में होग नगरपालिका में और नगरपालिका के बाहर। नगरपालिका के क्षेत्र में अगर मडियों का निर्माण होगा तो नगरपालिका की सलाह से होगा और नगरपालिका के बाहर होगा तो सरकार अपने इस विधेयक के इस एक्ट के तहत में वहां पर समितियों का निर्माण करेगी। उन समितियों का निर्माण करेगी यह तो ठीक है, सहकारिता की भावना की दृष्टि से सरकार जो काम करना चाहती है उसके लिए तो ठीक है। आज भी कई मंडियां सहकारिता के आधार पर चल रही हैं, साग-सब्जी वालों की सहकारी समितियां हैं, यह तो ठीक है, लेकिन उसके नियंत्रण के बारे में जो प्रावधान है उसके बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। अभी जो सहकारिता के आधार पर समितियां हैं वे तो कुछ ही जगहों में बड़े २ शहरों में ही हैं, लेकिन इस विधेयक से जहां पर किसी तरह की पैदावार होती है, उसके लिए जानकारी करके, आवागमन की सुविधा कृषक के लिए और सब लोगों के लिए देख कर मंडी घोषित करके मंडी बनायेंगे और वहां पर मंडी समिति का, उस क्षेत्र की मंडी के काम के लिए मंडी समिति का निर्माण करेंगे और वह समिति सारे कारोबार करेगी। इस मंडी समिति के निर्माण में, जो मंडी समिति बनेगी उसके गठन के बारे में बताया गया है इसके १३ सदस्य होंगे और सरकार अपने नोटिफिकेशन के द्वारा कम और ज्यादा भी कर सकती है। इसमें सात सदस्य तो ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि उस मंडी समिति से सम्बन्धित कृषकों या कृषि संगठनों में से चुने जायेंगे। तो यह जो कृषक की परिभाषा आप इतनी लचीली रखेंगे कि कृषक चाहे जो हो सकता है और इसके साथ साथ आप प्रतिबन्ध लगायेंगे कि संचालक का निर्णय अंतिम होगा तो इस प्रकार के कृषकों एवं कृषक संगठनों से सात सदस्य होंगे। इसके अलावा दो सदस्य वे होंगे जो मंडी समिति द्वारा अनुमोदित व्यापारियों में से होंगे और दो सदस्य ऐसे होंगे जो सहकारी मार्केटिंग समितियों तथा सहकारी केन्द्रीय वित्तीय एजेंसी जैसी कि राज्य सरकार निर्धारित करे, इसमें से दो सदस्य होंगे। इसमें यह देखने की आवश्यकता है कि जो मंडी समिति के सदस्य हों वे ऐसे व्यक्ति हों जो कृषकों के अधिक से अधिक हितों को देख सकें। इस विधेयक में यह भी देखना होगा कि हम सब मेहनत करते हैं और हमारा उत्पादन भी बढ़ा है, आज हमारे कृषक परिश्रम करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं और इसमें वे सफल भी हुए हैं, लेकिन फिर भी मंहगाई की समस्या वैसीहीबनी हुई है, खाद्य समस्या भी उसी तरह की है तो इसका कारण क्या है कि जो हमारी वितरण की व्यवस्था है वह अच्छी नहीं है और इसलिए उसको हम जितना जल्दी ठीक कर सकें, अच्छा है। इसमें भी हमको यह देखना पड़ेगा

Page No.44

(डॉ० चन्द्रकला)

कि मंडी समिति उस काम को अच्छी तरह से कर सकती है या नहीं और इस पर प्रवर समिति में विचार कर लेना ठीक होगा ।

इसके साथ ही हमने मंडी समिति को अधिकार भी दिए हैं कि वह सारे काम कर सकती है, सारी व्यवस्था कर सकती है और यह आवश्यक भी है कि अच्छी तरह से काम करने के लिए सारे अधिकार देने चाहिए। इसका तो मैं समर्थन करती हूँ। इसके साथ साथ जो मंडी समिति को सुपरसीड करने का, उसके सुपरसेशन का, मंडी समिति को भंग करने का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा है, जहां तक इस अधिकार का सवाल है, सरकार को अपने पास यह अधिकार रखना चाहिए, उस पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से भी। लेकिन जिस तरह से हमारी सरकार अपने इस अधिकार का उपयोग कर रही है और जिसका बहुत कटु अनुभव हमको हो रहा है, हम दूर न जायं, जयपुर नगरपालिका के सम्बन्ध में ही जिस प्रकार का अनुभव हम कर रहे हैं कहीं वैसा ही अनुभव मंडी समितियों को भी न करना पड़े। यह अधिकार जो दिया जाता है वह तो जनता की सुविधा के लिए दिया जाता है, यह सरकार की अपनी सुविधा के लिए नहीं दिया जाता और सरकार इसको अपनी विम्स एन्ड फेन्सीज़ पर इस्तेमाल करती है, कानून का पालन करने की अपेक्षा दूसरे कानून बना दिए जाते हैं तो जो अधिकार सरकार को दिया जाता है उसका न्यायपूर्वक पालन होना चाहिए। यह बात ठीक है कि जो लोग कानून-कायदे नहीं मानें और कानून कायदों का पालन न करें उनको सरकार सुपरसीड कर सकती है। जो प्रावधान रखा है तो उस प्रावधान का उपयोग सरकार कभी एक संरक्षक की दृष्टि से करे तो ठीक है लेकिन जिस अधिकता से और जिस रूप में आज इसका उपयोग किया जा रहा है वह ठीक नहीं है। इसलिये यह भी इसमें सोचना पड़ेगा। सरकार को इस प्रकार मंडी समितियों में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार देना ठीक होगा या नहीं, यह भी इसमें सोचना पड़ेगा। इस तरह से माल और समितियों के निर्माण के सम्बन्ध में जो प्रावधान है और उसमें सारे अधिकार संचालक, कृषि विभाग को दिए गए हैं और समितियों के निर्माण में यह रखा गया है कि जो कृषकों के संगठन हैं समितियां हैं, जो उनकी सहकारी समितियां हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनको मंडी समितियों के अन्दर रखा जायगा और उन पर नियंत्रण सरकार का होगा। यह नियंत्रण ढीला होना चाहिए, ऐसा मैं महसूस करती हूं। मैं यह मानती हूं कि यह विधेयक बहुत उपयोगी है और जल्दी से जल्दी पास होकर कार्यान्वित होना चाहिए, लेकिन इसके साथ जो इसमें खामियां दिखाई पड़ती हैं, जो कमियां दिखाई पड़ती हैं, अगर उनको दूर किए बिना ही इसी तरह से इसे पास कर दिया गया तो जिस उद्देश्य से हम इस काम को करने जा रहे हैं वह काम पूरा नहीं होगा। इन सब कारणों को देखते हुए मैं यह महसूस करती हूं कि अगर इसे प्रवर समिति में भेजा जाता है, प्रवर समिति इस पर अच्छी तरह से विचार करती है और विचार करने के बाद इस विधेयक को पेश करती है तो हम निश्चित रूप से जो किसानों को राहत देना चाहते हैं, कि कृषि उपज का अधिक से अधिक उपयोग ठीक ढंग से हो, खाद्यान्न की समस्या का हल हो, इन सब बातों

Page No.45

(डॉ० चन्द्रकला)

को देखने के लिए विधेयक का प्रवर समिति को भेजना ही उचित होगा और हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकेंगे। मैं आशा करती हूं कि मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार होगा।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है, मैं इसका समर्थन करती हूं समर्थन करने के जो कारण हैं उनको सबसे और पहले, अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूं कि मुझे अपने विधि विभाग के बारे में कहना पड़ेगा कि हमारा विधि विभाग न जाने किस पिनक में रहता है। हालांकि मैं विधि विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन फिर भी विधेयक के अन्दर जो खामियां हैं, अध्यक्ष महोदय, इसकी पहली धारा के अन्दर इसमें बिल्कुल नहीं है कि यह कब से लागू होगा। यह एक सोचने की चीज है कि हमारा विधि विभाग किधर रहता है। दूसरा, इस विधेयक के अन्दर एक धारा है वह प्रजातंत्र के अनुकूल नहीं लगती। इसकी धारा ३१ में दिया गया है कि नियम बनाए जायेंगे और विधान सभा में पेश किए जायेंगे और पास करने के बाद भी सरकार उस नियम को अगर वह चाहे तो लागू करे या न करे। इस प्रकार की बात रखी गई है विधि विभाग की ओर से जो प्रजातंत्र के उसूलों के बिल्कुल विपरीत जाती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के विधेयक को पास करने से पहले प्रवर समिति में अवश्य ही विचार कर लिया जाय जिससे भविष्य में इस प्रकार की बातें न हों और लोगों को यह कहने का अवसर न मिले कि हम किस प्रकार विधेयक पास करते हैं। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केटिंग बिल है जिसे कि हम किसानों के हित के लिए बनाना चाहते हैं, खास तौर से किसानों का जो प्रोडक्शन हो उसका उचित मूल्य उन किसानों को मिले, उसके लिए यह कानून बनाने वाले हैं। खास तौर से मंडी कमेटियों का निर्माण होगा। वे एग्रीकल्चरिस्ट्स जो हैं उनकी राय से किया जायगा, लेकिन किसान की जो परिभाषा इसमें की गई है वह बड़ी ताज्जुब की चीज है। दूसरा काम करनेवाला व्यक्ति कोई दूसरा काम करने लगे तो कतई एतराज नहीं है, मगर यदि खेती करने वाला व्यक्ति अपने प्रोडक्शन को बेचने के लिए दूकान कर ले तो वह कृषक की परिभाषा में नहीं आयेगा। तो राजस्थान सरकार एक नया डाइरेक्टर अपॉइन्ट करेगी जो मार्केटिंग के अधिकार में रहेगा, वह तय करेगा कि वह कृषक है या नहीं। इस प्रकार एक खेती करने वाला व्यक्ति अगर किसी तरह का व्यापार करने लगता है अपने प्रोडक्शन को सेल करने के लिए, उस मार्केट के अन्दर कोई व्यापार करता है तो किसान नहीं कहलायेगा। तो इस प्रकार की वह परिभाषा है। मान लें कि कोई दलाली भी करता है तो वह कोई गुनाह नहीं करता है। उसको भी पूरा अधिकार होना चाहिए मंडी कमेटी के अन्दर।

दूसरी बात जो मंडी कमेटी के अन्दर है वह उसका ठीक है। इस बिल में यह व्यवस्था है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन होंगे। आज ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्थिति है? एक स्वतन्त्र व्यक्ति जो किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के अन्दर रहने वाला नहीं है, उसका क्या स्थान

(डॉ० बहादुरसिंह)

होगा मंडी कमेटी के अन्दर; इसकी कोई व्यवस्था नहीं है।

इसके साथ में जहां आढत का प्रश्न आता है तो लेवी की वहां पर प्रेस्क्राइब कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि आज १) रू० या १।) रु० सैकड़े की आढ़त से काम होता है। आप यह निश्चित कर दें कि १) रु० सैकड़े की व्यवस्था की जाती या और निश्चित लेवी की होती तो ज्यादा उपयुक्त होता।

इसी तरह से इसके अन्दर जहां पैनाल्टी का प्रश्न है यानी मार्केटिंग सोसाइटी जो पैनल्टी लगाने वाली है वह भी बहुत ज्यादा लगा दी गई है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से कोई सोसाइटी बने उस सोसाइटी को इस प्रकार से ५० रू० १०० या २००) रु० की पैनल्टी लगाने का अधिकार नहीं देना चाहिए। इसमें बाई लॉज़ बनाने का अधिकार है। वह बाई लॉज मंडी कमेटी की व्यवस्था के लिए बनाये जा सकते हैं न कि किसी प्रकार की पैनल्टी इम्पोज़ करने के लिए। मान लें कि किसी के यहां बाटों की किसी प्रकार की कमी है तो वेट्स एन्ड मेज़रमेंट एक्ट के अन्तर्गत उसका चालान किया जा सकता है। दूसरे कानूनों की अवहेलना वह दूकानदार करता है तो उस प्रकार से सज़ा दी जा सकती है, लेकिन मंडी कमेटी को इस प्रकार का अधिकार नहीं दे सकते कि वह व्यक्ति का चालान करे और मन माफिक जैसा चाहे वैसा फैसला दे। इसमें जरूरत है संशोधन की जो कि किया जाना उचित है।

इसके बाद में इस बात का पूर्णत: समर्थन करता हूं कि सिलेक्ट कमेटी में जिस वक्त जायगा उस पर कम से कम विस्तार पूर्वक विचार किया जा सकता है और विभाग भी इस पर अच्छी तरह से सोच लेगा, विधि विभाग भी इस पर सोच लेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना उचित है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि उपज विपणि विधेयक, १९६० को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, इसके विषय में मेरा एक प्रस्ताव है। बहुत समय से इस बात की मांग की जा रही थी कि हमारे काश्तकार मंडियों के अन्दर अपना जो अनाज वगैरह लेकर जाते हैं तो उनका वहां पर शोषण होता है। साहूकार कही जाने वाली कौम काश्तकारों के खून और पसीने की कमाई को बहुत आसानी से, बहुत थोड़े पैसों में खरीद लेती है। इसकी मांग कई बार की गई कि मंडी कीरीति-नीति को निर्धारित करने के लिए, रेग्युलेट करने के लिए एक कानून बनना चाहिए। अभी जब कि हमारी केबिनेट कोटा में गई थी उस समय मैंने अपनी पार्टी की ओर से इस बात की मांग की थी कि हमारे यहां जो मंडियां हैं उनमें काश्तकारों के साथ किसी भी प्रकार से न्याय नहीं किया जाता है और उनके साथ न्याय करने के लिए बहुत आवश्यक है कि एक मंडी कमेटी कानून लाया जाय। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि हमारी राज्य सरकार ने इस प्रकार का एक विधेयक राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किया है। लेकिन मुझे देखकर यह दुःख होता है कि जिस प्रकार का पुराना ढ़ांचा था जिसमें कि साहूकारों का ही रिप्रेजेन्टेशन था, उनके ही हितों की हिफाजत होती

Page No.47

(श्री दयाकृष्ण विजय)

थी, उसी प्रकार की सारी बातों को लेकर वे इस कानून के अन्दर रखी गई है, काश्तकारों के हितों की रक्षा का ध्यान इसमें कतई नहीं रखा गया है। मैं इस विधेयक को इस तरह से बुर्जुआ, दकियानूसी ख्याल का कह सकता हूं।

मैं बताना चाहूंगा कि इसकी धारा १८ है, जिसकी शिकायत आम किसानों को थी। किसान पैदावार लेकर मंडी में पहुँचता है। कोई भी सेठ या दलाल सबसे पहले अपने सेम्पल के नाम पर उससे काफी अनाज लेकर इधर उधर दूकानों पर बांट आयेगा। इसके बाद तुलाई की प्रथा तकड़ा की जो है, कांटा कहीं होता है और कहीं नहीं होता है, जो तुलेरा है वह कांटे से मार लेगा उस किसान को। इसके बाद जितने हम्माल हैं वह सब हम्माल अपनी तुलाई उन्हीं काश्तकारों से उस तरह से ले लेंगे। साहूकार की जेब से कुछ जानेवाला नहीं है। इसके बाद साहूकार अपनी आढ़त के पैसे उसके पैसों में से काट लेगा। यानी काश्तकार को क्या लाभ हुआ? काश्तकार अपनी फसल को लेकर मंडी में पहुँचता है, लेकिन काश्तकारों के हितों की रक्षा यह कानून किसी भी तरह नहीं कर सकता जब कि धारा १८ के अन्दर इस बात को रखा है। मैं मानता हूं कि आपने एक सेन्टेन्स पहले लगा दिया कि किसी भी प्रकार का मौका इसमें नहीं लिया जायगा। इसका जो लगाया जाता है आढ़त के नाम पर, वह नहीं लिया जायगा, लेकिन नीचे है, "No trade allowance permissible except as prescribed." और जो एक्सप्लेनेश ... । उसमें सब बातें आ गई कि जिनकी मुमानियत होनी चाहिए। इस एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं थी यहां पर। इस एक्सप्लेनेशन का जहां कि काश्तकार के लिए कानून बन रहा था कि उससे किसी प्रकार का गोक वसूल नहीं किया जायगा एक्सप्लेनेशन में वे सारी बातें आ गई। कौन सी बात छोड़ी गई, यह मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिस वजह से आप काश्तकारों के हितों की रक्षा करेंगे? क्या काश्तकारों से सेम्पल के नाम से अनाज नहीं लिया जायगा? क्या जो तरीका बताया गया है उसके अनुसार किसानों से नहीं लिया जायगा? किसानों की सबसे बड़ी तकलीफ मंडी में पहुंचने के बाद जो है कि मंडी में साहूकार जिस दिन यह तय कर लेते हैं कि अनाज का भाव नहीं बढ़ना चाहिए तो अनाज का भाव नहीं बढ़ता है। किसानों को मजबूर होकर १–२ दिन ठहरना पड़ता है। किसानों का खर्चा होता है। किसान को मजबूर होकर अपनी किस्मत में जो कुछ साहूकार ने लिख दिया है उसको लेकर लौटना पड़ता है। आप मार्केटिंग सोसाइटी बनाते हैं उसमें आपने उप-समिति बनाने का अधिकार दिया है। लेकिन कहीं इसमें प्रावधान इस बात का नहीं किया है कि एक कमेटी काश्तकारों की इस बात को बनायेंगे कि काश्तकार को अपनी पैदावार करने में कितना खर्च लगता है? एक बीघा या एक एकड़ में एक काश्तकार को इतना खर्चा होता है और जो इस प्राइस पर इतनी पैदावार हुई है तो इस पैदावार के अनुसार काश्तकार को कम से कम इतना पैसा मिलना चाहिए और उससे नीचे के भाव पर कोई अनाज नहीं बिकेगा। जब तक इस प्रकार का निर्धारण नहीं होगा, काश्तकार हमेशा इन सेठों और साहूकारों के चंगुल से बच नहीं

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सकते। कितने ही हम कानून बना दें लेकिन जब तक काश्तकारों की खेती का मूल्यांकन नहीं होता है तब तक काश्तकारों की उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जहां मंडी कानून बनाते हैं तो कम से कम यहां हमने जो कमेटी बनाई है उसके बारे में यह लिखा है कि काश्तकारों के प्रतिनिधि उसमें रहेंगे। मैं इसका स्वागत करता हूं, इसलिये कि इसमें काश्तकारों के ज्यादा प्रतिनिधि हैं और व्यापारियों के कम हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस मंडी कमेटी के सारे अधिकार सरकार ने अपने पास रख लिये हैं। लाइसेन्स देने का अधिकार सरकार के पास है, मार्केट कमेटी को किसी प्रकार का अधिकार सुपुर्द नहीं किया। मैं धाराएं पढ़ कर बता सकता हूं कि मंडी कमेटी के पास अधिकार नहीं हैं। यह कमेटी केवल नाम मात्र की कमेटी रहेगी।

मैं एक बात और बताना चाहता हूं। जो व्यापारी किसी प्रकार की गड़बड़ी करते हैं 'मोके' वसूल कर लेते हैं उसके लिये आपने ऑफेन्स रखा है, जुर्माना भी रखा है। लेकिन जब तक इस बात की व्यवस्था नहीं की जायगी कि वह रेगुलरली जो कार्यवाही करता है, अपराधी है उसको व्यापार कमेटी से निकाल दिया जायगा, उसका लाइसेन्स रद्द कर दिया जायगा, उसको व्यापारी के नाते जीने नहीं दिया जायगा, जब तक उसका सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जायगा तब तक उसकी आदत नहीं जायगी। कोई भी व्यापारी जुर्माना दे सकता है, जुर्माना देने से कोई व्यापारी नहीं घबराता। जब तक उसका सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जायगा तब तक वह चिन्तित नहीं रहेगा, चाहे आपने कितना ही जुर्माना किया हो। इसलिये यह आवश्यक है कि यह बात इसमें रखी जाय।

इसमें एक चीज और रखी है। चुनाव कराने की अवधि रखी है। पहली कमेटी सरकार बनायेगी उसकी अवधि दो साल की रखी है। आपने कानून बनाया, काश्तकारों को संतुष्ट किया यह कह कर कि तुम्हारे लिये कानून बनाया है लेकिन सरकार ने जो अस्थायी रूप से अपनी कमेटी मुकर्रर की वह दो साल तक काम करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने लंबे समय तक वह क्या करेगी? काश्तकारों की लिस्ट मौजूद है, वे लोग पंचायतों के चुनाव में मत देते हैं, उनकी लिस्ट तैयार है, बनाने में बहुत समय नहीं लगेगा और यह कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं होने वाला है। तो मैं बताना चाहता हूं कि इतना लंबा समय रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकार इसको अपने हाथ में रखना चाहती है, आनेवाले चुनावों तक इसको टालना चाहती है। आयन्दा चुनाव निकल जायेंगे, उनका परिणाम देखेंगे तब मंडी कमेटी के चुनाव करायेंगे। मैं समझता हूँ कम से कम ६ महीनों का समय रखा जा सकता है। लेकिन इतना लंबा समय रखना किसी भी प्रकार से वाजिब नहीं कहा जा सकता।

दूसरी बात यह है कि सरकार ने जो अधिकार अपने पास रखे हैं वे बहुत अधिक हैं। यदि किसी सदस्य को हटाना है तो सरकार ने मंडी कमेटी को वह अधिकार नहीं दिया है बल्कि सरकार ने अपने हाथ में रखा है: "may if it thinks proper" यदि सरकार उचित समझे तो हटा सकती है। यदि

(श्री दयाकृष्ण विजय)

मंडी कमेटी के सदस्यों से जिसकी बनती नहीं है ऐसे आदमी को थोपते हैं तो हर जगह पंचायतें बनती हैं, हमने हजारों संस्थाएं देखी हैं, यदि किसी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास करते हैं तो हटा सकते हैं, लेकिन मंडी समिति ऐसी बेकार, कमजोर और लचर बनाई है कि वह लाइसेन्स तक कैंसिल नहीं कर सकती, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। तो आखिर किस माने में इस प्रकार की कमेटी बनाने का ढोंग कर रहे हैं ? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सही बात तो यह है कि यह बिल बहुत अच्छा होना चाहिये था लेकिन इसमें बहुत कमियें हैं । सारी बातों को देखते हुए इस बिल को जल्दी में पास नहीं किया जाय। मैं चाहता हूं कि यह बिल जल्दी पास हो लेकिन दिल गवाही नहीं देता है कि जल्दी में कमियों के होते हुए भी पास कर दिया जाय। यदि गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के लिये लैंड एक्वीज़िशन की तहत एक्वीज़िशन की कार्यवाही करती है तो उस जमीन का मुआवजा भी सरकार मंडी कमेटी से दिलवायेगी। लेकिन इसके लिये सरकार जो खर्चा करती है वह खर्चा भी मंडी कमेटी को देना होगा। मंडी कमेटी को आपने कोई अनुदान नहीं दिया, ऋण दे सकते हैं लेकिन हैल्प के तौर पर एक पैसा भी नहीं दिया है। सारा पैसा उन किसानों को जो दूर दूर से गाड़ियें लेकर आते हैं, उन पर डालेंगे या व्यापारियों पर डालते हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं दे सकते। इसमें लिखा है कि जहां जरूरत होगी वहां सरकार से ऋण लिया जा सकता है, लेकिन सरकार उसकी सहायता करेगी, यह बात इसमें नहीं है, यहां तक कि जमीन खरीदी जायगी, उसका भी पैसा लिया जायगा। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार का कानून बनाना चाहती है और केवल शोषण के तरीके पर काम करना चाहती है। काश्तकारों को सहायता देनी चाहिये लेकिन इसमें सहायता किसी प्रकार से देना नहीं चाहती है।

मैं यह भी चाहता हूं कि किस किस प्रकार की उप समितियां या कमेटियां बनेंगी इसका भी इसमें उल्लेख होना चाहिये था। मैं बहुत सी बातों से सहमत नहीं हूं। जैसे एनिमल हस्बेन्ड्री को भी इसमें इन्क्ल्यूड किया जा सकता है। कोई फल या अनाज की मंडी हो सकती है लेकिन पशु; जैसे बैल, गायें, भेड़ बकरियें आदि का निर्धारण भी किसान करें, यह मेरी समझ में नहीं आता है। यदि आप मेला वगैरह लगाते हैं जहां पशु वगैरह की बिक्री होती है, यह अलग बात है लेकिन मंडियों में बैल वगैरह आकर नहीं बिकते हैं। इसके लिये आप अलग व्यवस्था करें तो अच्छी व्यवस्था होगी वर्ना मंडी कमेटी के पास भेड़, बकरियें, बैल, गायें, घोड़े आदि चीजें या दूसरी सब प्रकार की चीजें आ सकती हैं तो आखिर कोई अनाज की व्यवस्था करेगा, किसानों के हित की रक्षा करेंगे या मवेशियों के हित की रक्षा होगी। यहां आप १५ आदमियों पर इतना बड़ा भार डालना चाहते हैं जिसको वे वहन नहीं कर सकते। आप एनिमल हस्बेन्ड्री को इसमें से निकाल दें और कृषि की उपज के लिये रखें। खेती की जो उपज होगी वह एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा में आयेगा। पशु पशुओं में इनको इन्क्लूड करते हैं तो इसके लिये किसी प्रकार का आधार नहीं है। इसलिये मैं कहूंगा कि इसको पास करने में जल्दी न करें और इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और जो बहुत सी कमियें इसमें रह गई हैं उनको दूर किया जाय, तभी किसानों का हित हो सकता है और उनके लिये कमेटियां बन सकती हैं। इन सारी बातों को देखते हुए मैं इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव करता हूं।

Page No.50

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I have got to move an amendment.

श्री अध्यक्ष : आप यदि पहले बोलना चाहें तो पहले बोल लीजिये ।

श्री पी० के० चौधरी : I have got motion for Select Committee.

श्री अध्यक्ष : अमेंडमेंट इनका भी है । आप पहले बोलना चाहें तो बोल सकते हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग बिल पर सदन में विचार किया जा रहा है । मैंने इसमें एक संशोधन प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय । अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के अन्य स्थानों की तरह राजस्थान में भी हर साल कृषि की उपज बढ़ती जा रही है । लेकिन समस्या यह हो रही है कि कृषि की उपज बढ़ती जा रही है उसके साथ ही साथ क्वालिटी डिटीरियोरेट होती जा रही है और कृषि के उत्पादकों को ठीक मूल्य नहीं मिल पाता । उनको ठीक मूल्य मिल सके और क्वालिटी इम्प्रूव हो, उसके लिये एक ही साधन है और वह यह है कि इनके क्रय-विक्रय को मार्केटिंग के जरिये सुचारू रूप से चलाया जाय ।

(१ म० प०)

और इसलिए राजस्थान के अलावा देश के अन्य हिस्सों में इस प्रकार के कानून बहुत पहले बनाये जा चुके हैं । राजस्थान में भी इस महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह कानून सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। उसके लिए तो हम इस कदम की सराहना करते हैं और इस बिल का स्वागत करते हैं लेकिन यह बिल जितना महत्वपूर्ण है उतनी ही गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार किया जाना चाहिए । कुछ घंटों में इस महत्वपूर्ण बिल को यदि पारित कर दिया जाय तो इसके महत्व में कमी आयेगी, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि इसके सभी पहलुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार इस थोड़े समय में नहीं किया जा सकता है । मैंने इस बिल को ध्यान से पढ़ा तो देखा कि इसमें मार्केट्स के निर्माण करने, मार्केट कमेटी को बनाने और कुछ फन्ड्स की व्यवस्था करने, सुपरसेशन ऑफ मार्केट कमेटीज़ और रिमूवल ऑफ मेम्बर्स के क्लॉजेज़ के अलावा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे हम विश्वास दिला सकें जनता को कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह कानून बनाया गया है उन उद्देश्यों की पूर्ति होगी ।

जब हम इसको पढ़ते हैं तो पता लगता है कि मंडी कमेटी के निर्माण के लिए इसमें बताया गया है, लेकिन उस मंडी कमेटी के निर्माण के बाद उस मार्केट कमेटी के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्त्तव्य होंगे, क्या उनके फंक्शन्स और ड्यूटीज़ होंगी, क्या राइट्स और पॉवर्स होंगे, इसका जिक्र नहीं किया गया है । मतलब यह है कि एक बॉडी का निर्माण किया है लेकिन उसमें कोई जान नहीं डाली है । यह ऐसी बॉडी है जिसके लिए कह सकते हैं, a body without life and blood... यानी यह बॉडी केवल एक निर्जीव ढांचा है । किसी भी बॉडी की लाइफ उसके अधिकार और कर्त्तव्य, उसके फक्शन्स और ड्यूटीज़ हो सकते हैं, जिसका इसमें सर्वथा अभाव है । इसके कई कारण हो सकते हैं । एक कारण यह भी हो सकता है कि शायद सरकार के सामने पूरी तस्वीर न हो कि क्या अधिकार दे, क्या फंक्शन्स दे; क्या कर्त्तव्य रखे, क्या ड्यूटी रखे;

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इसलिए सोचा कि रूल मेकिंग पॉवर के तहत हम प्रोवाइड कर देंगे कि मंडी कमेटियों को क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या उनके कर्त्तव्य होंगे। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस विषय का इस मूल विधेयक में जिक्र नहीं किया जाय, उसके लिए रूल मेकिंग पॉवर के तहत शक्ति देना केवल अवांछनीय ही नहीं है, किन्तु अवैधानिक भी है। इस विषय में सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी ने भी अपने विचार अपनी रिपोर्ट में दिये हैं और लोक सभा की ऐसी ही कमेटी की रिपोर्ट से भी जाहिर होता है कि जिस विषय को हम विधेयक की मूल बॉडी में इन्कोर्पोरेट नहीं करते हैं उस विषय को हम रूल मेकिंग पॉवर के तहत बनाये गये नियमों में इनकोर्पोरेट करते हैं, तो वह सर्वथा अवैधानिक है और यदि सरकार ने ऐसी कोई तस्वीर बना रखी है कि आगे चल कर इन मंडी कमेटियों के क्या क्या अधिकार और क्या क्या कर्त्तव्य होंगे तो उनको इस विधेयक में इनकोर्पोरेट करने में कोई हानि नहीं है। आपने देखा होगा कि हमने ग्राम पंचायत एक्ट पास किया उसके अन्दर, ग्राम पंचायत के क्या क्या अधिकार एवं कर्त्तव्य होंगे, वह बयान किया, सरपंच के क्या अधिकार और कर्त्तव्य होंगे, वह बयान किया। हमने पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट पास किया, उसमें पंचायत समितियों और जिला परिषदों के क्या क्या कर्त्तव्य, फंक्शन्स और अधिकार होंगे, वह बयान किया, प्रधान व प्रमुख के क्या क्या अधिकार और कर्त्तव्य होंगे, इसका जिक्र एक्ट में किया। हमने म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट पास किया, उसमें कमेटी एवं चेयरमैन के अधिकार और कर्त्तव्य बयान किये। जो जो एक्ट हमने पास किये हैं उन सब में निर्मित कमेटियों के क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या कर्त्तव्य होंगे, वह बयान किया है। क्या वजह है कि हमने इसके अन्दर उनको बयान नहीं किया? आखिर लेजिस्लेचर क्या एग्ज़ामिन करती है? वह यह एग्ज़ामिन करती है कि जिस कमेटी का निर्माण किसी कानून के तहत करने जा रहे हैं और जिस उद्देश्य से उनका निर्माण किया जा रहा है, उस उद्देश्य की पूर्त्ति होगी या नहीं। यह तभी एग्ज़ामिन किया जा सकता है, जब यह मालूम हो कि उसके अधिकार क्या हैं, उसके कर्त्तव्य क्या हैं। इसलिए लेजिस्लेचर के एग्ज़ामिन करने के लिए अधिकार और कर्त्तव्य रूल मेकिंग पॉवर में इन्कोर्पोरेट न करके, विधेयक को मेन बॉडी में इन्कोर्पोरेट करना आवश्यक था। हमने देखा है कि इसमें क्लॉज़ ११ रखा हुआ है, क्लॉज़ १६ रखा हुआ है और क्लॉज़ २३ रखा हुआ है। क्लॉज़ ११ में सरकार ने बड़ी सावधानीपूर्वक प्रावधान किया कि मार्केट कमेटी को अधिकार होगा कि सरकारी कर्मचारियों को अपने यहां नौकर रखे, इसमें कर्मचारियों की पेन्शन, ग्रेचुइटी, लीव अलाउन्स, प्रोविडेन्ट फन्ड के लिए सतर्कता से प्रावधान कर रखा है। गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के बारे में रूल मेकिंग पॉवर्स में रख देने से उन्हें किसी पर्दे में न फंसना पड़े, उनके अधिकार सुरक्षित रह जायं। जहां आप गवर्नमेंट सर्वेन्ट के अधिकार सुरक्षित रखने की दृष्टि से एक्ट में प्रावधान कर देते हैं, वहां मार्केट कमेटी के क्या क्या अधिकार और कर्त्तव्य होंगे, उनका प्रावधान क्यों नहीं करते हैं, इसका क्या कारण है? क्लॉज़

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

१९ और क्लॉज़ २३ में यह है कि जब मेम्बर अपनी ड्यूटी का पालन नहीं करेगा, बिल्कुल डिफॉल्ट करेगा तो वह हटाया जा सकेगा। इसलिये मार्केट कमेटी ड्यूटी का पालन नहीं करेगी तो वह सुपरसीड हो जायगी किन्तु हमें मालूम नहीं कि किन ड्यूटीज़ का पालन करें, तो supersession or removal का प्रावधान लागू होगा यह रूल मेकिंग पॉवर के ऊपर छोड़ दिया गया है तो उससे यह कैसे अन्दाज लग सकता है कि मेम्बर की क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी? इसलिए इन सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना होगा, अधिकार और कर्तव्य, को विधेयक की मूल बॉडी में इन्कोर्पोरेट करना अत्यन्त आवश्यक है। दूसरा सवाल यह है कि हमने देखा है कि एक क्लॉज सात है, एक क्लॉज चार है। क्लॉज सात के तहत लाइसेन्स देने का अधिकार दिया है और क्लॉज चार के तहत स्टेट गवर्नमेंट और डाइरेक्टर किस प्रकार मार्केट का डिक्लेरेशन करेंगे, वह लाइसेन्स देंगे, यह है। क्लॉज़ सात के तहत मार्केट कमेटी को लाइसेन्स देने का अधिकार दिया है, यह अधिकार दिया है कि जिसके पास लाइसेन्स नहीं हो, वह ऑपरेट नहीं कर सकेगा। उस क्षेत्र में इसका मतलब यह है कि क्रय-विक्रय का कार्य वही कर सकेगा जिसके पास लाइसेन्स हो और वह उनको दिया जायगा जो इसमें बयान किये गये हैं, ट्रेडर्स कमीशन एजेन्ट्स, ब्रोकर्स, वे मैन, मेजरर्स, सर्वेअर्स वेअर हाउसमैन, आदि। अब हम चाहते हैं कि क्रय-विक्रय इन एजेन्सियों द्वारा हो। लेकिन आज इसके अन्दर कहीं मार्केटिंग सोसाइटी का नाम नहीं है, इसमें कहीं एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम नहीं है। क्या हम चाहते हैं कि क्रय-विक्रय मार्केटिंग सोसाइटी के द्वारा न हो, क्या हम चाहते हैं कि क्रय-विक्रय एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा न हो? जब देश का नारा बन चुका है, सहकारिता, आज सहकारिता एक्सेप्टेड स्लोगन ऑफ दी कन्ट्री है, सारी चीजें सहकारिता के आधार पर हो तो फिर इन्डीविजुअल को प्रिफरेन्स देकर सहकारिता को बलाए ताक क्यों रखते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो दफा सात में ट्रेडर्स, कमीशन एजेन्ट्स ब्रोकर्स आदि जहां लिखते हैं, वहां आपको मार्केटिंग सोसाइटी ऑफ दी एरिया लिखना चाहिए, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ दी एरिया लिखना चाहिए, जिससे यह साबित होता हो कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है, यह कानून, जैसा मुझे मालूम हुआ है, १९५४ में इसकी सिफारिश हुई और १९५५ में यह बन गया। इसको बने हुए पांच साल हो गये। यह कहा जाता है कि हैदराबाद के मॉडल पर बना है। लेकिन हैदराबाद का जो कानून बना है वह अब्सोलीट हो गया है आन्ध्र प्रान्त के बनने से और उसने एक नया कानून बना दिया है। वहां अनुभव प्राप्त हो गया है, इसलिए उन्होंने कमेटियां बनाई और कमेटियों बनाकर एक स्वरूप बनाया मार्केट कानून का और उसके अन्दर काफी तब्दीली कर दी गई है। इसी प्रकार की तब्दीली कई जगह की जा रही है। जहां तब्दीली की गई है वहां फंक्शन्स को बिल में इन्कोर्पोरेट किया है। लेकिन जो कानून ओब्सोलीट हो गया है उसके आधार पर अपना कानून बना कर सदन के समक्ष पेश

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

करना चाहते हैं ; जो कोई गौरव की बात नहीं है।

एक तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अन्दर और है: कम्पोज़ीशन ऑफ मार्केटिंग कमेटी का कम्पोज़ीशन के सम्बन्ध में बड़े विचित्र ढंग से प्रावधान रखा गया है। एक प्रावधान रखा गया है कि इसमें सात काश्तकार होंगे, जिन्हें काश्तकारों के ऑर्गेनाइजेशन चुनेंगे। राजस्थान के अन्दर किसानों का कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके बहुत से मेम्बर्स हों, जिसका रेकॉर्ड हो, जिसका काम हो, जिसका कार्य क्षेत्र हो, दफ्तर हो। फार्मर्स फोरम एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे किसानों का संगठन कहा जा सकता है। पर यह भी राजस्थान के अन्दर सब जगह नहीं है और सदस्यता कुछ जगह ज्यादा है तो कुछ जगह नाम मात्र को है। आप चाहते हैं कि नाम मात्र के ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी mass मेम्बरशिप न हो, जिसका रेकॉर्ड नहीं हो, वह सात आदमियों को चुने और वे सात आदमी सब एग्रीकल्चरिस्ट्स को रिप्रेजेन्ट करें। शायद यह मन्शा नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूं। एक फार्मर्स फोरम संस्था है। एक कम्युनिस्ट किसान सभा का ऑर्गेनाइज़ेशन है। इस कानून से पता नहीं चलता कि कौनसा ऑर्गेनाइजेशन उन आदमियों को चुनेगा। क्या दोनों चुनेंगे, या एक चुनेगा ? अगर दोनों चुनेंगे तो कौन संगठन कितने कितने सदस्य चुनेंगे ? उसका कोई प्रोसीजर विधेयक में नहीं है। प्रोसीजर रूल में बनाया जा सकता है, लेकिन यह बेसिक प्रिन्सिपल की बात है, महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे नाम मात्र के ऑर्गेनाइजेशन जब सारे एरिया के एग्रीकल्चरिस्ट्स को रिप्रेजेन्ट करेंगे तो क्या किसानों का सही प्रतिनिधित्व हो सकेगा ? एक बात दूसरी और है, जो ट्रेडर्स होंगे, उसके अन्दर एक पूंछ ऐसी लगाई है कि ट्रेडर्स वोटर्स वे होंगे जिनको मार्केटिंग कमेटी एप्रूव कर देगी। यह हमने कभी नहीं सुना कि वोटर्स वे होंगे जिन्हें मार्केटिंग कमेटी एप्रूव करे, वे वोट दें और इनके द्वारा जो चुना जायगा वही मेम्बर होगा। जब इस क्लॉज़ के एक सब-क्लॉज़ में प्रावधान रखा है: if there is no such organisation. the agricul-turists of the area will elect seven members तो फिर ये ट्रेडर्स वोटर्स एप्रूव्ड बाई दी मार्केटिंग कमेटी हो, इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन लगाना कहां तक न्यायसंगत है ? कोई भला व्यापारी जिस तरह इसमें निर्माण का ढंग बताया गया है मार्केटिंग कमेटी का सदस्य नहीं बन सकेगा। इस तरह से यह भी विचारणीय प्रश्न है। इतना ही नहीं, जब हम यह मानते है कि एग्रीकल्चरिस्ट्स के लिये मार्केटिंग सोसाइटीज़ सही माने में प्रतिनिधित्व करेगी और उसके लिए हमने उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रावधान रखा है वहां पर हमने यह भी प्रावधान रखा है कि दो सदस्य उन मंडियों, जिसके लिए मन्डी समिति स्थापित की गई हो, में स्थित ऐसी सहकारी मार्केटिंग सोसाइटीज़ तथा कोऑपरेटिव फाइनेन्सिंग एजेन्सी, जैसा भी राज्य सरकार निर्धारित करे, के प्रतिनिधि होंगे। मेरा ख्याल है कि दो के बजाय चार सदस्य इन संस्थाओं में होने चाहिये जिससे कि खेतीहर लोगों को सही प्रतिनिधित्व हो सके। इसके अलावा तीन या दो को इसको मण्डी

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

की सदस्यता के लिए सरकार नोमिनेट करेगी । जिनको सरकार नोमिनेट करेगी वे कैसे होंगे और कैसे होने चाहिये ? इसका मतलब तो यही होगा कि ऊपर के स्ट्रक्चर के अनुसार जैसी उनकी मन्शा होगी उनके अनुसार दो सदस्यों को ले लिये जावेंगे । मैं समझता हूं कि यदि दो आदमियों को सरकार नोमिनेट ही करना चाहती है तो ऐसे दो व्यक्तियों को नोमिनेट करे जिनको एग्रीकल्चर और मार्केटिंग का एक्सपीरियेन्स हो तभी वे लाभदायक हो सकते हैं । आपने ७ पहले ही रखे हैं और २ को और रखा । एक-दो सदस्य पंचायतों के आ जावेंगे तो उन सब में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इस विषय में स्पेशल नॉलेज रखता हो और जो सबको इन मामलों में गाइड कर सके ? हमने पंचायत समितियों और जिला परिषदों में नॉमिनेशन का नॉमिनेशन रखा हैं और वहां भी special knowledge and experience रखने वाले व्यक्तियों के लिए ही । हालांकि यह नॉमिनेशन का तरीका खत्म कर दिया जाना चाहिये लेकिन फिलहाल जो रखा है इसमें तो ऑर्डिनरी ले-मैन ही आयेगा ऑर्डिनरी आदमी ही आ सकता है । इसमें तो किसी एक्सपर्ट आदमी को रखा जावे । समझ में नहीं आता कि आपने इसमें किसी एक्सपर्ट को नहीं रखा है । ये तीन दोष मैंने बताये हैं ।

चौथी बात यह है कि इसकी दफा ४ (२) में आपने सब क्लॉज में दिया है कि ऐसे क्षेत्र में धारा ६ के अन्तर्गत मन्डी समिति की स्थापना होने तक, राज्य सरकार के लिए किसी व्यक्ति को लाइसेन्स मन्जूर कर सकेगी और धारा ४ (३) के तहत डाइरेक्टर को लाइसेन्स देने का अधिकार दिया है । इसके आगे आपने सब क्लॉज ४ में डाइरेक्टर को अधिकार दिया है कि वह लाइसेन्स को रद्द कर सकता है । तो क्या वजह है कि यह दो तरह के प्रावधान यहां पर रखे गये हैं ? एक में स्टेट और दूसरे में डाइरेक्टर लाइसेन्स देंगे । आपने आगे चल कर प्रावधान रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट के दिये हुए लाइसेन्स को संचालक रद्द कर सकता है । समझ में नहीं आता कि वह उसको कानूनन कैसे रद्द कर सकता है? इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह लाइसेन्स दिया जाता है और उसके बाद मार्केटिंग कमेटी बन जाती है तो उसके बाद इसको कन्टीन्यू रखना कैसे वाजिब है ? इसमें शुरू से लेकर सेविंग क्लॉज तक दफा ४ (२) व (३) के तहत दिये गये लाइसेन्सों की सुरक्षा की गई हैं । तो मार्केटिंग कमेटी के निर्माण के बाद में उसको लाइसेन्स देने का अधिकार है और उसके बाद भी कमेटी उनको नियमान्तर्गत कैन्सिल नहीं कर सकती । वह सब बेकार रहेगा और कानून के अनुसार भी ठीक नहीं होगा । लेकिन मार्केटिंग कमेटी का प्रश्न आता है तो मार्केटिंग कमेटी को अधिकार दिया है लाइसेन्स देने का । लाइसेन्स को कैन्सिल करने का उनको अधिकार नहीं है । इसके लिये यह कहा जा सकता है कि जो इसको सेंक्शन करता है वही रिवोक कर सकता है । पर ऐसी बात नहीं है क्योंकि डॉइरेक्ट व स्टेटर गवर्नमेंट के लाइसेन्स देने व डाइरेक्टर को लाइसेन्स कैंसिल करने का अधिकार कानून में स्पेसिफिकली बयान किया गया है । इसी तरह मार्केट कमेटी को कैंसिल करने का अधिकार देना है तो इसमें प्रोविज़न कर दिया जाना चाहिये कि उनको रिवोक करने का अधिकार

Page No.55

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

होगा। इसके अलावा इस कानून को आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि आय के जरिये मार्केटिंग कमेटी के पास क्या होंगे। केवल लाइसेन्स फी ही आय बनाई गई है। आप क्लॉज १५ को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उसमें इतने आइटम्स हैं कि कमेटी के इस खर्चे को किस तरह से मीट करेंगे pay, pensions, leave allowances, gratuities, compensation for injuries resulting from accident. etc. etc वे सारे उनको देंगे। अगर जमीन भी सरकार से लेवे तो उनको कीमत देनी होगी। जहां देने का सवाल है वहां तो देना है लेकिन जहां आमदनी का सवाल है वह तो केवल लाइसेन्स फी से हो हो सकेगी। गवर्नमेंट ने उनको ग्रान्ट-इन-एड देने का और सब्सिडी देने का प्रावधान कतई नहीं रखा है। इसके अलावा मंडी बनाने के लिये कमेटी लोन ले सकती है। मगर जब लोन लेंगे तो उसका इन्ट्रेस्ट भी तो उनको देना ही होगा। असम्भव लगता है कि लाइसेन्स फी की आय से कमेटी अपने सारे खर्चे चला कर सफलतापूर्वक कार्य संचालन कर सके।

इसके अलावा आज तक किसी कानून में ऐसा नहीं रखा गया था जो इस कानून में रखा गया है और वह क्लॉज़ ३५ है। इसमें इस एक्ट की तहत जो रूल बनेंगे वे एसेम्बली के सामने रखे जावेंगे, ऐसा प्रावधान है। एसेम्बली चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है मगर आगे चल कर यह प्रावधान कर दिया है कि यदि असेम्बली द्वारा किये संशोधित रूल से मार्केट कमेटी के पर्पजेज़ डिफीट होते हैं या frustreate होते हैं तो असेम्बली द्वारा संशोधन नियम लागू नहीं होंगे और सरकार द्वारा बनाये गये नियम ही लागू होंगे : Rules made under this section shall be laid before the House of State Legislature at the session there of next following and shall be liable to be modified or rescinded by a resolution of the said House and such rules shall, aftr notification in the Official Gazette be deemed to have been modified or rescinded accordingly.' मैं इस पर यह अर्ज करना चाहता हूँ कि लेजिस्लेचर सुप्रीम पॉवर है और इसके द्वारा बनाये हुए कानूनों का पालन सारे देश में होता है। लेकिन इसमें डिपार्टमेंट वाले ऐसा क्लॉज़ रखते हैं जो लेजिस्लेचर की supremacy को चैलेन्ज करता है। यहां पर सभी लोग एकत्रित होकर उस कानून पर बहस करते हैं और सोच विचार कर उसको पास करते हैं और हमारे कृषि मंत्री जैसे विद्वान् भी यहां हैं। सदन में सभी विद्वान् हैं जो इसको बनाने में भाग लेते हैं but still the Government will notify that those modifications or rescission shall have no effect; हो जावे यह कोई अच्छी बात नहीं है। आज तक इस प्रकार की बात किसी लेजिस्लेचर में नहीं हुई है। इस तरह का प्रोविजन जो इसमें जोड़ा गया है कहीं भी नहीं है। इसलिये यह सारा का सारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिसको हमें बहुत थोड़े समय में यहां पर डिस्कस करके उस पर निर्णय करें, यह उचित नहीं होगा। इसलिये इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे। वहां पर सारी चर्चा तो आ सकेगी। कॉन्स्टीट्यूशन्स की बुक्स भी देख लेंगे और समय समय पर इस प्रकार जहां २ तब्दिली हुई है उनको भी देख लेंगे और उसके बाद यह एक परफैक्ट लॉ बनेगा तो अच्छा होगा। और अगर इसको जल्दी पास कर दिया तो मैं समझता हूं कि बहुत सी बातें रह जावेंगी। इसलिये मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे और सदन की यह परम्परा रही है कि जो बिल इस सदन ने पारित किये हैं वे दूसरी जगह के बिलों के मुकाबिले में अधिक प्रगतिशील एवं सम्पूर्ण है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन अगले सेशन के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करें।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात कही है। हालांकि यह बिल बहुत जरूरी है और हमको इसे बहुत पहले ही पास कर देना चाहिये था। हमको इसे आज से पहले ही इस बिल को कर देना जरूरी था। जैसा कि इस बिल के ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में कहा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है, इस बिल के जरिये हम रेगुलेटेड मार्केट करने जा रहे हैं। डेमोक्रेसी में हम कम से कम कन्ट्रोल्ड मंडी चाहते हैं for the spontaneous development of the market. मंडी चाहते हैं। यह क्यों चाहते हैं? इस पर हम अपने विचार प्रकट करते हैं। कन्ट्रोल्ड मार्केट हम इसलिये चाहते हैं कि हम जो एक्सचेन्ज हो आस-पास के बाजारों में, बिक्री होती है, सेलिंग और पर्चेज़िंग और बाइंग ऑफ गुड्स चलते हैं तो उसमें एग्रीकल्चरिस्ट की इन्कम तभी ज्यादा हो सकती है जब उसकी प्रोड्यूस है उसका नजदीक का मार्केट मिले या जहां डिमान्ड ज्यादा हो वहां पर प्रोड्यूस को ले जाकर बेच सके जिससे उसकी प्रोड्यूस को अच्छा पैसा मिले। मैं जो बात कहूंगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम स्टेन्डर्डाइज़ेशन ऑफ गुड्स चाहते हैं। हम स्टेन्डर्डाइज़ेशन करना चाहते हैं, हम ग्रेडिंग करना चाहते हैं। इससे जो फायदा होता है उसको, उसकी मिकदार को हम बढ़ाना चाहते हैं। जैसे व्हीट है या कॉटन है, उसका नम्बर कर दिया जावे। ट्रेड में नम्बर ही चलता है कि इतने नम्बर की कॉटन है तो व्यापारी को उसको देखने के लिये बम्बई से भीलवाड़ा या गंगानगर की प्रोड्यूस है, उसको देखने के आने की आवश्यकता नहीं। उसको बम्बई में नम्बर बता दिये जावें तो व्यापार किया जा सकता है।

तो नम्बर से बम्बई में गंगानगर की कोटन वगैर सेम्पल देख कर ही पर्चेज़ कर लेता है। ऐसा पर्चेजेज़ चलता है, यदि ग्रेडिंग कर दिया जाय। जैसे व्हीट खरीदना होता है, कॉटन खरीदना होता है या और कोई चीज खरीदनी होती है उससे, नम्बर से, उसको मालूम हो जाय कि उसका रेगुलेटेड मार्केट है। कन्ट्रोल्ड है और प्रोड्यूस है वह ग्रेडेड है या स्टेन्डर्डाइज्ड है। स्टेन्डर्डाइज्ड में यह होता है कि चाहे वह प्रोड्यूस गंगानगर से आये, बीकानेर से आये या कहीं और जगह से आये उसकी पर्टीकुलर क्वालिटी का नम्बर लग जाता है जो ट्रेड सर्कल में नम्बर रिकॉग्नाइज्ड है। गंगानगर की प्रोड्यूस गंगानगर के मार्केट में बिकती है; पर्चेजर है वह देख कर खरीदता है। स्टेन्डर्डाइजेशन हो जावेगा तो उस गेहूं को कलकत्ता में बैठा हुआ व्यापारी, मद्रास में बैठा हुआ व्यापारी अपने एजेन्ट के जरिये, एजेन्ट बता देगा कि १ नम्बर या २ नम्बर या ट्रेड के जो भी नम्बर किये गये हों, फलां नम्बर का व्हीट इस भाव है. वह बम्बई से पर्चेज़ कर लेता है, न तो उसको वहां पर आने की जरूरत है और न ही उसको सेम्पल देखने की जरूरत है। लेकिन इसके बिना जब तक सेम्पल नहीं देता है गेहूं का, वह उसको नहीं देखता है तो प्राइस कोट नहीं करता है और न ही ऑर्डर करता है। ग्रेडेड और स्टेन्डर्डाइजेशन का बड़ा फायदा है जो

Page No.57

(श्री पी० के० चौधरी)

यह है कि एग्रीकल्चरिस्ट की प्रोड्यूस के लिए मार्केट वाइड हो जाता है और वह वाइडेस्ट पोसिबल सर्कल में स्प्रेड हो जाता है। आज एग्रीकल्चरिस्ट प्रोड्यूस को नजदीक की मंडी में लाते हैं तो वे ही कस्टमर्स होते हैं और वे ही पर्चेज़र आते हैं, वे ही लोग माल देख कर पैसा बढ़ा देते हैं और पर्चेज़ करते हैं लेकिन ग्रेडेड हो जाता है तो एक पर्चेज़र मंडी में न आकर, जयपुर, दिल्ली, भरतपुर में बैठ कर तार से गंगानगर का गेहूं व्यापारी के मार्फत, अपने एजेन्ट के मार्फत पर्चेज़ कर सकता है। सेम्पल देखने की आवश्यकता नहीं है। केवल नम्बर का कह देता है कि इतने नम्बर का गेहूँ हो तो इतनी बोरी पर्चेज़ करो। तो आज स्टेन्डर्डाइजेशन और ग्रेडेड के न होने के कारण उसका मार्केट एग्रीकल्चरिस्ट्स के लिए बिल्कुल सीमित है, फिज़िकली भी बाहर भेजना उनकी रीच में नहीं है। जब ग्रेडेड हो जायगा तो फिज़िकली वगैरह कुछ नहीं रहता है। That mandi will be open for those at Bombay, Calcutta and Madras. इस प्रकार से उनका मार्केट वाइडन हो जाता है और मार्केट वाइडन हो जाने की वजह से उनको हायर प्राइस मिल सकती है। बम्बई की प्राइस, फ्रेट चार्जेज़ का पैसा जोड़ कर बम्बई में जो रेट है minus the freight and the commission Agents; इस प्रकार से एग्रीकल्चरिस्ट्स को ज्यादा पैसा मिल सकता है और यही वजह है कि इस कानून को लाया जा रहा है। एग्रीकल्चरिस्ट्स को फायदा हो सके, उनकी प्रोड्यूस वाइडेस्ट मार्केट में जा सके और बिक सके, इसी ख्याल से यह कानून लाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि ठीक है; उसमें ग्रेडिंग लगा दें, वर्किंग लगा दें, स्टेन्डर्डाइज़ कर दें। उसके एडल्ट्रेशन रोकने के लिए, उसमें मिक्सिंग रोकने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि पर्टीक्युलर मन्डीज़ की रेपुटेशन को डेवलप किया जाय कि इस मंडी में एडल्ट्रेशन नहीं होता है। जो व्यापारी कह देगा कि १ नम्बर चाहिये तो २ नम्बर नहीं मिलेगा उसमें और ३ और ४ नम्बर भी नहीं मिलेगा। चाहे ग्रेडिंग कर दिया और व्यापारी को इत्मिनान न हो, १ नम्बर मांगा और ४ नम्बर का मिक्स करके दे दिया; जो सामान अच्छी जगह पर बिकता है तो उस दूकानदार व्यापारी की रेपुटेशन पर बिकता है। कोई व्यापारी के पास जाता है तो जो वह रेटस बताता है उसी पर सामान खरीद लिया जाता है। बापू नगर में जाता है तो उसको ज्यादा भाव बताता है, चीज़ है तो परख कर देखो। यदि ग्रामोद्योग में गये तो हम नहीं देखेंगे कि कटा हुआ माल है या नहीं। दूकानदार की रेपुटेशन पर आधार है इसका। दूर बैठा हुआ पर्चेज़र भी यही देखता है। ग्रेडिंग कर दिया, स्टेंडर्डाइजेशन कर दिया और किसी मंडी की रेपुटेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सके तो दूर बैठा हुआ पर्चेज़र पर्चेज़ नहीं करेगा। सेम्पल देख कर तो कोई आदमी पर्चेज कर सकता है। उस मंडी में जो कस्टमर्स आवेंगे they are already in the reach of, the Agriculturist. ग्रेडेड ही किया, स्टेन्डर्डाइजेशन ही किया तब भी एग्रीकल्चरिस्ट को उससे फायदा नहीं मिलता है। सेम्पल देख कर देगा। ग्रेडिंग और स्टेन्डर्डाइजेशन का मतलब यह है कि गुड्स का मार्केट वाइडन हो जाता है। यह कानून जरूरी है और इसलिये पास करना चाहते हैं कि मंडी अच्छी हों, उसमें व्हीट, घी, कपास, कोई चीज हो उसमें ग्रेडेड और स्टेन्डर्डाइजेशन करेंगे। नम्बर से बिक सके, ताकि यहां के काश्तकारों को ज्यादा पैसा मिल सके।

(श्री पी० के० चौधरी)

इसी उद्देश्य को लेकर यह कानून बना रहे हैं। लेकिन जब इस कानून को पढ़ा तो यह महसूस होता है कि इस प्रकार के इम्पोर्टेन्ट कानून पर पूरा विचार नहीं किया गया है। उस पर पूरा विचार होना चाहिये। सबसे पहले मार्केट कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन देखा तो आखिर एग्रीकल्चरिस्ट के लिए कानून बना रहे हैं, उनके फायदे के लिए बना रहे हैं, कमेटी में एग्रीकल्चरिस्ट माइनोरिटी में रह जाता है। ७ तो उनके नोमिनी हैं, ६ दूसरे लोगों के और २ गवर्नमेंट के नोमिनी हैं। एग्रीकल्चरिस्ट या कल्टीवेटर्स के नोमिनीज़ या इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ हैं, they come in minority जैसा कि क्लॉज़ ६८ में है। सात तो एग्रीकल्चरिस्ट रिप्रेजेन्टेटिव होंगे, २ ट्रेडर्स होंगे, २ कोऑपरेटिव के होंगे, दो लोकल ऑथोरिटीज़ होंगे, एक नोमीनीशन से आता है। इस प्रकार से लोग आ जाते हैं तो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट की इसमें बहुतायत है। मैं समझता हूं कि यह जो ऑर्गनाइज्ड मार्केटिंग बिल बनाया जा रहा है वह एग्रीकल्चरिस्ट के लिए बनाया जा रहा है ट्रेडर्स का लेना उसमें जरूरी नहीं है। Traders are a party to this business. इसमें लोकल ऑथरिटीज़ किस तरह से आती हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है। गवर्नमेंट नॉमिनीज़ को इस दृष्टि से हम मान कर चल सकते हैं कि यह प्रिलीमिनरी स्टेज है, मार्केटिंग कमेटीज़ को प्रोपर गाइडेन्स दे सकते हैं। इस गाइडेन्स के लिए गवर्नमेंट का नॉमिनी रहना आवश्यक है। लेकिन जहां लोकल ऑथोरिटीज़ का प्रश्न आता है इसका जस्टिफिकेशन मेरी समझ में नहीं आता। मेरा इसमें यह निवेदन है कि पचास प्रतिशत तो कम से कम एग्रीकल्चरिस्ट तो इसमें होने चाहिये। ज्यादा हों तो साठ प्रतिशत और सत्तर प्रतिशत हो सकते हैं। ये जो सात रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ हैं उनको एग्रीकल्चरिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन चुनेगा। मैं समझता हूं, आज राजस्थान में there may be some technical men, but एग्रीकल्चरिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिये; किसी मार्केट में न हो तो वहां ऑर्गेनाइजेशन नोमीनेट कर सकते हैं। It may be a bogus organisation. एग्रीकल्चरिस्ट का जो रिप्रेजेन्टेटिव आयगा वह इस प्रकार का होना चाहिये जो प्रोड्यूस करता हो और मार्केट में लाकर बेचता हो। Those who go there to sell their produce...

१. ३२ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

क्योंकि इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि जो हम इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना चाहते हैं; ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बाकी जो संस्थायें हैं; जैसे फार्मर्स फोरम है इसमें से आ सकते हैं, बाकी जो हैं वे लैंडलैस एग्रीकल्चरिस्ट के ऑर्गेनाइजेशन हैं। Kisan Sabha have mostly specific interests of the Agriculturists...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व): आप किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेन्टेशन चाहते हैं?

Page No.59

श्री उपाध्यक्ष : Yes; please proceed on.

श्री पी० के० चौधरी : इसमें जो हमने एग्रीकल्चरिस्ट का रिप्रेजेन्टेशन रखा, आखिर सही मायने में उनका रिप्रेजेन्टेशन करेगा कौन और सही मायने में रिप्रेजेन्ट करे भी तो वे माइनोरिटी में रहेंगे।

इसके बाद और भी प्रोब्लम रखी गई है फर्स्ट टू ईयर्स में सरकार उसको नोमीनेट करेगी; यह तो ठीक नहीं है। जो मार्केट कन्ट्रोल कर रहे हैं it is a new experiment इसलिये कमेटी नोमीनेट करते हैं कि एक्सपेरीमेंट में जो हार्डशिप्स होंगी, रेगुलर मार्केट इसलिये कर रहे हैं to fetch a better price, to secure a better price of their produce. बेटर प्राइस सिक्योर करने के लिये कमिटी नोमीनेट करते हैं....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : On a Point of Information. एग्रीकल्चरिस्ट में जो क्लास जेनुइन है और दूसरी क्लास कौनसी है ?

श्री पी० के० चौधरी : इसमें कहा गया है, organisation of the agriculturists in the market...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : आपका मतलब यह है कि एग्रीकल्चरिस्ट की डेफीनिशन साफ नहीं है या आपका कहने का अर्थ दूसरा है ?

श्री पी० के० चौधरी : इसमें जो एग्रीकल्चरिस्ट के लिये दिया हुआ है वह सही नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : It is well defined.

श्री पी० के० चौधरी : It is well defined somewhere but in the market we know only of the traders. Agriculturists' mean residing in the market.

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बात भी इसमें रखी गई है टर्म्स ऑफ दी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन : "Every Market committee shall elect one of it's members to be its Chairman and another member to be it's Vice-chairman." इनके टर्म्स क्या हों ? चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के जो टर्म्स हैं वे सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन के अन्तर्गत गवर्नमेंट के अधिकार में रख दिये गये हैं। Election of the Chairman and Vice Chairman and that will be done by the Government यानि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के टर्म्स को रखना है तो वे स्टेच्यूटरिली यहां डिफाइन किये जाने चाहिये। इस प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन को जो सारे पॉवर्स दिये गये हैं उनमें से पचास प्रतिशत पॉवर्स सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन की लिस्ट में रखे गये हैं। मेरा ऐसा कहना है कि ये सारे पॉवर्स स्टेच्युटरी पॉवर्स कर देने चाहिये। एक एक आइटम पर मैं जाना नहीं चाहता more than 50% powers have not been delegated to the execution for the decision and they should have been delegated as statutory.

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, जो बहुत महत्व की है वह यह कि इस क्लॉज़ में जो कुछ मोडिफिकेशन हाउस प्रोपोज़ करे और

(श्री पी० के० चौधरी)

वह हाउस से पास हो जाय उसके बाद भी अगर सरकार यह समझे कि यह उपयुक्त नहीं है तो गवर्नमेंट उसको नलिफाइ कर सकती है । It is too much arrogance on the part of the Minister moving this Bill. For modifications made by this House, the Government becomes the Judge. It is too much arrogance on the part of the Hon'ble Minister.

श्री उपाध्यक्ष : Which is that clause ?

श्री पी० के चौधरी : It is on page 12, Sir. This clause 31 (5) says, "Rules made under this section shall be laid before the House of State Legislature at the Session thereof next following and shall be liably to be modified or rescinded by a resolution of the said House and such rules shall, after notification in the Official Gazette, be deemed to have been modified or rescinded accordingly;

Provided that, when, in the opinion of the State Government, such modification or rescision is likely to defeat or frustrate any of the purposes of this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, declare that the modification or rescission shall have no effect and thereupon the rules shall remain in force as if it had not been modified or rescinded.

I think, Sir, it is too much.

श्री उपाध्यक्ष : Yes. It appears to be very strange.

श्री पी० के० चौधरी : We have elected the Minister. We have made the Act and then in the light of this Act, the House is passing the...

(एक मंत्री महोदय द्वारा राजकीय दीर्घा के एक अधिकारी से बात करने पर)

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : On a Point of Order, Sir, the Hon'ble Minister is not allowed to talk with the officers in the Officers' Gallery.

श्री उपाध्यक्ष : This is no Point of Order. This has been a practice in this House for long and we have allowed.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : That was my submission, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Thats' all right.

श्री पी० के० चौधरी : So Sir, it is too much arrogance on the part of the Hon'ble Minister....

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Panwar, I am afraid, other Honb'le Members might not raise a Point of Order pertaining to you as well.

श्री पी० के० चौधरी : It is too much arrogant to nullify the verdict of this House. This is a Bill which provides such a provision according to which a decision taken by Asse-

Page No.61

(श्री पी० के० चौधरी)

mbly can be nullified by the Government. The House should not pass it and with these words, Sir, I recommend that the Bill be sent to the Select Committee.

श्री उपाध्यक्ष : Shri Ramkaran Singh.

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव आया है इसका मैं समर्थन करता हूं कि इसे सिलेक्ट कमेटी को विचार के लिये भेजा जाय।

इसमें सबसे पहली चीज़ यह देखने में आई है कि इतना बड़ा बिल बनाया इससे तो अच्छा यह होता कि केवल इतना सा एक रिज़ोल्युशन आ जाता कि एक इस तरह का कानून बनाने की बात है या रूल्स बनाये जावेंगे तो मेरे ख्याल से इतनी जो लॉ विभाग की मुसीबत हुई है उससे वह बच जाता।

दूसरे प्रोविन्सेज में इस प्रकार के बिल बन चुके हैं और वे आज एक्ट के रूप में वहां हैं। तो मैं जहां तक इसे पढ़ पाया हूं और इसमें जिस प्रकार की तोड़-मरोड़ की बातें देखी हैं, जिस प्रकार से इसमें ड्राफ्टिंग किया गया है, मैं समझता हूं कि यह नकल मात्र है। पर इस नकल में भी किसी प्रकार का सेन्स काम में नहीं लाया गया। यह भी कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है। तो इसमें नकल करने में भी अकल नहीं लगाई गई और कई चीजें इस प्रकार से इसमें लिख गये जिनके बारे में अभी फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने भी बताया था कि इसके क्लॉज़ ४१ में ऐसी चीजें कही गई हैं जो कि स्ट्रेन्ज हैं। एक अजीब बात देखने को मिली है कि इस प्रकार के पॉवर सरकार के पास हैं, न कि असेम्बली के पास, इस प्रकार के पॉवर्स जो असेम्बली हर चीज़...

श्री उपाध्यक्ष : This point has been enough stressed. There is no use stressing the same point again.

श्री रामकरणसिंह : मैं भी अर्ज करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप अर्ज नहीं करेंगे।

श्री रामकरणसिंह : क्यों नहीं करूंगा, मेरा राइट है।

श्री उपाध्यक्ष : Repetitions are not allowed. Mr. Chaudhary has very emphatically discussed this issue. I will, therefore, wish you to take another issue rather than repeating the same. This is my observation.

श्री रामकरणसिंह : आपने जो ऑब्ज़र्वेशन दिया उसकी कद्र करता हूँ, पर साथ ही सदन में विचार व्यक्त किये गये वे बहुत अच्छे हैं....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : ३१ क्लॉज पर काफी सदस्य बोल चुके हैं।

श्री रामकरणसिंह : इसके बारे में किसी प्रकार की रिलेवेन्सी नहीं है तो आप मुझे कह सकते हैं। पर जो चीज़ मेरी

(श्री रामकरणसिंह)

समझ में आ रही है इस बारे में माननीय सदस्य श्री पी० के० चौधरी ने कहा; उसके साथ साथ जो चीज़ रह गई है वह मुझे अर्ज करनी है।

श्री उपाध्यक्ष : That is quite another thing, Yes, you proceed.

श्री रामकरणसिंह : तो इस प्रकार की जो चीजें हैं इसके लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। जिस प्रकार से इसमें मार्केटिंग कमेटी बनाने की बात आई है वह सुन्दर है और हमारा जो प्रिन्सिपल है उसके अनुकूल है। पर अफसोस यह है कि केवल एक साइड को ही गवर्नमेंट सोचती और देखती है। उन्होंने केवल यह सोच लिया कि इससे कृषक को राहत मिलेगी, पर यह देखना है कि यह किस प्रकार से मिलेगी और यह कमेटी किस प्रकार से बनेगी, किनकी बनेगी; यह इसमें भली प्रकार से डिजाइन किया गया है। इसको देख कर हमें ऐसा लगता है कि इसका उद्देश्य सफल नहीं होगा और कृषक को राहत नहीं मिलेगी। सबसे सुन्दर चीज़ यह होती कि जो कृषक इतनी मेहनत करके, जी-जान लड़ा कर, अपना खून-पसीना एक करके, सर्दी, गर्मी और बरसात की परवाह नहीं करते हुए जो अपना प्रोड्यूस खेत से करता है उसकी सही कीमत असेस करने के लिए भी एक कमेटी हो जो यह देखे कि उस पर कितना खर्चा किया गया है, कितनी मेहनत की गई है और किस प्रकार से कितना कितना श्रम करने के बाद में वह चीज़ किस रेट पर पहुँचती है और उसकी वाजिब किमत क्या हो सकती है। यह अगर होता तो हम समझते कि काश्तकार के भले के लिये बात सोची गई है। पर यहां आपने यह किया है कि किसान का माल मंडी में आवे और इसके बाद में मार्केट कमेटी उसका निर्णय करे और इससे उसे बाउन्डडाउन किया है। गवर्नमेंट ने बजाय इसके कि किसान को पूरी तरह राहत मिले, उसे पूरी तरह सरकारी कर्मचारियों और इस पर्चेजिंग मार्केटिंग कमेटी को रहम पर छोड़ दिया है। सरकार ने सारे पॉवर्स, सारे रूल्स बनाने के पॉवर्स, सारी चीजें अपने हाथ में ली हैं। यहां तो केवल नाम मात्र अंगूठा लगाने के लिये लाया गया है। किसी प्रकार की कोई चर्चा करके कोई चीज की जावे, ऐसी बात नहीं है। इसके साथ इसके अन्दर यह भी कहा गया है....

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंगूठा लगाने के लिए कैसे लाया गया?

श्री उपाध्यक्ष : बार-बार माननीय सदस्यों से निवेदन कर चुका हूं कि भाषा जो यहां प्रयोग की जावे संयमित और सौजन्यतापूर्ण होनी चाहिये। माननीय सदन के सदस्यों का जहां तक सम्बन्ध है, वे अंगूठा लगाने के लिए यहां नहीं बैठते हैं। वे हर प्रश्न पर विचार-विमर्श करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं।

श्री रामकरणसिंह : हमारी देहाती भाषा में रात-दिन जो प्रयोग करते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी भाषा यहां प्रयोग न की जावे।

Page No.63

श्री रामकरणसिंह : जिस प्रकार की भाषा हम देहात में बोलते हैं वैसी भाषा यहां बोलना कोई गलत नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : वह भाषा यहां नहीं बोली जावेगी । जो असौजन्य भाषा गांव में आप बोलते हैं उसे यहां बोलने की आज्ञा मैं नहीं दूंगा ।

श्री रामकरणसिंह : गांवों में जो भाषा बोली जाती है वह अनपार्लियामेन्टरी नहीं होती ।

मैं निवेदन कर रहा था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इसमें किसान को राहत देने की बात नहीं है । इसमें एक ही तरफ की बात सोची गई है । रूल्स बनाने की बात सरकार ने अपने हाथ में ली है । जो कमेटी बनेगी उसको भी डाइरेक्शन्स सरकार देगी । इसके अलावा कितने ऑफिसर्स होंगे, इसका निर्णय भी इस कमेटी को लेने का अधिकार नहीं दिया गया है । इस प्रकार के बिल पर इस हाउस में इस समय विचार करना समय और पैसा व्यर्थ खराब करना होगा । इसलिए चाहूंगा कि इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पतराज जैन ।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इसे प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव पेश किया है । मैं उनका समर्थन करता हूं और निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में इसकी अत्यन्त आवश्यकता तो है क्योंकि मध्यप्रदेश, बम्बई और पंजाब में भी इसी तरह विधेयक कई अर्से से प्रचलित है और उनके द्वारा मंडियों का नियमन किया हुआ है और इससे व्यापारियों और किसानों को दोनों को लाभ मिल रहा है और हमारे यहां भी इस तरह की बात कई वर्षों पूर्व आनी चाहिये थी, पर आज जो बिल आया है इसका प्रभाव कितना और किस प्रकार के लोगों पर पड़ेगा, यह देखना है । मैं समझता हूं कि इस बिल का प्रभाव करोड़ों किसानों के ऊपर, लाखों व्यापारी, दलाल, मजदूर और दीगर तोलने का काम करने वाले व्यक्तियों के ऊपर पड़ेगा । ऐसी सूरत में यदि हम इस विधेयक को काफी सोच-समझ कर और पूर्णतः विचार करके पारित नहीं करेंगे और इसकी धाराओं का ठीक तरह से अवलोकन करके पूरी तरह से विचार करके इसको पास नहीं करेंगे तो इसका नतीजा यह होगा कि जल्दी में इस बिल में खामियां रह जायेंगी और जिसके कारण काफी गड़बड़ियां हो जायेंगी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर और अच्छी तरह से विचार प्रवर समिति में किया जाना जरूरी है । इसके अन्दर कुछ धारायें ऐसी हैं जिनके ऊपर सदन के माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार प्रकट किये हैं, जिनके ऊपर पुनः विचार किया जाना जरूरी है । इसके अन्दर धारा १९ है जिसके विषय में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी एक्ट में ऐसी धारा नहीं है जो कि इसमें रखी गई है । मैं निवेदन करूंगा कि हमने पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट पास किया उसमें प्रधान और उप-प्रधान को हटाने की शक्ति धारा ४० के अन्तर्गत राज्य सरकार को सौंपी है । ऐसी सूरत में धारा १९ के

(श्री सम्पतराज जैन)

अन्दर यह रखा है कि मण्डी कमेटी के सदस्यों को हटाने की शक्ति राज्य सरकार को सौंपी गई है चाहे वह सदस्य नामजद हों या चुने हुए हों। इससे बहुत गड़बड़ियां पैदा हो सकती हैं। जो एक्ट व्यापारियों के लिए बन गया है उसमें झगड़े पैदा हो सकते हैं और झगड़े पैदा होने से बजाय किसानों के हित के अहित ही होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मानता हूं कि आज हर जगह पार्टीबाजी और आपस में झगड़े हुआ करते हैं। जहां मंडी कमेटी का गठन किया गया है उसमें मार्केटिंग सोसाइटी के सदस्य भी रखे गये हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि यदि एक ही वर्ग का बहुमत हो जाये तो उसी कमेटी के माननीय सदस्यों को इस धारा १६ के अनुसार हटा सकते हैं और राज्य सरकार को हटाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। तो जहां अन्य एक्टों में यह प्रावधान रखा है उसका चेयर-मैन या वाइस चेयरमैन राज्य सरकार हटा सकेगी उसी तरह से मण्डी कमेटी के प्रधान को हटाने का प्रावधान राज्य सरकार के पास होना चाहिए। यह अधिकार मण्डी कमेटी को नहीं सौंपना चाहिए कि २।३ सदस्य कर दें तो सदस्यों को हटाया जा सकता है। अत: इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए और इस पर प्रवर समिति को अच्छी तरह से विचार करना चाहिए और वही इस पर अच्छी तरह से विचार कर सकती है कि इस धारा १६ में क्या प्रावधान रखने चाहिए।

इसी तरह से इस विधेयक की धारा ३१ है। इसके बारे में कई माननीय सदस्य निवेदन कर चुके हैं इसलिए मैं इसके ऊपर अधिक नहीं कहना चाहूंगा। सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने नियम बनाने के अधिकार अपने हाथ में में ले लिए हैं और वह अधिकार कि जो विधान सभा को थे। मैं निवेदन करूंगा कि जो अधिकार विधान सभा के हैं उनको राज्य सरकार ने ले लिया! तो फिर विधान सभा की क्या आवश्यकता रहती है? जो लोगों को २०० रुपये के दण्ड देने का नियम था वह भी सरकार ने अपने हाथ में लिया। कोई भी सजा मुकर्रर की जाती है उसका नियमन मूल विधेयक में होता है। ऐसी सूरत में राज्य सरकार यदि कानून बनाने के अधिकार भी अपने हाथ में ले लें तो इसमें लोगों का अहित ही होगा।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक किसानों के संगठनों में से मेम्बरों को लेने का सवाल है तो मैं बहुत अदब से अर्ज करूंगा कि मण्डियों का जहां तक संबंध है वहां व्यापारियों का काम होता है। वहां किसी का क्षेत्र नहीं होता और वहां पर किसान निवास नहीं करते। वहां पर तो कुछ व्यापारी, मजदूर, दलाल या कुछ तोल का काम करनेवाले लोग रहते हैं। तो वहां पर काश्तकार कहां से आयेगा और जब काश्तकार नहीं आयेगा तो फिर उनका कोई सदस्य कैसे लिया जा सकता है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि धारा ७,८,१६ और ३१ पर पूर्णत: विचार किया जाना चाहिए और साथ ही साथ यह भी ख्याल रखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सुविधा काश्तकारों

(श्री सम्पतराज जैन)

को मिले। इससे काश्तकारों का हित ही है। मैं यह भी चाहूंगा कि कहीं हम ऐसा प्रावधान न कर दें कि जो रेग्युलर व्यापार हमारा है उसमें इसके द्वारा कोई बाधा पहुँचे। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति को सौंप देना चाहिए और खास तौर से इन तीन, चार धाराओं पर पूर्णतः विचार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला-बादल'।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अक-लेरा- सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे सामने आया है इस बात की तो मुझे प्रसन्नता है कि इस बिल का आना जरूरी था कि किसान जो अनाज इतने परिश्रम और खून-पसीना बहा कर पैदा करता है उसको वह मण्डियों में लाता है। मण्डियों में जो वह अनाज अब तक लेकर जाता था तो उसको किस प्रकार की दुर्दशा का सामना करना पड़ता था उससे बचाने के लिए सरकार ने यह बहुत समय पर सोचा कि किसान को रियायत मिले और व्यापार करने वालों को भी लाभ मिले। तो सिलेक्ट कमेटी को यह बिल दिए जाने का प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने रखा है, मैं भी उसका समर्थन करूंगा कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी को दिया जाना चाहिए और इसलिए दिया जाना चाहिए कि इसमें जो खामियां रह गई हों वे दूर हो जायें। सिलेक्ट कमेटी में इस पर गंभीरता से विचार किया जा सकेगा। अब तक की मण्डियों की हालत यह हो रही थी कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था और अब सरकार ने सोच लिया कि अब मण्डियों को उस प्रकार की मण्डी नहीं रहने देंगे तो यह बहुत समय पर बिल हमारी सरकार लाई है। मण्डियों का यह हाल था :

मण्डी तो चण्डी बनी,
मन के भाव बिकाये।
करसाणां का मानस ने,
या लूंच लूंच कर खाये॥

व्यापारियां ने एको कर लियो,
मोल तोल में लूटे।
खरी कमाई करसाणां की,
बात बात में चूंटे॥

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय सदस्य अगर सुर में गायें तो अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : यहां गाने की आज्ञा नहीं है। कविता रिसाइट की जा सकती है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : किसानों के साथ क्या हो रहा था, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अब उसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। नहीं तो पहले :

"करसाणां का नाज सूं,
होली खेले हमाल।
आड़तिया व्यापारी मंगता,
करे दलाल हलाल॥"

वह हमाल जो बोरी किसान लेकर आते थे उसमें से आंधला भर लेते थे और उसको चाहे जहां ढोल देते थे। ऐसे ही गाड़ी में से आते-आते दस-बीस सेर मूंगफली खा

Page No.66

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

जाते थे। तो इस बिल के आने के बाद वह २० सेर मूंगफली बच जायेगी। अब मैंने देखा कि कोटा डिविज़न में बारां एक मण्डी है जिसका नाम रामगंज मण्डी है। जब गाड़ी जाती है तो चलनी लेकर उसके अनाज की सफाई हो जाती है लेकिन रामगंज मण्डी में १२॥ सेर, ३ सेर और ५ सेर तक

(२ म० १०)

कड़ता काट लिया जाता है। वहां नये बांट भी होंगे। जब इनको देना होता है तो नये बांट से किसानों को देते हैं और जब लेते हैं तो दूसरों से। तो इस तरह की अव्यवस्था चल रही है। इसके अलावा ज्यादातर किसानों से धर्मादा भी काट लेते हैं और कई तरह का काट लेते हैं और इन व्यापारियों ने इतना एका कर लिया है कि अगर किसी के पास एक नम्बर का गेहूँ है तो उसको दो नम्बर का बता देते हैं। अगर किसी के पास अच्छा गेहूँ है तो उसको सेकिण्ड या थर्ड नम्बर करके उस बेचारे से लूट लिया जाता है। मैं समझता हूं कि सरकार ने समय पर सोचा और यह बिल वह लाई, यह बिल इधर आया। उधर धर्मादा काट लेते हैं। धर्मादा किसानों का काटा जाता है, मगर मंडियों में किसानों को ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। उनके बैलों के लिए पीने का पानी का इन्तजाम नहीं है। इस तरह मंडियों में बोली तो ११ बजे अनाज की जो गाड़ी आती है उसकी हो जाती है, मगर व्यापारी बोली लगाने के बाद आजाद हो जाते हैं। कई बार व्यापारियों के पीछे २ घूमते रहते हैं कि मेरी गाड़ी को तुला लो, मेरी गाड़ी को तुला लो; लेकिन रात को दो-दो बजे तक गाड़ी नहीं तुलती है। मंडी में मवेशी अनाज खा जाते हैं और इस तरह से अव्यवस्था रहती है। इस बिल में मैं समझता हूं कि फिर भी कुछ अव्यवस्थायें रह गई होंगी, कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार करने के लिए इस बिल को....

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था में कमी रही होगी, अव्यवस्था तो नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : इस बिल को बनाने में कमी रह गई होगी तो सिलेक्ट कमेटी में वह ठीक हो जायगी, इसलिए इसको सिलेक्ट कमेटी को दे देना चाहिए। इसके साथ साथ इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि व्यापारी लोग शहरों के रहनेवाले बड़े होशियार होते हैं। आप इधर बिल लाए हैं और उधर वे लोग तैयारी करते होंगे कि व्यापारी कमेटी में हमारे लोग पहुँच जायं। अभी से गुनतारा शुरू हो गया होगा। किसी मिनिस्टर से कहेंगे कि उसको ले लो, मेरा भाई-भतीजा है उसको रख लो या किसी दलाल को रख लो। इसलिए कहीं ऐसा न हो जाय कि जो कमेटी बने किसानों के उपकार के लिए, उनका व्यापार बढ़ाने के लिए हों। उनमें भी ये चालाक लोग न आ जायं; इसलिए भी इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजना आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं।

(दो-तीन माननीय सदस्य बोलने खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अनूपसिंह ।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी इन्तजारी के बाद आज हमारे सदन में यह बिल पेश हुआ है। कहना नहीं होगा, पर जिस तरह की मुसीबतें और जिस तरह की डिफिकेल्टीज़ हमारी मंडियों में जो ट्रेडर्स को, बेचने वालों और खरीदने वालों को हुआ करती थी उनसे सदन के माननीय सदस्य काफी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मुझे इसमें सिर्फ इतना ही अर्ज करना था कि इस प्रस्ताव को प्रवर समिति को सौंपा जाय। यहां इस बात का समर्थन करते हुए साथ में यह भी अर्ज करूंगा कि यह आवश्यक है कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाय जो जल्दी से जल्दी किया अपनी रिपोर्ट सदन को भेज दे। फिर भी मैं यह मानता हूं कि प्रवर समिति के सामने जब यह प्रश्न आए तो उनको जल्दी से जल्दी इस बात का निर्णय लेकर और जल्दी से जल्दी इस सदन के सामने वापस प्रस्तुत करके इसको फाइनलाइज करा कर इसको एन्फोर्स लाया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आज दिन तक हमारी मंडियों में जो रवैया रहता आया है कि कोई काश्तकार अपना धान या प्रोड्यूस लेकर आता है तो उस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं होता, न खरीदने वालों के ऊपर नियंत्रण रहता है, न बेचने वालों पर नियंत्रण है और हुआ इसलिए यह करता था कि काश्तकारों को यह देखे बिना कि मेरा फायदा है या नुकसान है, उनको अपनी चीजें बेचनी पड़ती हैं और बाजारों में भावों का कंट्रोल करने वाले दूसरे ही होते हैं जिन पर कि किसी तरह से कंट्रोल नहीं होता है और किसान अपने सामान को, नाज को, अपनी प्रोड्यूस को बेचकर घर लौट जाता है। अब हमें यह देखना होगा कि जब तक हम मार्केट में प्राइसेज़ किस तरह से फलक्चुएट होती हैं किसी तरह से स्टेबिलाइज़ नहीं होती हैं, अगर इस बात को इस बिल के, कानून के द्वारा सुरक्षित नहीं कर सके, कंट्रोल नहीं कर सकें तो मैं समझता हूं कि इस बिल का मकसद पूरा नहीं होगा। हमको यह देखना पड़ेगा कि वाकई जिस स्टैंडर्ड का माल है उस स्टैंडर्ड का पैसा आया या नहीं और जो बीच में ब्रोकर या डीलर्स या व्यापारी हैं वे अपनी मनमानी करके अच्छी चीज़ को भी कम कीमत में न ले लें और इसके साथ साथ काश्तकारों को भी मजबूर होकर वे चीजें न देनी पड़ें। साथ साथ काश्तकार को यह भी मालूम हो जाना चाहिए कि मेरे सामने की, मेरी चीज़ की वाकई में असली कीमत जो आनी चाहिए थी आ गई है या नहीं। किसी प्रकार का धोखा या चालाकी की वजह से मुझको कम दाम तो नहीं आए। अक्सर यह हो जाता है कि कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं मिलती, अनाज को पैदा करने में कितना धान लगा, कितना बीज लगा और कितनी लेबर हुई और उसके प्रोडक्शन में जितना खर्चा हुआ वह उसको प्राप्त होता है या नहीं, जितनी मेहनत वह करता है उसका पारिश्रमिक उसको मिलता है या नहीं, यह हमको यहां देखना पड़ेगा। हमारे इस बिल के द्वारा हम यह लाना चाहते हैं कि काश्तकार जो वाकई ठीक चीज़ लाता है उसको ठीक दाम भी दिलाना चाहते हैं, यह बात सबसे बड़ी करने की है। प्राइसेज़ के बारे में आज किसी मार्केट में कंट्रोल नहीं है, कोई संतुलन नहीं है, आज यह नियंत्रण नहीं है कि जो चीज़ जिस कीमत में बेची जानी चाहिए थी वह उस कीमत में बेची गई और काश्तकारों

Page No.68

(श्री अनूपसिंह)

को कम कीमत तो नहीं मिली क्योंकि यह होता रहा है आज दिन तक कि साहूकारों या व्यापारियों के हाथ ऊंचे रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से, मनमाने ढंग से, चाहा दामों को घटाते-बढ़ाते रहे, क्योंकि भावों के ऊपर-नीचे का, सप्लाई और डिमान्ड पर किसी तरह का कम्पन्शन नहीं रहा, आज दिन तक और किसानों से मनमाने ढंग से माल खरीद लिया जाता है। किसानों को जो उसकी प्रोड्यूस की जितनी कॉस्ट है कम से कम उससे नीचे तो उसको दाम नहीं मिलने चाहिए, कम से कम वह नुकसान में रह कर तो अपना माल न बेचे। उसके लिए अपना माल कम कीमत में बेचना आवश्यक तो न हो, इसलिए कि क्योंकि वह धन्धा करता है और दूसरा उसके पास कोई धन्धा नहीं है और मजबूर होकर धन्धा करने के लिए जो बाजार की फ्लक्चुएशन है उसके अन्दर उसको हार कर कम कीमत के अन्दर अपना माल बेचना पड़ता है। तो यह कंडीशन तो न रहे, यह इस बिल का सबसे बड़ा काम होगा।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार कई तरह से अपना हाथ इसमें रखे पर जैसा हर जगह यह लगा हुआ है; इसमें लिखा है:

"as prescribed by the Government."

हर जगह गवर्नमेंट का हाथ रखा जाता है तो मैं समझता हूं कि इसको प्रवर समिति के अन्दर भेज कर इस पर विचार किया जाय। हर जगह पर जो गवर्नमेंट के इंटरवेंन्शन का प्रावधान रखा जाता है तो उसकी वजह से मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, डाइरेक्टर ऑफ मार्केटिंग हैं, वे तो दूर बैठे रहेंगे और उनके नाम पर जिस तरह की बातें हुआ करेंगी वे गवर्नमेंट के नाम से हुआ करेंगी और असलियत का गवर्नमेंट को मालूम भी नहीं होगा और जो राहत काश्तकार को मिलनी चाहिए वह नहीं मिल सकेगी। मैं मानता हूं कि राज्य सरकार की ड्यूटी है कि वह अच्छा मार्केट बनाए, लैंड अवेलेबल करे और वहां पर जिस तरह का मार्केट बनना चाहिए वह बन सके। इस प्रकार के मार्केट बनाने में सहायता देने का काम गवर्नमेंट का है और उसको यह अधिकार भी है कि अगर कोई गल्ती करता है उसको हटा भी दे, अगर मार्केट कमेटी अपनी ड्यूटी में फैल रहती है तो उसको हटा भी दे, उसके मेम्बरों को हटा दे। लेकिन इसके साथ साथ इतना भी नहीं होना चाहिए कि मार्केट कमेटी के अन्दर हर जगह पर गवर्नमेंट का हाथ रहने लगे और अगर ऐसा होता है कि मार्केट कमेटी का जो फंक्शन है वह पूरा करना उसके लिए मुश्किल हो जायगा। इसके साथ साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूंगा कि इस बिल के क्लॉजेज़ को देखते हुए, जैसे कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ मार्केट, में क्लाज़ ४ में यह रखा है:

"the area specified in the notification under Sec. 3 or any portion thereof, to be a market for the purposes of this Act in respect of all or any of the kinds of agricultural produce..."

इसका मतलब यह हुआ कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वहां की लोकल प्रोड्यूस है, हमारा तो असली नियंत्रण वहां की लोकल प्रोड्यूस के लिए है। वहां का काश्तकार अपनी चीज़ को बेचने के लिए जिस वक्त मार्केट में आए

(श्री अनूपसिंह)

उस मार्केट में नियंत्रण रहे और किसान को फायदा मिले और वे चीजें जैसे कि जो चीजें वहां पर पैदा न हों, जैसे चना किसी एरिया में पैदा नहीं होता, बाहर से लाकर व्यापार करते हैं या मुंगफली पैदा नहीं होती बाहर से लाकर बेचते हैं, तो यह रखा है कि वह किसी काम का नहीं रहे खास तौर से तो वहां की लोकल प्रोड्यूस है उस लोकल प्रोड्यूस के लिए जरूरत है कि वहां का लोकल कल्टीवेटर वहां की अपनी लोकल प्रोड्यूस को बेचने के लिए जब आये, उसके ऊपर इस प्रकार का नियन्त्रण हो या बेचने की इस तरह से सहूलियत हो कि जिससे उनको जो कुछ भी वे पैदा करते हैं उसका पूरा फायदा मिल जाय। इसलिए (लोकल) वर्ड साथ में होना चाहिए।

दूसरी, कॉमोडिटीज़ की लिस्ट जो शिड्यूल में दी हुई है वह हमारे यहां काम की नहीं हो सकती है। किसी अमुक चीज़, जो कि पैदावार की चीज़ है, लोकल प्रोड्यूस है, उस लोकल प्रोड्यूस के लिए यह मार्केटिंग के लिए सबसे ज्यादा ध्यान दिये जाने की बहुत जरूरत है।

इसके साथ साथ मैं फिर अर्ज करूंगा कि जैसे कॉन्स्टीट्यूशन और दी मार्केटिंग कमेटी है तो उसके अन्दर भी हमको और हमारी प्रवर समिति को यह सोच कर निर्णय देना पड़ेगा कि जिस तरह का इलेक्शन चाह रहे हैं हम और जिस तरह के इलेक्शन से मार्केटिंग कमेटी चल सकती है वह चीज़ होनी चाहिए न कि एक आपके लॉ डिपार्टमेंट के बनाये हुए कॉन्स्टीट्यूशन के अनुसार जो कि लोकल कन्डीशन्स को नहीं समझता है। तो मैं समझता हूँ कि मार्केटिंग कमेटी जिस मकसद से बनाई गई है वह काम पूरा नहीं कर सकेगी। इसलिए प्रवर समिति में इन बातों का ख्याल होना मैं समझता हूं निहायत जरूरी है।

इसके बाद हमारी मार्केटिंग कमेटी को सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रखने की होगी वह यह कि किसी अमुक तबके के या मार्केट के अमुक व्यक्ति के ऐसे नाजायज़ तरीके उनके साथ में इतने नहीं बढ़ जायं कि जिस बात को कन्ट्रोल करना चाहते हैं वह कन्ट्रोल में नहीं रहे, और, व्यापारी उनको किसी तरह से चक्कर देकर भाव ऊंचा करवा लें और असली कीमत जो काश्तकारों को मिलनी चाहिए, जो प्रोड्यूसर को मिलनी चाहिए वह उसको नहीं मिले। साथ ही साथ इसमें जो 'प्रोड्यूसर' की परिभाषा दी गई है उससे भी मैं नाइत्तिफ़ाक करता हूं। उसका कारण यह है कि मेन धन्धा एग्रीकल्चर का है पर उसके साथ यदि कोई दूकान लगा कर या किसी के साझे में दूकान का धन्धा साथ में करता है तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा में वह क्यों नहीं आता? एक व्यापार का धन्धा उसने शुरू कर दिया, इसलिए एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा में से उसको निकाल दें तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ा अन्यायसा हो जायगा कि एक आदमी साइड बिज़नेस के तौर पर खरीद-फरोख्त भी करता है और प्रोडक्शन भी करता है, या पहले खरीद फरोख्त भी करता था अगर अब प्रोड्यूस भी करने लग गया है, या पहले प्रोड्यूस करता था और अब खरीद फरोख्त करने लग गया है तो हम नहीं कह सकते हैं

(श्री अनूपसिंह)

कि एक आदमी सिवाय एग्रीकल्चर के और कुछ नहीं करता हो वही एग्रीकल्चरिस्ट है। यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मैं मानता हूं कि इसमें कुछ चक्कर है! हरएक आदमी कह सकता है कि एग्रीकल्चरिस्ट है। एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा में आने को हरएक तैयार हो जायगा, पर उसमें यह देखना होगा कि वाकई में एग्रीकल्चर वह अपने हाथ से या अपनी ओर से किसी तरह से कराता है। अगर अपनी प्रोड्यूस को लेकर आता है तो उसमें किसी तरह की कानूनी बन्दिश नहीं होनी चाहिए।

इसके सिवाय, माननीय उपाध्यक्ष, ट्रेड्स एन्ड एलाउन्सेज़ जिस तरह के लोग आज तक लिया करते थे कि यह तो हमारी आढ़त है, आढ़त को छोड़ जाओ, यह बोरी है तो बोरी का कुछ नहीं मिलता है, बोरी एलाउन्स में है, आढ़त हमारे एलाउन्स में है। इसके सिवाय यह टैक्स है। यह तो मार्केट का टैक्स! इस तरह के कई टैक्स देकर काश्तकार अपना धान या अपनी प्रोड्यूस लेकर जो जाता था उसके बदले में बहुत कम कीमत लेकर आता था, यहां तक कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे लेकर आता था, तो इस बात का कन्ट्रोल करने के लिए प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए और ध्यान देकर कुछ एलाउन्सेज़ वगैरह का ध्यान रखते हुए आगे बिल को बढ़ाना चाहिए?

माननीय उपाध्यक्ष, इसके सिवाय मैं यह समझता हूं कि यह बिल जो काश्तकारों के फायदे के लिए और मंडियों में प्राइसेज़ को फ्लक्चुएट नहीं होने देने के लिए, और लोगों को मनमाने तौर पर भाव बढ़ा देने या घटा देने को रोकने के लिए, और इसके सिवाय काश्तकारों को अपनी प्रोड्यूस का, अपनी मेहनत का असली फल दिलाये जाने के लिए आने वाला है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसका स्वागत करते हुए माननीय सदस्यों और सदन से यह अर्ज करूंगा कि इसको प्रवर समिति में भेजने के लिए एक राय होकर स्वीकार करें।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष, यह जो बिल राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स बिल, जिस पर यह संशोधन रखा है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाना चाहिए, मैं उस मोशन का स्वागत करता हूं। मगर उससे पहले कि यह मोशन एक्सेप्ट हो, मैं हाउस में एक आपत्ति खड़ी करूंगा और उस आपत्ति को जब तक हाउस डिस्पोज़ ऑफ नहीं कर देगा तब तक वह मोशन एक्सेप्ट नहीं हो सकता परन्तु उससे पहले कि मैं आपत्ति खड़ी करूं, मैं जहां तक इस बिल के हैडिंग को पढ़ता हूं और देखता हूं वहां तक इस बिल का स्वागत करता हूं कि यह काश्तकारों के फायदे के लिए है। उनको अपनी जिस प्रोड्यूस को वह मार्केट में लाते हैं उसका उनको अच्छी कीमत और ठीक कीमत मिले और जो मिडल मैन्स प्रोफिट है या मिडल मेन इस प्रकार से प्रोफिट करें उसको हटा दिया जाय। मगर जो इन्टेन्शन या धारणा इस बिल की दिखती है यह धारणा मुझको दिखती नहीं। जैसा कि इसके कॉन्स्टीट्यूशन में रखा है उसमें यह रखा है कि जो कोई भी काश्तकारों के नुमायन्दे हों या ऑर्गेनाइजेशन्स हों उनको इलेक्टेड करने के पॉवर्स दे दिये।

(श्री श्रीमानसिंह)

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके जरिये यह कहूं कि यह हाउस मेरे मे सहमत होगा कि माननीय कृषि मन्त्री नहीं होते हुए भी मेरा यह कथन उनके पास पहुँचा देंगे कि इसके अन्दर मार्केटिंग सोसाइटी के मेम्बर-शिप आपके फार्मर्स फोरम के लिए प्रोवाइड की गई है। इस तरह के फाल्स ऑर्गेनाइजेशन्स राजस्थान के अन्दर खड़े हुए हैं जो काश्तकारों के, फार्मर्स के राइट्स को सेफगार्ड करते हैं। उनके लिए चाहे वे कुछ काम करते हो या नहीं ; कुछ काम करने के बजाय सिर्फ एक ढोंग रचने के लिए, एक अपना नाम देने के लिए फार्मर्स फोरम के लिए इस बिल के अन्दर प्रोविज़न है। फार्मर्स फोरम जैसी फाल्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोविज़न होगा तो कम से कम मेरा सदा विरोध रहेगा। आज जो फार्मर्स फोरम में हैं वे फार्मर्स नहीं हैं, लायर्स हैं, वे अमेरिका चले जाते हैं फार्मर्स फोरम की ओर से और लौट कर आ जाते हैं और अपने एक्सपीरियन्स का किसानों को कुछ फायदा नहीं देते हैं। वे जयपुर के अन्दर वकालात करते हैं। वे फार्मर्स के नाम पर आपकी मार्केटिंग कमेटी में आयेंगे। यही नहीं, इसके अन्दर प्रोविज़न है कि जो कोऑपरेटिव, क्रय-विक्रय संघ के आदमी हैं उनको भी लिया जायगा। इस क्रय-विक्रय संघ के द्वारा कोऑपरेशन के नाम पर जो राजस्थान में काम हो रहा है, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। कोऑपरेटिव के नाम पर जो कार्य हो रहा है, यह निश्चय मान कर चलियेगा कि कोऑपरेटिव के बारे में, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की जो है वह नीचे से जड़ खोदी जा रही है। जिस क्रय-विक्रय संघ को राजस्थान गवर्नमेंट ६ लाख टन या पौंड केम्फर दे सकती है जिससे कि करोड़ों रुपयों का फायदा उठा सकते हैं वही आपका क्रय-विक्रय संघ ३ हजार टन के गल्ले को खरीद कर अच्छे सीड को सूरतगढ़ फार्म के अन्दर खराब कर सकती है। उस कोऑपरेटिव क्रय-विक्रय संघ के आदमियों को इसमें जगह मिलेगी, जिस क्रय-विक्रय संघ के जो अध्यक्ष हैं जिनका कि गांव में काम है वे यहां जयपुर में ११-१२ हजार की फिएट कार खरीद करके राजनीति का काम करते हैं। जो क्रय-विक्रय संघ के प्रतिनिधि होंगे वे मार्केटिंग सोसाइटी के मेम्बर आयेंगे। ये जो इन्सटान्सेज़ हैं इनसे आप निर्णय लगा सकते हैं कि जिस मेम्बरशिप की क्लॉज़ में ऐसा रखा गया है वह इस भावना से ही रखा गया है या फिर माननीय कृषि मन्त्रीजी या वे मन्त्रीजी जो इस बिल को पॉयलेट कर रहे हैं, किसान सभा नाम की पार्टी यहां पर है उसके मेम्बर्स को लायेंगे। किसान सभा के नाम पर किसान सभा का प्रतिनिधित्व हो, चाहे वह लाल किसान सभा हो या सफेद किसान सभा हो, या एक पर्टीक्युलर कास्ट की सभा हो। तो इन तीनों को आप ध्यान में रखिये फार्मर्स के ऑर्गेनाइजेशन पंचायतों में हैं, हर तरह की क्रेडिट सोसाइटीज मे हैं, लेकिन इसमें डेलिब्रेटली वेग रखने का इन्टेन्शन ठीक नहीं बैठता। यह मेरा पहला रीज़न है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह है डेलिगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में। डेलि-गेटेड लेजिस्लेशन के सिद्धान्त को हम देखें। आखिर हम ब्रिटिश कॉन्स्टीट्यूशन के अन्त-र्गत तो नहीं रह रहे हैं जिसके बारे में कह सकते

Page No.72

(श्री श्रीभानसिंह)

हैं कि अनरिटन कॉन्स्टीट्यूशन है जिसमें जिसको चाहो पॉवर डेलिगेट कर दो। हमारे यहां का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल पैटर्न का हैं, जो लिखित कॉन्स्टीट्यूशन है और लिखित कॉन्स्टीट्यूशन का सबसे बड़ा सिद्धान्त है सेपरेशन ऑफ पॉवर। जो जुडिशियल नेचर का वर्क है या इन्टरप्रिटेशन ऑफ लॉ का वर्क है उसके लिये जुडिशियरी मौजूद है। जो लेजिस्लेशन का काम है उसके लिए लेजिस्लेचर मौजूद है और लेजिस्लेचर की विशेज़ को एग्जीक्यूट करने का काम है उसके लिए एग्जीक्युटिव मौजूद है यानी जिसके लिये जैसा काम है उसके लिए सेपरेट बॉडीज़ मौजूद हैं। इसलिए जो सिद्धान्त है उसका पालन करना चाहिये। लेकिन राजस्थान में जो सोवरिन बॉडी है वह है राजस्थान विधान सभा। विधान सभा जो कानून बनावे या रूल्स बनावे उसको यदि एग्जीक्युटिव नलिफाइ कर दे तो फिर विधान सभा की क्या जरूरत है? सेपरेशन ऑफ पॉवर कॉन्स्टीट्यूशन ने मन्जूर किया है। सोवरिन पॉवर जिस बॉडी में वेस्टेड हैं वहां लॉ मेकिंग का काम करेगी। उसको इन्टरप्रेट जुडिशियरी करेगी और एग्जीक्यूट एग्जीक्युटिव करेगी। लेकिन कोई भी बॉडी उसके द्वारा पास किये लॉ या रूल्स को रूल-ओवर नहीं कर सकती।

यह मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि ब्युरोक्रेसी में नया डेस्पोटिज्म क्रिएट हो रहा है जिससे हमारे मित्र फाइट नहीं कर सकते। जो इस प्रकार की राय लॉ डिपार्टमेंट ने दे दी उसके लिए इस सदन में ऐसे आदमी मौजूद हैं जो टूथ एण्ड नेल फाइट करेंगे। आप कह सकते हैं कि जो पॉवर है उसको किसी दूसरे को डेलिगेट कर दें तो मैं यह कहूंगा कि जो सोवोन्टी इस सदन या पार्लियामेंट में वेस्ट करती है उसको एक पर्टिकुलर आदमी को या डाइरेक्टर मार्केटिंग होगा उसमें वेस्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते। जहां तक डेलिगेटेड लेजिस्लेशन का प्रश्न है, डेलिगेटेड लेजिस्लेशन की क्यों जरूरत पड़ती है, यह देख लें। एमर्जेन्सी में माइनर चेन्ज करने में या पर्टिकुलर लेजिस्लेशन किसी तरह से एडॉप्ट करने में चेन्ज आवे उसके लिए डेलिगेटेड लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ती है। इसके लिए एक कमेटी बैठी थी जिसके द्वारा इस प्रश्न को एग्जामिन कराया गया। उसके अनुसार यह निर्णय लिया गया कि सदन पॉवर्स दे सकता है, माइनर रूल्स बनाने के लिए पॉवर डेलिगेट कर सकता है। लेकिन सदन की खुद की कमेटी होगी जो सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी के नाम से होगी वह देखेगी कि सदन ने बिल की जो क्लॉजेज़ पास की हैं उनकी मन्शा की तहत रूल्स, बाइ-रूल्स, रेगुलेशन्स आदि बनाये गये हैं या नहीं। जो अगर उसकी मन्शा की तहत नहीं बनते हैं तो इस सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी को पॉवर होगी कि वह उसकी रिपोर्ट लेजिस्लेचर को कर सके। या यह कहा जाय कि ग्रोइंग पॉवर ऑफ ब्यूरोक्रेसी पर यह चैक है। उसको फ्लाउट एग्जीक्युटिव नहीं कर सकती। हमारे यहां सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी के होते हुए भी जनतंत्र के सिद्धान्त को फॉलो करते हुए फ्लाउट नहीं करने दिया जा सकता। डेलिगेशन के रूल्स, पॉवर्स को देखें तो उसमें यह है कि जो अगर सदन बहुमत से या युनेनिमसली किसी क्लॉज़ को

(श्री श्रीमानसिंह)

पास कर देता है उसको एक डाइरेक्टर, जिसको पॉवर डेलिगेट करते हैं वह उसको नलिफाइ कर देता है। तो यह समझ में नहीं आया कि एक डाइरेक्टर को डिक्टेटोरियल पॉवर्स किस प्रकार से मिल जायगी जो सदन के इन्टेन्शन को फ्लाउट करे ? तो यह सदन की सोवरिन्टी को फ्लाउट करेगा । मेरी यह सम्मति है कि यह सदन सोवरिन पॉवर है जो पॉवर सदन को कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है उस पॉवर को सदन डाइवर्ट नहीं कर सकता । जब तक यह क्लॉज़ डिलीट न हो जाय तब तक यह सिलेक्ट कमेटी में नहीं जा सकता क्योंकि हमारे जो हैड हैं, पॉवर्स हैं या मेजर्स हैं वे संविधान की तहत हैं । संविधान यह मन्जूर करता है कि हम डेलिगेट पॉवर कर सकते हैं लेकिन यह नहीं कर सकते कि वह पॉवर उसको देदें जो हमारी सोवरेन्टी को नलिफाइ कर दे । जो अगर हम ऐसे पॉवर्स देते हैं तो संविधान की अवहेलना करते हैं ! This Legislature is not competent to act, इसलिये जब तक यह क्लॉज़ डिलीट नहीं हो जाते तब तक यह बिल सिलेक्ट कमेटी में नहीं जा सकता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग विधेयक सिलेक्ट कमेटी को दे दिया जाय, इसका समर्थन करता हुआ मैं दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा ।

जहां तक विधेयक का सवाल है और उसकी मन्शा है, मैंने बहुत कुछ कोशिश की कि जो विधेयक विचारार्थ है या जिस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की चर्चा हो रही है वाकई उस विधेयक द्वारा हमारे मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति होनेवाली है या नहीं ? और मूलभूत उद्देश्य, जैसा कि बताया है, नियमित मंडियों के बिना कृषकों के लिए पैदावार का अच्छा और उपयुक्त मूल्य प्राप्त करना कठिन है ? वे जो पैदावार करते हैं उसका उपयुक्त मूल्य प्राप्त करना कठिन है और इस बात की पूर्ति के लिए यह विधेयक बनाया गया है । जब मैं इस पर सोचता हूं तो ऐसा मालूम होता है कि जो लक्ष्य रखा है कि किसानों को उपयुक्त मूल्य प्राप्त हो वह किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कौनसा रास्ता होगा और किस प्रकार के लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं ? इस पर सोचता हूं तो मालूम होता है कि पहुंच सकते हैं या नहीं । यदि हम यह निश्चय करें कि यहां से कलकत्ता जाना है और कलकत्ता जाने के लिए एक टिकट खरीदते हैं लेकिन वहां पहुँचने के बजाय भटकते रहते हैं तो वह टिकट व्यर्थ जाता है और खरीदने वाले भी भटकते रहते हैं । तो आज इस विधेयक से यह देखना है कि वाकई किसानों को जो निश्चित मूल्य दिलाना चाहते हैं वह मिल सकेगा या नहीं ? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह गौर से विचारने की चीज़ है। जैसा कि इस बिल में कहा गया है नियमित मंडियों के बिना कृषकों के लिए अपनी पैदावार के अच्छे और उपयुक्त मूल्य प्राप्त करना कठिन है। इन्डियन सेन्ट्रल कॉटन कमेटी ने आरम्भ से ही रूई और अन्य कृषि पैदावार के प्रारम्भिक विषय के नियमन और सुधार कार्य को बहुत महत्व दिया है । कॉटन कमेटी ने जिस प्रकार के सुधार के लिए महत्व दिया है उसमें दोनों बातें हैं । विक्रय और नियमन पर महत्व दिया है । वह किस आधार पर दिया है;

(श्री मुरलीधर व्यास)

और खास कर कॉटन का जो मूल्य था क्योंकि हिन्दुस्तान में ऐसी व्यवस्था थी जिसके अनुसार कॉटन के लिये नीचे से ऊपर तक निश्चित रास्ता था। ऊपर से भाव निश्चित होता था और काश्त के आधार पर। हिन्दुस्तान भर में उसका असर होता है और किसानों को भी उसका लाभ मिलता है। लेकिन यहां जो अनाज का सवाल है, कृषि से प्रोड्यूस का सवाल है, ऊन भी उसमें ले सकते हैं; ऊन के अलावा और ज्यादा चीज़ें इसमें नहीं आयेंगी फिर भी सम्बन्धित चीज़ों के मूल्य बांधेंगे। जब तक सरकार इस चीज़ को निश्चित नहीं करती है, कम से कम अनाज के मामले में क्या मूल्य मिलना चाहिये, यदि आपके पास मूल्य निर्धारित नहीं है और आप यह कह दें कि अच्छा मूल्य और उपयुक्त मिलना चाहिये लेकिन क्या मिलना चाहिये, किस प्रकार का मूल्य मिलना चाहिये, किस तरह से मिल सकता है, यह जब तक स्पष्ट नहीं होता तब तक मैं नहीं समझता कि आप किसी प्रकार से उचित मूल्य दिला सकेंगे।

आज जैसा मैं सोचता हूं कि आज अपने यहां किसान अपना गेहूं १८ रुपये मन के भाव से बेचता है, १६ रुपये मन के भाव से बेचता है, १५ रुपये मन के भाव बेचता है मंडी के अन्दर लाकर। आप कहेंगे कि ये भाव ज्यादा हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब वह बीज खरीदता है और परिश्रम करता है तो उसको १८ रुपये मन के मिलने चाहिए या १६ रुपये मन के मिलने चाहिए। कुछ न कुछ आपके पास इस प्रकार की चीज चाहिए जिसके द्वारा आप इसमें चेंज कर सकें। यह पॉलिसी जब तक डिक्लेअर नहीं होती तब तक मैं नहीं समझता कि किसान उपयुक्त मूल्य पर कैसे दे सकता है? मैं समझता हूं कि किसान को जब ही सुविधा दिला सकते हैं तब बीच के दलाल हैं, हमाल हैं, कमीशन एजेन्ट हैं, जो उसको नुकसान पहुँचानेवाले हैं उनको दूर कर देते हैं और तब ही उसको उतना लाभ दिला सकते हैं। यह मेरी समझ में नहीं बैठा कि आप निश्चित मूल्य पर किस प्रकार दे सकेंगे, क्यों कि हम देखते हैं कि भाव के मामले में हमेशा उतार चढ़ाव होते हैं? १६५४ और उससे पहले जो दूसरे प्रान्तों में विधेयक बने, उस समय क्या परिस्थिति थी, आज क्या परिस्थिति है और विधेयक बनने के बाद कितना परिवर्तन हुआ है, किस रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा, उस रास्ते पर हम अब जा रहे हैं या नहीं? मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी विधेयक को रखिये, तो आप उसकी मन्शा को पूरा करने की दृष्टि से जब तक सारे रास्ते साफ नहीं कर लेते हैं, तब तक कितना ही समय खर्च करें परन्तु उसका लाभ नहीं होता। मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले के अन्दर किसान को निश्चित् मूल्य दिलाना चाहते हैं तो उससे पहले किसान जिस चीज़ का उत्पादन करता है और उसका उत्पादन करने में कितना उसका खर्चा होता है उसके जो आवश्यक अंग हैं, उनको दृष्टि में रखते हुए मूल्य निश्चित करना है। आपके पास क्या पॉवर्स हैं? जब तक हिन्दुस्तान का अच्छी तरह निर्माण नहीं होता तब तक आप उनको कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते। इसके साथ साथ अगर आप स्टेट के तरीके से सोचें तो स्टेट में कम से कम इस मामले के अन्तर्गत दो समस्यायें हमेशा रहती हैं

(श्री मुरलीधर व्यास)

एक समस्या यह रहती है कि मूल्य बढ़ जाते हैं और जब मूल्य बढ़ जाते हैं तो आपके सामने दूसरी समस्या यह रहती है कि मूल्य ज्यों ज्यों बढ़ते हैं तो आम लोगों को कम से कम निश्चित मूल्य पर कॉमोडिटीज़, अनाज नहीं दिला सकते हैं। यह समस्या दूसरी रहती है। अब उस आधार पर अगर सोचते हैं तो जब सरकार निश्चित मूल्य १४ रुपये रखती है तो क्या उस आधार पर मूल्य बनाने के बाद कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि किसानों का अनाज है वह उनसे १२ रुपये में खरीदेंगे, या कम या ज्यादा में खरीदेंगे या इस प्रकार से मूल्य मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए, आखिर क्या निश्चय करेंगे ? मैं तो यह ठीक समझता हूँ कि विधेयक के साथ साथ यह निश्चय होना चाहिए कि किसान को कितना मिलना चाहिए। यह हो जाता और उसके बाद यह देखते कि सीमा के अन्तर्गत उसमें कितना फर्क रहना चाहिए और जो दूसरा खरीददार है उसे किस भाव से मिलना चाहिए। यह अन्तर जब तक साफ नहीं होता तब तक किसी प्रकार से इस मामले में कामयाब नहीं हो सकते। सरकार के सामने ये दोनों समस्यायें रहती हैं। मैं सोचता हूं कि जहां तक सुविधाओं का सवाल है, यह ठीक बात है, लेकिन आपको इसके साथ साथ यह भी सोचना पड़ेगा कि इस विधेयक के अन्दर ऐसी व्यवस्था करें कि किसान को उचित मूल्य मिल जाय और उसके साथ साथ आम नागरिक को उचित मूल्य के अन्दर जो प्राथमिक आवश्यकता की चीजें हैं, अनाज आदि वह निश्चित मूल्य के अन्दर मिल सके। इन दोनों चीजों की जब तक आप कानून के मातहत निश्चित रूप से व्यवस्था नहीं करते तब तक सफल नहीं हो सकते। आपको मालूम होगा कि सारी योजनाओं, प्लॉन के सम्बन्ध में चर्चायें चलती हैं, तो यह होता है कि उसके लिए फन्ड्स बनायें, इसके लिए रेगुलेशन बनायें, कानून बनायें, जिससे ऐसी व्यवस्था हो। जब तक यह नहीं होता, तब तक योजना कामयाब नहीं हो सकती। इसी प्रकार जब हम दूसरी तरफ यह सोचते हैं कि यह जो हमारे कार्यों का आवश्यक अंग है उसके अन्तर्गत जिस लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं, वहां किस प्रकार इसके जरिये पहुँच सकेंगे ? इसका स्पष्टीकरण मंत्री महोदय, जिन्होंने विधेयक रखा है वे नहीं कर सके। तो इस विधेयक के जरिये लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके, तो नतीजा यह होगा कि हमने यह विधेयक पारित तो किया, यह चलेगा भी, लेकिन हम मूल लक्ष्य तक नहीं पहुँच पायेंगे और इस मामले में भटकते रहेंगे। तो मैं इस चीज़ की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूं कि इस विधेयक के सम्बन्ध में और सारी बातों के सम्बन्ध में बहुत से सम्माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं, सुझाव रखे हैं, उनके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि इसके मूलभूत उद्देश्य तक कैसे पहुँच सकेंगे, इसके लिए विधेयक में सफाई नहीं होती, तो मैं नहीं समझता कि जिस मूल उद्देश्य तक पहुँचना चाहते हैं, उस तक पहुँचने में कामयाब होंगे या नहीं। इन लफ्जों के साथ मैं चाहता हूँ कि यह सिलेक्ट कमेटी में जाय ताकि उसमें इन सारी बातों पर विचार हो सके और विचार होने के बाद आम लोगों के लिए अच्छा विधेयक बन सके तो ज्यादा अच्छा है। मैं इस भावना से इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह ।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने रखा हुआ राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट बिल है, इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय, यह मेरा मोशन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में आज इस प्रकार के बिल को देखते हुए दिल में बड़ी तसल्ली हुई, खुशी हुई। जिस वक्त यह बिल किसानों के ऊपर असर डालने जा रहा है उसके पहले जब इसको देखा, जब इसको प्रकाशित रूप में देखा, इसका नाम पढ़ा तो मेरे दिल में बड़ी खुशी हुई। जहां तक इस बिल का सवाल है, इसको रखने वाले मिनिस्टर महोदय और सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जब इस बिल के अन्दर जो कुछ शामिल है, इसके अन्दर जो कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ा तो कुछ और पाया। जिस तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, खीर से भरी हुई थाली को देख कर इन्सान के दिल में खुशी होती है, लेकिन खीर खा ने के बाद, अगर वास्तव में उसमें जहर मिल हुआ है, तो उसकी क्या हालत बनती है; वही हालत एक किसान हृदय आदमी को होती है, जो बिल को ऊपर से देख कर खुश होता है। वह इसको अन्दर से देख ले तो जिस प्रकार कांटे के ऊपर आटा लगा कर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में बंसी फैंकी जाती है तो आटा देखते ही मछली दूर से भागी आती है और सोचती है कि मसाला मिला, लेकिन जैसे ही आटे पर मुंह डालती है, उसका मुंह उसमें फंस जाता है; इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, केवड़े की, शर्बत की बोतल देखी। ऊपर से नाम पढ़ा, तो खुशी हुई, लेकिन जब गले में डाल कर पीया तो मालूम हुआ कि विष मिला हुआ है; इसी तरह से इस बिल को पढ़ने से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वास्तव में इस बिल को रखने का जो मंतव्य है, उसूल इसमें लिखा हुआ है, वह इससे पूर्ण नहीं होता। मैं इसको कुछ कड़े शब्दों में, कड़वे शब्दों में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इतना कहता हूं कि यह ठगी की चीज़ है; यह ठगी जरूर है, खास तौर से उन भोले किसानों के साथ में जो रात-दिन परिश्रम करके उत्पादन करते हैं।

जो हमारा देश है, वह कृषि प्रधान देश है। यहां की ८० प्रतिशत जनता कृषक है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करते हुए देश को ऊंचा उठाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। उस किसान के लिए उसकी प्रोडेक्शन की ताकत को बढ़ाने के लिए, जमीन का सुधार करने के लिए कुछ कार्य किये जायं जिससे उसको राहत मिले। उसी सम्बन्ध में जब यह बिल पारित हो जायगा तो मंडी के अन्दर उनका पैदा किया हुआ अनाज बेचा जायगा। जब मैंने इसको अन्दर से देखा, तो मुझे लगा कि जिस चीज के लिए रखा गया है वह मामला दिखावे का मामला है, वह किसानों की भलाई के लिए ऊपर से देखने पर लगता है। ऊपर से देखने पर लगता है कि किसानों की इससे खुशहाली होगी और अब तक जो किसान दलाल, हमाल, कमीशन एजेन्ट आदि बिचोलियों से परेशान था आज से आगे किसान आनन्द से अपना प्रोडक्शन बेच सकेगा और कुछ कमा सकेगा। यह दिल में सोच कर इस भावना को लेकर मैंने इस बिल को पढ़ना शुरू किया सारा तो नहीं पढ़ा, इसको आधा पढ़ा और इसके अन्दर जो तीन-चार चीजें लिखी हुई थीं,

(श्री मोहरसिंह)

उनको देख कर मेरे दिल के अन्दर दुःख हुआ और मैंने सोचा कि किस प्रकार ऊपर से किसान को दिखाने से राजी करके अन्दर कुछ और चीज लाई जा रही है। हमें इस बात का दुःख नहीं है कि ऊपर से मीठा लगा कर कुनेन दे दी जाय, क्योंकि उससे बीमारी दूर हो सकती है, लेकिन ऊपर से मीठा लगा कर अन्दर विष दिया जाय, जहर दिया जाय, तो हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये कड़वे शब्द कह रहा हूं, क्योंकि मैं पंजाब के नजदीक का रहने वाला हूं और जिस चीज़ की नकल राजस्थान में की गई है, देश में जो लहर चली है, मंडी एक्ट की, मुझे आप माफ करना, मुझे मालूम है कि १९४० से मंडी नाम की चीज़ पंजाब में चली और वहां से यह लहर चली, वहां से इसका प्रोपेगेन्डा किया और मंडियां बनाई गई। उस चीज़ की नकल के स्वरूप आज इस विधान सभा में हमारे कृषि मिनिस्टर ने यह चीज़ रखी है। इस बात को मुझे खुशी है कि उन्होंने इसको असेम्बली के सामने रखा है कि हम यह करने जा रहे हैं लेकिन इसमें जो कुछ बनाया गया है उसमें शायद कृषि मन्त्री को यह मालूम नहीं होगा कि यह किया जा रहा है वह क्या है और मुझे शंका है कि यह जो कुछ भी यहां इस बिल में रखा गया है वह कृषि मंत्री ने अपने हाथ से देख कर रखा हो या इसको देख कर दस्तख्त किये हों ; इसमें मुझे पूर्णरूप से शंका है। उनके सामने रखा गया, उसी पर उनके दस्तख्त हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल के नाम का प्रश्न है ऐसा मालूम होता है कि यह कृषकों के लिये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मगर वास्तव में जो चीजें इसमें होनी चाहिये वे नहीं हैं। इसलिये मैंने महसूस किया कि यह बिल जल्दी से जल्दी पास होना चाहिये मगर अच्छे ढंग से पास होना चाहिये जिससे किसानों को दो पैसे की पैदा हो सके और दो पैसे उनके घरों में आ सकें। इसलिये मैंने यह कहा है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे। मैंने इस बिल को जहां पढ़ना शुरू किया, किसानों की डेफिनिशन दी गई है उसके लिये मैंने देखा। मैं यह कहूंगा कि किसानों के साथ कितनी मज़ाक की गई है। एक जगह आपने लिखा है कि जो हाथ से काश्तकारी करते हों या मजदूरों से काश्त कराते हों या किसी तरह से काश्त करता हो वह काश्तकार है। मगर उसके आगे आपने यहां पर लिखा है कि वे किसान जो मंडी में दूकान करते हैं उधर खेती करते हैं या मंडी में आढ़त करते हैं वह किसान नहीं कहलाएगा। खाली यह कह दिया कि आढ़त करता है या व्यापार करता है। उद्योग में सब को छूट है। खेती से कुछ दिन उसको फुर्सत मिलती है उस समय में अगर वह आढ़त करता है तो वह किसान नहीं होगा।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : पशु-पालन करते हैं वह भी काश्तकार नहीं होंगे।

श्री मोहरसिंह : इस पर मुझे सख्त ऐतराज है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे। मैं निवेदन करूंगा कि कृषकों की डेफिनिशन जो है उसको मज़ाक का विषय नहीं बनाया जावे। आपने जो यहां पर एग्रीकल्चरिस्ट की

(श्री मोहरसिंह)

परिभाषा की है उसके लिये वास्तव में मुझे एतराज है।

इसके आगे जो बड़ी मंडियें कायम की जावेंगी उनकी क्या शक्ल होंगी, गांव में कायम होगी या अनाज को बेचने की मंडी होगी, उनका क्या दायरा होगा ? इसमें रहनेवाला कोई किसान या खरीददार जब तक यह नोटिफिकेशन हो जावे उसके बाद में कोई भी बिना लाइसेन्स के काम नहीं कर सकेगा। मान लें कि मंडी कमेटी बाद में बनी तो उसकी क्या हालत होगी ? हमारा यह नारा है कि समाजवादी समाज का निर्माण किया जाए और सब को काम दिया जावे । जहां गवर्नमेंट को इसके लिये गारन्टी देनी चाहिये वहां पर सरकार यह कहती है कि जो छोटे २ धन्धे करते हैं या खरीद या फरोख्त करते हैं वे इससे वंचित रहें। समझ में नहीं आता कि यह किस प्रकार की मजाक है ? उपाध्यक्ष महोदय, किसान पर एक तो यह प्रतिबन्ध और दूसरा यह प्रतिबन्ध कि उसके दायरे की जो मंडी हो वहां पर जाय । मान लें कि पदमपुर की मंडी उस किसान के यहां से तीन मील पड़ती है और दूसरी मंडी १५ मील पड़ती है अगर यह कह दिया जाए कि वह गंगानगर की मंडी में जाए तो उसके लिये वह दूर पड़ेगी और अगर किसी नजदीक की मंडी में वह अपना सामान बेचेगा तो उसको फायदा होगा । होना तो यह चाहिये था कि वह अपने नजदीक की किसी मंडी में अपनी पैदावार को बेच सके । मैं यह कहूँगा कि किसान हमेशा पीस ऑफ माइन्ड चाहता है। आपने यहां पर इस बिल को लाकर पंजाब के बिल की नकल की है। मैं यह कहूंगा कि आप वहां की हालत को जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां पर किसानों को कितनी सहूलियतें है। किसानों की गाड़ियों को रखने के लिये मकान बना दिये गये हैं। हमको भी यहां पर यह करना चाहिये था कि जहां पर उनको भाव पड़ता खावे और जो नजदीक स्थान हो वहां पर वे अपनी उपज को बेच सकें । मगर हमने यहां पर उनको इस बात से भी वंचित कर दिया है । इससे किसानों का भला होता था, उन सारी चीजों को भी आपने इसमें छीन लिया है।

इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहूँगा कि जहां तक मंडी कमेटी कायम नहीं हो जाये उसके बीच में सरकार लाइसेन्स देगी । डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन में सरकार उनको लाइसेन्स देगी । हमने १५ वर्षों में देख लिया है कि सरकार ने किस प्रकार से लोगों को लाइसेन्स दिये हैं । हम इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से लाइसेन्स देने में पक्षपात चलता है। हम देखते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि लाइसेन्स देने में किस प्रकार का पक्षपात किया गया है। आप देखेंगे कि या तो अपने चेलों को गाड़ियों के लाइसेन्स दिये और इस ढंग से दिये कि पुराने काम करनेवाले थे उनको पीछे रख दिया। इसलिये इस पर भी विचार करना है।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज़ और रखी कि किस प्रकार से मंडी कमेटी बनाई जावेगी ? पंजाब में भी ऐसा है । मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के बाद सिलेक्ट कमेटी के जो सदस्य हों उनसे मैं निवेदन

(श्री मोहरसिंह)

करूंगा कि वे वहां जाकर रेवाड़ी और रोहतक दोनों को देखें और यह देखें कि वहां किस प्रकार से मार्केटिंग कमेटी बनी हुई है । किस प्रकार गांवों से वे लोग अपनी प्रोडक्शन को ले जाकर बेचते हैं । यह चीज़ मौके पर जाकर देखनी चाहिये और यह बात जो सिलेक्ट कमेटी बने उसमें शामिल कर दी जानी चाहिये ।

अब जहां तक मंडी कमेटी के कन्सट्रक्शन का सवाल है, कहने को तो यह कहा जाता है कि हमारे यहां हम प्रजातंत्र कहते हैं लेकिन जब हम कमेटी के कन्सट्रक्शन को देखते हैं तो मालूम होता है कि कितनी मजाक की है । कमेटी में १५ आदमी होंगे जिसमें से ७ किसानों के संगठन में से होंगे । वे कौनसे होंगे जिनको सरकार कहेगी किसान । वे लोग कहने के लिये तो किसान होंगे, मगर वास्तव में किसान नहीं होंगे । वे नकली किसान होंगे । मगर उनका नाम सरकार ने किसान दे दिया उनका संठगन होगा उन रिप्रेज़ेन्टेशन के रूप में माने जावेंगे । ७ तो वे होंगे और ८ दूसरे होंगे जिनकी कमेटी बनेगी । मुझे इस पर भी सख्त एतराज होगा कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन की बात आप एक तरफ कहते हैं और दूसरी तरफ पंचायतों पर भी हलकाबन्दी बांध दी जावे कि दो आदमी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ के हों । इससे उनका क्या उद्देश्य रह जाएगा । इसका यही उद्देश्य रहेगा कि जिसकी मर्जी का आदमी होगा वह रहेगा । होना तो यह चाहिये कि पंचायतों को अधिकार दे दिया जाना चाहिये कि वे मंडी कमेटी बनाएं । अगर ऐसा होता तो मैं समझता हूं कि वह डेमोक्रेटिक होगा, वह ठीक होगा, सही होगा बनिस्पत उन नकली और फसली संगठनों के जिनको सरकार मानेगी और अपनी स्वीकृति प्रदान करेगी । यह उचित होगा ।

इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह भावना सही माने में है कि यदि इसको एक क्रान्तिकारी कानून बनाना है, मंडियों की लूट से यदि किसान को बचाना है, नकली और फसली संगठनों से किसान को बचाना है और दो पैसा गरीब किसान के घर पहुँचाना है तो इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय । अन्य जो इसमें कमियां हैं वे मेरे माननीय सदस्यों ने अच्छी तरह से बता दी हैं, मैं उनका बार बार पिष्टपेषण करना उचित नहीं समझता हूँ । इसलिए मैं तो यह कहता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय । वहां पर पंजाब और दूसरी जगहों के एक्ट्स मंगाये जायं, रूल्स मंगाये जायं और वहां जाकर सिलेक्ट कमेटी उन मंडियों को देखे और कम से कम पंजाब का तो अनुग्रहण करें । मैं यह तहदिल से चाहता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और इसको एक पूर्णत: ढंग का कानून बनायें जिससे राजस्थान के किसानों को राहत मिले और देश की तरक्की कर सकें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स बिल को प्रवर समिति को सौंपे जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने बहस की । मैं भी उनके स्वर में समर्थन करते हुए इस बात को मानता हूं कि इस बिल को प्रवर

(श्री शंकरलाल)

समिति के सुपुर्द करना चाहिये । लेकिन उसके पूर्व बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी ओर माननीय सदस्यों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो प्रवर समिति बने वह किन किन बातों को ध्यान में रखे । उपाध्यक्ष महोदय, वैसे हमने एग्रीकल्चरिस्ट्स के लिए और एग्रीकल्चर के सम्बन्ध में इस सदन में कई बार चर्चायें की हैं और भिन्न २ विधेयक हमारे सदन के समक्ष आये हैं । हमने एग्रीकल्चर के बारे में बीज उत्पादक, सीडलिंग का कानून पास किया और मार्केट के सम्बन्ध में यह बिल पास करने जा रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि वैसे प्रजातन्त्र के अन्दर कानून और नियम का राज्य होता है लेकिन वे ऐसे कन्सोलिडेटेड और कोऑर्डिनेटेड होने चाहिये जिससे सुविधा हो लेकिन यदि अलग अलग विधेयक एक ही चीज़ के लिए बनते हैं तो वे साधारण जनता को और किसानों को जिनके लिए कि ऐसे कानून बनाये जाते हैं उनको दुविधा में डालनेवाले होते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के कृषक, एग्रीकल्चरिस्ट्स के लिए, चाहे सीडलिंग के लिए कानून बनाया जाय, चाहे मार्केट के लिए वह एक ही विधेयक होना चाहिये जिससे मालूम हो सके कि वास्तव में राजस्थान के कृषक के उत्पादन के लिए क्या सुविधा है और उत्पादन के बाद जब बेचने का प्रश्न आता है तो उसके मार्केट के लिए क्या सुविधा है । इन चीजों का एक बिल होना चाहिये । काश्तकारी के कई पहलू हैं और उनके लिये अलग अलग कानून बनायें तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि वे साधारण जनता के समझ में नहीं आ सकते, कृषकों के समझ में नहीं आ सकते । इसलिए सबसे पहला मेरा निवेदन यह है कि माननीय कृषि मंत्रीजी से या इस समय जो सदन में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे कि हल के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए और मार्केट के लिए एक ही कानून बनायें जिसमें उत्पादन से लेकर मार्केट तक की एक ही में व्यवस्था हो ।

जैसा उद्देश्य में कहा गया है मार्केटिंग में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उपज का एक तरह का मूल्य मिले, नीचे न आवे और एग्रीकल्चरिस्ट को प्रोत्साहन मिले, इसके लिए सेन्ट्रल कमेटी ने इस बात की ओपिनियन दी और हम भी मानते हैं कि ऐसा कानून होना चाहिये । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे इन्डस्ट्री का मार्केट हो, चाहे एग्रीकल्चर का मार्केट हो जो इकॉनोमिक अर्थ शास्त्र का मूल सिद्धान्त है वह डिमान्ड और सप्लाई पर निर्भर करता है । हम कानून के जरिये उस मार्केट को इस प्रकार से कटिबद्ध नहीं कर सकते जो इकॉनोमी के जनरल सिद्धान्त से दूर हो । किसी चीज़ की डिमान्ड ज्यादा और सप्लाई कम है तो कीमत ऊंची होगी और किसी चीज़ की सप्लाई ज्यादा है और डिमान्ड कम है तो कीमत नीची होगी । यह इकॉनोमिस्ट का माना हुआ सिद्धान्त है । आज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ज्यादा तादाद में देश में हो तो अवश्य इसकी कीमत नीची रहेगी । अगर प्रोड्यूस कम है तो कीमत हाई होगी । इसलिए यह डिमान्ड और सप्लाई का सवाल

(श्री शंकरलाल)

है, यह अर्थशास्त्र का प्रश्न है । यह जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग का बिल बना रहे हैं उसका इससे समन्वय कैसे होगा, डिमान्ड एण्ड सप्लाई किस प्रकार रेगुलेट करेंगे, इसके लिए इस बिल में कोई विचार-धारा नहीं मालूम पड़ती है कि डिमान्ड एन्ड सप्लाई का प्रश्न यह विधेयक कैसे हल करेगा । उपाध्यक्ष महोदय, यह आवश्यक है कि कृषकों को एक जगह सुविधा मिल जाय, उनकी चीजों की खरीद के लिए एक जगह कन्ज्यूमर्स मिल जायं । इस प्रकार की सुविधा उनको दी जा सकती है । उनकी चीजें सीधे कन्ज्यूमर्स के पास पहुंचे, इन्टर मिजियरी न हों उनके लिए इतने बड़े कानून बनाये जायं, इलेक्शन की बात कही जाय, यह उपयुक्त नहीं है । इसको छोटा करना चाहिये, संक्षेप में मामूली कानून होना चाहिये जिससे कि कृषक और साधारण जनता इसको भूलभुलैया में न फंसे, वे गोरख-धन्धे में न पड़ें और इस चीज़ को समझें । इसलिए इसके इस मकसद को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस कानून को शॉर्ट में, संक्षेप में बनाया जाय ।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि बहुत से माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में बोल चुके हैं । जो परिभाषायें इस बिल में दी गई हैं वे दूषित हैं । मुझे समझ में नहीं आता कि टिनेन्सी एक्ट है उसमें एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा बता दी है कि किसान की परिभाषा क्या होगी, तो मार्केट के लिए कृषक की अलग परिभाषा और बीज के लिए अलग परिभाषा, हल के लिए अलग परिभाषा बनावें और साधारण जनता और दूसरे लोग किस तरह से करें, क्या इस प्रकार की अलग अलग परिभाषायें सब के लिए बनावेंगे ? बीज, उत्पादन, आदि के लिए ये परिभाषायें होंगी, टिनेन्सी एक्ट का जहां सवाल आता है तो वहां पर कृषक की ये परिभाषायें हैं । किसान किसको कहेंगे, इसके लिए एक ही परिभाषा होनी चाहिये और टिनेन्सी एक्ट ने एक परिभाषा मंजूर की है, सदन ने मंजूर की है तो क्यों नहीं वे सब ही कानूनों में एक होनी चाहिये ? अगर इसमें चेन्ज होती है तो फिर वहां भी चेन्ज होगी । इसलिए इस प्रकार से जो इसकी मूल बातें हैं वे दूषित मालूम होती हैं, आपत्तिजनक मालूम होती हैं । अलग अलग परिभाषायें रखी गई हैं वे ध्यान देने योग्य हैं ।

तीसरा म्युनिसिपैलिटियां मार्केट से अलग रहेंगी और म्युनिसिपैलिटी की स्वीकृति बिना वहां पर यह एक्ट लागू नहीं होगा । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो ? आस-पास के जो गांवों के कृषक होते हैं अधिकतर उनके प्रोड्यूस म्युनिसिपैलिटी एरिया में बिकते हैं । उदाहरणतः जयपुर को देखिये । आस-पास सैकड़ों गांवों का उत्पादन जयपुर म्युनिसिपैलिटी की सीमा में आकर बिकता है । इस प्रकार के प्रोवीजों से एक असमानता मालूम होती है कि इस मामले में रूरल पोपुलेशन को अलग रखें और म्युनिसिपैलिटीज़ को अलग रखें । एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए एक ही तरह का कानून और व्यवस्था करनी पड़ेगी । इस प्रकार का जो प्रोवीजो है वह मैं समझता हूं आपत्तिजनक है, दूषित है ।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि पंचायत और पंचायत समितियों का कानून

(श्री शंकरलाल)

बना हुआ है, हाट बाजार और मार्केटिंग का आधार दिया हुआ है कि किस प्रकार रेगुलेट होंगे। वे अपने एरिया में अपनी तरफ से व्यवस्था करेंगे। फिर मेरी समझ में नहीं आता है कि पंचायत और समितियों को अधिकार दिया है एक्ट के अनुसार उनका समन्वय कैसे होगा ? जो पॉवर्स गवर्नमेंट अपने पास लेने जा रही है, अलग अलग ऑफिसर्स को पॉवर्स दे रही है, डाइरेक्टर्स को पॉवर्स दे रही है, पंचायत समितियों और पंचायतों को अधिकार दिये हुए हैं और उन विधेयकों में व्याख्या की है, एरिया, मार्केटिंग आदि के लिए पॉवर्स दी है--उनका कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, अधिकारों को समन्वय कैसे होगा ? तो इस बात का प्रवर समिति में ध्यान रखा जावे कि जिन कानूनों के द्वारा अधिकार है पंचायत और पंचायत समितियों को; उनका समन्वय कैसे होगा। इसको ध्यान में रखा जावे।

(३ म. प.)

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इस एक्ट के आने के बाद सर्व प्रथम मार्केटिंग कमेटी होगी वह पहले पहल नोमीनेट होगी। मैं नहीं समझता कि इस तरह की चीजों में नोमीनेशन की जरूरत किस प्रकार सामने आयी ? जब हम एक व्यवस्था रखने जा रहे हैं एक तरफ तो हम डेमोक्रेटिक बनाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ ऑटोक्रेसी को अन्दर घुसा रहे हैं यह जो आप रख रहे हैं कि पहली जो कमेटी होगी वह नोमीनेटेड होगी उसका दो साल का पीरियड होगा, यह उचित नहीं है। आप एक व्यवस्था रखिये इस प्रकार के प्रोविज़न्स हमारे प्रजातंत्री सिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं, इसलिये नोमीनेशन का प्रोविजों इसमें नहीं होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे से पूर्व बोलनेवाले माननीय सदस्य ने पुरजोर शब्दों में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात कही थी; वास्तव में वह महत्वपूर्ण बात है। इस सदन के अन्दर जो जो भी कानून बनाये जायं उसमें इस प्रकार के प्रोविज़ो जो रख दिये जाते हैं वे एक प्रकार से विचारणीय चीजें हैं। इस तरफ मंत्री महोदय को ध्यान देना होगा और प्रवर समिति भी इस बात को ख्याल में रखे। जो पॉवर्स डेलीगेटेड रखे जायं वे किसी हद तक रखे जांय। इसके अलावा सेन्टर का एक कानून बना हुआ है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एक्ट, उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। उसके अन्तर्गत जो मार्केटिंग सोसाइटी के रूल्स बने हुए हैं उसका इसमें किस प्रकार से को-ऑर्डिनेशन होगा। ऑलरेडी जो कानून बने हुए हैं उनको भी मद्देनजर रखना है। इसी प्रकार जो अलग अलग प्रोवीज़ो में स्टेट गवर्नमेंट के पॉवर्स की बातें कही गई हैं; वे मेम्बर्स को रिमूव कर सकते हैं, मार्केटिंग की प्रोसीडिंग्ज को कॉल कर सकते हैं, मार्केटिंग सोसाइटी जो बनती है उसको सुपरसीड कर सकते हैं, ये जो पॉवर्स हैं वे सरकार के पास न होकर जब कि हमने डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन का सिद्धान्त माना है वैसी हालत में ये अधिकार हम जिला परिषदों के पास रख सकते हैं। इसी प्रकार के पॉवर्स लोकल एरिया के अन्दर मार्केटिंग कमेटीज के कार्य में गवर्नमेंट का इन्टरफियरेन्स रखते हैं, यह उचित नहीं है।

(श्री शंकरलाल)

यह हमारी डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन के सिद्धान्त के प्रतिकूल भी है। इसमें ऐसे बहुत सी पॉवर्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी हैं; उसके लिये भी प्रवर समिति को विचार करना चाहिये; जिला परिषद् और पंचायत समितियों को किस हद तक पॉवर्स दे सकते हैं; ये सब बातें प्रवर समिति में सोची जा सकती हैं। इतना ही निवेदन करता हुआ कि बहुत सी पेचीदगी भरी बातें इस कानून में हैं जिनको ध्यान में लाना जरूरी है, प्रवर समिति इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए संक्षेप में छोटा से छोटा इसको बना कर सदन में रखे, तो वह बहुत उपयुक्त होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : इस पर काफी वाद-विवाद हो चुका है।

श्री लादूराम सुलाणियां (दूदू-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम तो प्रवर समिति में है; इसलिये आप नहीं बोल सकते।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : प्रवर समिति में होते हुए भी बोलने में क्या दिक्कत है ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रेक्टिस यह है कि प्रवर समिति में जो होते हैं वे नहीं बोलते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रस्ताव पर काफी वाद-विवाद हो चुका है....

श्री उपाध्यक्ष : सिलेक्ट कमिटी के प्रस्ताव को आप स्वीकार करते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं स्वीकार कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : विचार-धारा हम प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): It has been sufficiently debated.

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में सदन की समिति ले ली जायगी कि इस बहस को बढ़ाया जाय या नहीं। I will take the sense of the House just after Rawal Narendra Singh has spoken.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मार्केटिंग बिल पर काफी वाद-विवाद हो चुका है। यह ऐसा विषय है, जिसके लिये कानून बनाने का प्रश्न उपस्थित हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी कानून उपस्थित हैं वे काम में लाये जायं और यह सोचा जाय कि जो काफी जरूरी हैं उनको काम में लाना चाहिये। यह चीज़ ऐसी है, कृषकों से संबंध रखती है जो अपढ़ हैं, जो कानून से वाकिफ नहीं उनको कानून की पेचीदगियों के अन्दर लाकर इस मसले को और ज्यादा जटिल करना मैं तो यह समझता हूं जैसा कि प्रवर समिति का सवाल तय हो चुका है इन बातों के वास्ते जितनी कम उलझन डाली जाय उतना अच्छी है।

एक तरह से देखा जाय अनाज और

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

चीज इसके अन्दर आते हैं उसके अन्दर तो इस बात की आवश्यकता पूरी रहती है कि वे चीजें डेस्ट्रोय नहीं होती हैं; इसमें ज्यादा नुकसान नहीं होता । लेकिन फल-फूल, तरकारियां वगैरह इस तरह की चीजें हैं इनको कानून के अन्दर शामिल किया जाय; इससे बड़ी दिक्कत महसूस होगी । इसलिये मेरा तो यह निवेदन है कि प्रवर समिति इस बारे में सोचे और गौर करे, जहां तक हो सके इसमें सरलता रखी जाय ।

जयपुर नगर के अन्दर जो आज राजधानी है जहां पर म्युनिसिपैलिटी के कानून बने हुए हैं इससे पहले भी जितनी तरकारियां फल-फूल आदि यहां होते थे उनका जयपुर के माली और कृषक उनको बीकानेर और जोधपुर तक भेजा करते थे । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि कानून को सोच विचार के बनाये बिना बड़ी भारी दिक्कत पैदा हो जायगी । दूसरी चीज यह है कि इस वास्ते पहले भी कानून बने हुए हैं पहले उनको तो फलीभूत हो जाने दीजिये, उनका क्या नतीजा सामने आता है, वह देख लेने के बाद आप यदि इसको आवश्यक समझते हैं तो बाद में भी ला सकते हैं । मार्केटिंग का जहां तक सवाल है वह केवल अनाज और बीज के वास्ते रख दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं है, फल-फूल, तरकारियों का समावेश इसमें न किया जाय तो ज्यादा ठीक मैं समझता हूं । काफी माननीय सदस्यों ने इस पर विचार व्यक्त कर दिये हैं, मेरा ज्यादा बोलना उनका पिष्टपेषण होगा । इतना ही कहता हुआ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं ।

(श्री लादूराम मुलाखिया के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : मैं जानना चाहूंगा, आपका नाम सिलेक्ट कमेटी के अन्दर दिया गया है, उसमें एज़ ए मेम्बर आप रहना पसन्द करेंगे या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : इसमें पसन्द करेंगे या नहीं करेंगे, इसका बोलने में हस्तक्षेप से क्या सम्बन्ध है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह कन्वेन्शन रहा है कि जो सदस्य सिलेक्ट कमेटी की मेम्बरशिप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कन्वेन्शन की बुनियाद पर उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है । यह कन्वेन्शन इस हाउस का भी है और दूसरे सदनों का भी है ।

श्री भैरोंसिंह : जब तक सदन यह पास न कर ले कि फलां फलां मेम्बर सिलेक्ट कमेटी में हैं केवल इन-एन्टीसिपेशन में कि वह कमेटी का मेम्बर होगा, किसी मेम्बर को अपनी ओपीनियन एक्सप्रेस करने से नहीं रोका जाता और इस प्रकार का कोई कन्वेन्शन नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : पहले कन्सेन्ट ले ली जाती है तब नाम लाये जाते हैं । तो जिनके नाम होते हैं वे नहीं बोलते, यह इस हाउस का भी कन्वेन्शन है और दूसरे हाउसेज़ और सदन का भी यह कन्वेन्शन है ।

श्री भैरोंसिंह : ये नाम पहले मन्जूर हों, हाउस पहले इन नामों को पास कर दे; नहीं तो सिर्फ इन-एन्टीसिपेशन कि यह

(श्री भैरोंसिंह)

सदस्य होगा उसको रोकने का कोई कन्वेन्शन नहीं है। हाउस इस प्रकार के प्रोपोज़ल को एप्रूव कर दे।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस ऐसा चाहता है, ऐसा कन्वेन्शन रहे। मैं फोर्टीफाइड हूँ इन कन्वेन्शन से। लोक सभा का कन्वेन्शन भी इसी तरह से है। इसका उपयोग अगर नहीं किया गया तो बोलनेवालों का अन्त नहीं होगा। उन सदस्यों को बहुत कुछ मौका सिलेक्ट कमेटी में बोलने का रहेगा और रहता है। इसी बुनियाद पर यह कन्वेन्शन बराबर चलता आ रहा है कि जो सदस्यता स्वीकार करें प्रवर समिति की वे प्रायः न बोलें, यह कन्वेन्शन है।

श्री भैरोंसिंह : मेरी ऐसी राय है जैसा आपने फर्माया कि जो उस समिति का सदस्य न रहे वह बोल सकता है पर अभी तय नहीं हुआ कि यह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द भी होगा या नहीं। ऐसी हालत में कैसे जाना जाय कि वह प्रवर समिति बनेगी और ये उसके सदस्य रहेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : हाउस में तो यह तय हो चुका, यह मेरी धारणा है और मन्त्री महोदय ने यह सूची सदन में प्रस्तुत की है सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों की। तो यह तो वाकया है कि माननीय मन्त्री महोदय इसे स्वीकार कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : ऐसा हाउस में इस प्रकार का कोई इम्प्रेशन होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय ने अभी कहा है न।

श्री भैरोंसिंह : मैं माननीय मन्त्री महोदय पर डिपेन्ड नहीं करता ; हाउस पर डिपेन्ड करता हूं। हाउस इसको एप्रूव करता है या नहीं, यह हाउस का सैंस मालूम होना चाहिये और अब तक हाउस की मर्जी है उसका सैंस मैंने जाना है इसलिये हाउस की मर्जी के मुताबिक मैंने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : इतना मौका तो इस आसन को भी आप देंगे कि हाउस का सैंस पहिचान सके, समझ सके और यही समझ कर और पहिचान कर मैंने कहा है और इसी को माननीय मन्त्री महोदय ने समझा है और इसलिये यह प्रस्ताव रखा है।

श्री भैरोंसिंह : यह ठीक है, पर नामों में संशोधन आ सकता है कि अमुक अमुक सदस्य रहेंगे। कोई सदस्य कह सकता है, मैं प्रस्ताव कर देता हूं कि श्री लादूरामजी को ड्रॉप किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : बस, मैं श्री लादूरामजी की भावना को भी समझ गया हूं। बस। श्री लादूराम।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु.): माननीय उपाध्यक्षजी, यह विधेयक जो सदन के सामने विचारार्थ है और माननीय सदस्यों ने इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव रखा है ; मैं यह निवेदन करना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : कर दीजिये न जल्दी।

श्री लादूराम सुलाणिया : हमारे यहां के करोड़ों आदमियों पर जो कृषि की उपज

(श्री लादूराम सुलाणिया)

से अपना भरण-पोषण करके और अपने परिवार का पालन करते हैं और उनकी जो उपज है उसको अच्छे मूल्य पर ले जाकर और इस समिति के द्वारा अगर उसको अच्छी कीमत प्राप्त करा सकें, इस विचार से और इसकी एक अच्छी उपज के लिये यह नाम रखा है। वह सिर्फ नाम है उसका। पर अन्दर जो देखें तो जैसे एक सोने का घड़ा होता है और उसके अन्दर विष भरा है उसकी तरह है। ऊपर से देखने वाले समझें कि यह घड़ा सोने का है और इसके अन्दर विष नहीं होगा, अमृत होगा और उसे अमृत समझ कर पी जावें तो क्या होगा? तो माननीय उपाध्यक्षजी, यही इस बिल का हाल है। इस बिल के विषय में यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिल जिस प्रकार के रूप के लिये बनाया जा रहा है और इसके लिये जो दलील दी गई है कि आज बाजार में जिस तरह से व्यापारी अपनी मर्जी माफिक भाव पर उस किसान की उपज ले लेता है वह इस कानून के बनने पर नहीं ले सकेगा; पर मैं समझता हूं कि इससे भी अधिक नुकसान इस बिल से होगा अगर इसकी शकल ऐसी ही रही।

आज तो यह है कि किसान अपनी उपज लेकर मार्केट में आता है तो दस जगह भाव पूछ कर जहां उसको अच्छी रेट मिलेगी बेच सकेगा और इस तरह उसको फायदा हो सकता है, पर यह कमेटी बन जाने पर और इसके ऐसे ही नियम रहने पर वह सारा माल-असबाब मंडी में इस समिति के पास ही आवेगा और जो उस समिति के इन्सपेक्टर, डाइरेक्टर अन्यथा और कोई भी सुपरविज़न करने वाला जो उच्चाधिकारी होगा वह जो उसे नम्बर एक या दो या तीन का माल बतावेगा उसी के अनुसार उसकी जो रेट मुकर्रर होगी वही उसको मिलेगी। इस तरह उसको अपनी मन इच्छा के अनुसार कीमत प्राप्त नहीं हो सकेगी; इस तरह से अच्छे मुनाफे से वह वंचित हो जावेगा। उसको नफा न होकर माननीय उपाध्यक्षजी, नुकसान होगा और उसको लेकर अपने हाथ मसलता हुआ अपने घर चला जावेगा।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो इस समिति से सरकार किसान को फायदा देना चाहती है वह फायदा उसको नहीं मिलेगा। सरकार ने किसान को राहत देने के नाम पर इस बिल को मूव किया है पर मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल से किसानों के नाम पर हमारे राजस्थान के जो बड़े लोग हैं, जिनके पास अधिक धन है वे अपना पचास-पचास-साठ-साठ हजार लगा कर जिन्होंने अपने बड़े बड़े फार्म खोल रखे हैं जिनके अन्दर पचासों नोकर कृषकों के रूप में कार्य कर रहे हैं और वे खुद अपनी मोटर लेकर और यहां से बहुत दूर तक सैर करने चले जाते हैं, जिनको अनुभव नहीं कि कृषि कैसे होती है और हल कैसे चलाया जाता है, बीज कैसे उसमें डाला जाता है और पौधों को छोटे से बड़ा किस तरह किया जाता है, उनको किसी प्रकार का एक्सपीरियन्स नहीं है पर आज उनके बड़े बड़े फार्म हैं उनको सर्टीफिकेट मिलते हैं कि तुम इस बात का इतना ज्यादा व्यापार बिज़नैस और इन्कम कर सकते हो और इसी मकसद से यह सरकार ने बिल पेश किया है और इस बिल से ऐसे बड़े लोगों को लाभ मिलेगा

Page No.87

(श्री लादूराम सुलाणिया)

और वे कृषकों का शोषण करेंगे और सरकार तक पुकार की तो सरकार भी इन बड़े लोगों के दबाव में उनको सुनेगी नहीं। जिस प्रकार मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किये हैं उससे जाहिर होता है कि इस तरह के बड़े बड़े फार्मर लोग इनके सदस्य बनाये जावेंगे ; किसानों को नहीं बनाया जावेगा।

आज भी देख लीजिये। मिसाल के रूप में आज से पहले तहसील वाइज भूमि-अलॉटमेंट कमेटी बनी और उसमें पांच सदस्य रखे। एक सरकार की तरफ से एक Social worker नियुक्त किया गया। माननीय उपाध्यक्षजी, सोश्यल वर्कर ऐसा होना चाहिये जो हर गांव में पैदल जा सके। हर गांव और हर किसान के घर पहुंच सके और उनकी हालत देख सके और उसका ब्यौरा कमेटी के सामने रख सके। आप लिस्ट उठा कर देखें। भूमि-वितरण की इस कमेटी में ऐसे आदमी रखे, बड़े बड़े लखपति लोग जो एक फर्लांग पैदल चल गये तो पैरों में छाले पड़ जावें। एक भी मीटिंग इन लोगों ने अटेन्ड नहीं की क्योंकि इसमें उनको किसी प्रकार का टी. ए., डी. ए. नहीं मिलता था। और मैं निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार से उनसे कोई फायदा जो मिलने वाला था नहीं मिला। वही हालत आज इस बिल की होनेवाली है आगे जाकर।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को देखने से यह पता लगा है कि यह बिल किसान के नाम पर बनाया गया है पर इसका फायदा किसको मिलेगा, यह मैंने बताया है। और हम यह भी जानते हैं कि आज गांवों में सरकार के द्वारा जितनी भी फेसीलिटी काश्तकारों को और अन्य लोगों को मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाई। वह प्रत्यक्ष है। इसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि यह एक तरह से अड़वा है। जिस तरह से लोग खेत के चारों ओर एक तरह से अड़वा लगा देते हैं कि जिससे फसल को जानवर न खावें उसी तरह से इस उपज का लाभ किसान न खा जावे तो उसके लिए यह कानून एक तरह का अड़वा है और जो सरकार के पसन्द के आदमी हैं, जो उसके हितैषी हैं, जो उसके गुट्ट के हैं और जिनको सरकार यह समझती है कि ये हमारे खास रिलेटिव हैं उनको लाभ मिलेगा और अन्यों को नहीं मिलेगा।

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने कुछ वर्षों पहले राजस्थान में कोऑपरेटिंग्ज़ चलाई और किसानों को बरगलाया गया कि तुमको कोऑपरेटिव से बहुत फायदा होगा। उनसे कहा गया कि तुम शामिल होकर खेती करोगे तो तुमको अधिक जमीन दी जायेगी, बीज दिये जायेंगे, अच्छी खाद दी जायेगी, कर्जा दिया जायेगा लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान को छोड़िये आप सिर्फ जयपुर जिले का ही निरीक्षण कर लें और देखें कि इसमें कितनी सोसाइटियां बनीं, कृषि सोसाइटीज़ ने कितनी तरक्की की, कितनी जमीन मिली, कितना बीज मिला, कितनी खाद मिली और कितने इन्सपेक्टर्स गये, उसकी उपज में कितनी वृद्धि और नुकसान हुआ। आज गांवों की स्थिति हमारे सामने है। गांव के लोग बिल्कुल

(श्री लादूराम सुलाणिया)

बेकार हो गये हैं । उनको जिस तरह का फायदा मिलना चाहिये था वह नहीं मिला और फायदे के बजाये उल्टा उनको नुकसान मिला। हमारी विधान सभा के सम्मुख एक बिल लाया जाता है और जो उस बिल की परिभाषा है, उसको सुन्दर बनाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया जाता है। उसकी देखरेख करके यह चीज़ लाना चाहते हैं कि जनता इसका समर्थन करे और हमको बधाई दे ताकि यह मालूम हो कि हमारी राजस्थान सरकार अच्छा विधेयक बना कर किसानों का फायदा करना चाहती है । लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय ने इसे सदन के सामने प्रस्तुत किया और वह इस बात को मानते हैं कि यह बिल बहुत सुन्दर है लेकिन सुन्दरपने का जो महत्व है वह इसके अन्दर से रह गया है और वह क्यों रह गया है ? जिस प्रकार मिट्टी के खिलौने बनाने वाला कारीगर हाथी बनाता है और हाथी बनाते बनाते उसकी लम्बी सूंड मुंह के ऊपर लगाता है लेकिन बदकिस्मती से सूंड मुंह पर नहीं लगाकर दुम पर लगा दी और बजाय वह हाथी बनने के बन्दर बन गया । तो यह हमारे राजस्थान की किस्मत की बात है। तो मैं निवेदन करूंगा कि यह बिल किसानों को धोखा देने के लिए बनाया गया है। यह किसानों के लिए कहा जाता है कि तुम्हारी चीजों को अच्छे भाव पर बिकवायेंगे और उस कीमत से तुम मालामाल हो जाओगे ! लेकिन इसके अन्दर क्या है ? किसानों के लिए दिल नहीं है, छुरी है। इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये । मैं तो कहूंगा कि ऐसे बिलों को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के पहले माननीय मन्त्री महोदय को मालूम होना चाहिये कि इसमें कुछ ऐसे क्लॉज़ेज़ हैं जो कि किसानों के लिए घातक हैं और इसके अन्दर एक क्लॉज ऐसा है कि जो हमारे सिद्धान्तों के प्रतिकूल है । ऐसे क्लॉज़ेज़ को वापिस लिया जाना चाहिए और अच्छी धाराओं को एड करना चाहिये। उसके बाद में अगर इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि यह अच्छा बिल बन सकता है और हमारे राजस्थान के जो किसान हैं उनको फायदा मिल सकता है। अगर इस तरह से नहीं किया गया तो किसानों को इस प्रकार का धोखा दिया जा रहा है कि उससे हमारी सरकार को भी कोई फायदा मिलनेवाला नहीं है । इसके अन्दर लिखा है कि एक सर्कुलर होगा समिति का और जितने भी गांव उसके दायरे में होंगे उसकी उपज की चीजें किसान उसके अन्दर ही आकर बेचेंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हमारी तहसील मालपुरा के करीब तहसील फागी का गांव है। उसका थाना मालपुरा में है और उसका एस० डी० ओ० सांभर में है जो कि उस गांव से २०० मील पड़ता है। अगर उसकी मन्डी सांभर में बनाई गई तो मैं निवेदन करूंगा कि उस गांव के किसान को जो कि उसकी उपज की चीजें हैं उनको २०० मील ले जाना होगा। अब आप ही सोचिये कि दो सो मील उसको अपना सामान ले जाने में कितना किराया देना होगा और यदि कुछ ऐसे फल हुए कि जो खराब हो सकते हैं तो उनको कैसे ले आ सकेगा ? वे तो रास्ते में ही खराब हो जायेंगे और उसका

(श्री लादूराम सुलाणिया)

बड़ा भारी नुकसान होगा। क्योंकि इस बिल के द्वारा किसानों को नुकसान होगा, मैं इसका विरोध करता हूं और माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ की शुद्धि करने के बाद यह प्रवर समिति को सौंपा जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्दनमल वैद ।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट विधेयक, १६६० को प्रवर समिति के सुपुर्द करने पर प्रस्ताव पेश हुआ है, उसका मैं समर्थन करता हूं और इसके अन्दर कई ऐसी गल्तियां हैं जिनको मैं समझता हूँ कि जब तक यह बिल प्रवर समिति को नहीं सौंपा जायगा तो वह सुधर नहीं सकती हैं । इसलिए यह जरूरी है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो-चार गल्तियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो कि इस बिल में बहुत ही साफ दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले गल्ती तो जो एग्रीकल्चरिस्ट की डेफीनिशन है उसमें है। एग्रीकल्चरिस्ट की डेफीनिशन में लिखा है कि वह किसको माना जायेगा :

"...although such dealer or broker may also be engaged in the production or growth of agricultural produce".

अगर कोई आदमी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ग्रोथ में लगा हुआ है, खेती की पैदावार करता है लेकिन उसके साथ ही साथ यदि वह थोड़ा व्यापार करता होगा तो वह एग्रीकल्चरिस्ट नहीं माना जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से किसानों को साल भर का धन्धा नहीं मिलता और अपने खेती के धन्धे को सप्लीमेंट करने के लिए दूसरा भी धन्धा करते हैं। तो इस कानून के मुताबिक हम उनको मुमानियत कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर और चूरू जिले को यदि हम देखें तो मालूम होगा कि वहां पर साल में एक ही फसल होती है और बाकी के ६ महीने वह दूसरा काम करते हैं। अगर वह खेती के अलावा घी का व्यापार करते हैं, बहुत से ऐसे किसान हैं कि जो अपने गांव के आसपास से घी खरीद कर उसको मण्डियों में ले जाते हैं और इस प्रकार का काम करते हैं; अब इस नये विधेयक के मुताबिक किसान नहीं माने जायेंगे । एक तो यह जो डेफीनिशन दी गई है, यह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि यह परिभाषा बहुत से किसानों के लिए घातक होगी और उनके साथ अन्याय होगा । इसलिए यह जो डेफीनिशन है उसको चेन्ज करना चाहिए। पहली मिस्टेक तो यह है....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या श्री हरिप्रसादजी यादव मन्त्रि-मन्डल में आ गये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : इनकी उछल कूद हुआ करती है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : ये भी (श्री हरिप्रसाद यादव) अपने कुछ विचार प्रकट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

Page No.90

श्री चन्दनमल वैद : जरूर मौका दिया जायेगा ।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभ-नगर-सु०/) : माननीय सदस्य नीद नहीं निकालें सब चेयर्स बराबर हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, श्री हरिप्रसादजी अपना स्थान ग्रहण करें । .

(श्री हरिप्रसाद यादव अपने स्थान पर गये)

श्री चन्दनमल वैद : इसी प्रकार से दूसरी गल्ती उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के क्लॉज़ ३ में है । उसके अन्दर यह बताया है कि किसी भी एरिया को जब मार्केट घोषित किया जायेगा तो उस समय क्या क्या कार्यवाही की जायेगी । उसमें यह बताया गया है कि वह गजट में प्रकाशित किया जायेगा और उसके बाद एक महीने तक ऑब्जेक्शन्स सुने जायेंगे । लेकिन साथ ही साथ खण्ड ४ के ५ वें प्रावधान में यह बताया गया है कि अगर किसी मार्केट को घटाया या बढ़ाया जायेगा तो केवल नोटिफिकेशन से ऐसा किया जा सकेगा । तो इसमें मेरा यह कहना है कि जब मार्केट बनता है तब तो आप एक महीने तक ऑब्जेक्शन्स सुनेंगे लेकिन जब उस मार्केट की घटोतरी या बढ़ोतरी की जायेगी उस समय केवल नोटिफिकेशन निकाल कर ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए । जिस समय आप मार्केट को घटायें या बढ़ायें तो उस समय भी ऑब्जेक्शन्स सुने जाने चाहिए । क्लॉज़ ३ के अन्दर तो आपने ऑब्जेक्शन्स सुनने का प्रावधान रखा है लेकिन क्लॉज़ ४ में आपने यह ऑब्जेक्शन सुनने का प्रावधान नहीं रखा, यह गल्ती है और इसमें सुधार करना बहुत जरूरी है ।

तीसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि क्लॉज़ ११ के अन्दर भी गल्ती रह गई है जिसको सुधारना चाहिए । इस क्लॉज़ ११ के कारण सारे बिल में ही गल्ती रह गई है और बिल में लिखा है : "(1) The market committee may employ in the prescribed manner such officers and servants as may be necessary for the management of the market and may pay such officers and servants such salaries as the market committee thinks fit." तो इस से क्लॉज़ यह मालूम होता है कि इस सिलसिले में सरकार कोई नियम बनायेगी क्योंकि इसके अन्दर लिखा है प्रेस्काइब्ड मेनर, तो वह सरकार करेगी। इससे मालूम होता है कि इस क्लॉज़ के अन्तर्गत रूल्स बनाये जायेंगे लेकिन जहां रूल्स की बात आती है तो क्लॉज़ २ के (११) में लिखा है "(xi) 'Rules' means rules made under Section 31" इसका मतलब यह है कि रूल्स वही माने जायेंगे जो कि क्लॉज़ ११ के अन्दर बनाये जायेंगे और धारा के अन्तर्गत जो रूल्स बनाये जायेंगे वे नहीं माने जायेंगे। और धारा ३१ के अन्दर इस पर्पज़ के रूल्स बनाने के लिए प्रोविज़न नहीं है तो या तो यह मानना चाहिए कि जो रूल्स ११ के अन्तर्गत बनायें जायेंगे उनको नहीं माना जायेगा । इसलिए इसमें यह गल्ती रह गई है और इसको सुधारा जाना चाहिए । एक तरफ तो रूल्स नहीं होंगे और क्लॉज़ ३१ में रूल्स बनाने का प्रोविजन है तो यह एक बहुत बड़ी मिस्टेक रह गई है। क्लॉज़ ११ का वह रूल्स माना

(श्री चन्दनमल वैद)

नहीं जायेगा और इस तरह से एक बहुत बड़ा कानूनी डिफेक्ट रह जायेगा ।

इसके अलावा अब मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २८ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें यह लिखा है: "(1) No offence under this Act or any rule or bye-law thereunder, shall be tried by a Court other than that of a Magistrate of the First Class or of a Magistrate of the Second Class specially empowered in this behalf."

इसमें एक तो लैंग्वेज ऐसी है कि जिससे मतलब साफ नहीं होता है। आपने लिखा है कि स्पेशल पॉवर से सैकिंड क्लॉस या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट्स को ट्रायल करने की पॉवर्स देंगे । मान भी लिया जाय कि सैकंड क्लास या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को स्पेशियली एम्पॉवर्ड कर देंगे तो जो इसकी लैंग्वेज है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को भी दे देंगे तो और सैकंड क्लास मजिस्ट्रेट को भी दे देंगे तो इससे स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है और उन लोगों को जो इस एक्ट के तहत पकड़े जायेंगे, उनकी सुनवाई का अधिकार इनको दिया जायगा । इसमें जो डिफेक्ट रहनेवाला है वह यह है कि हम एक ओर तो यह लिख देंगे कि जो कोई भी इस एक्ट की अवहेलना करेगा उसको सजा दी जायेगी और दूसरी ओर फर्स्ट क्लास या सैकंड क्लास मजिस्ट्रेट को एम्पॉवर करेंगे कि वे इसकी सुनवाई कर लें तो यह गल्ती होने वाली है । जो सैकंड क्लास या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट्स को एम्पॉवर करने की बात है तो जो दूसरे एक्ट में तो उनके और पॉवर लिए गए हैं, दूसरे एक्ट में भी ऐसा हुआ कि किसी को एम्पॉवर तो किया नहीं और उन एक्ट्स के तहत जुर्म होते रहे और उनकी सुनवाई करनेवाला कोई नहीं रहा । तो यह बहुत बड़ा डिफेक्ट इसमें रहनेवाला है । इसको जनरल कर देना चाहिए, जनरली जितने सेकिंड क्लास या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट्स हैं उन सब मजिस्ट्रेट्स को यह पॉवर रहेगी और जो यह स्पेशियली एम्पॉवर्ड वर्ड हैं उनको हटा देना चाहिए क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि पहले तो स्पेशियली एम्पॉवर्ड का प्रोविजन कर देते हैं लेकिन समय पर उनको पॉवर दी नहीं जाती, जिससे वे सुनवाई नहीं करते और इस एक्ट के तहत जो पकड़े जायेंगे वे इधर-उधर मारे मारे फिरेंगे, कोई उनको पूछनेवाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है और उनके फैसले नहीं होंगे ।

इसके बाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गम्भीर बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह क्लॉज़ ३१ के बारे में है। यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है और इसको गम्भीर इसलिए भी मानता हूँ कि हमारी सरकार ऐसे पॉवर्स लेना चाहती है जो मैं समझता हूं कि प्रजातन्त्र के अन्दर कभी काम में नहीं लिये जा सकते हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब इस बात में हो रहा है कि जब कोई बिल बनाया जाता है तो वह बिल पहले लॉ डिपार्टमेंट में–विधि विभाग में से होकर गुजरता है और पहले हर एक बिल विधि विभाग में जाता है । फिर इस बिल का

Page No.92

(श्री चन्दनमल वैद)

क्लॉज ३१ विधि विभाग के पास से कैसे गुजर गया या लॉ डिपार्टमेंट ने उसे देखा नहीं और अगर देखा है तो बहुत बड़ी इस बात की जरूरत हो गई है कि लॉ डिपार्टमेंट को सुधारा जाय, विधि विभाग का सुधार किया जाय। अगर यह क्लॉज लॉ डिपार्टमेंट के देखने के बाद भी रखा गया है तो मुझे कहना पड़ता है कि लॉ डिपार्टमेंट इनएफिशियेंट है, कॉम्पीटेन्ट नहीं है, उसको यह मालूम नहीं है कि भारत का संविधान क्या है और उसके तहत किस तरह का कानून बन सकता है, किस तरह के अधिकार लेजिस्लेशन से मांगे जाते हैं। जो प्रावधान रखा गया है वह इस तरह से है :—

"Rules made under this section shall be laid before the House of State Legislature at the session next following and shall be liable to be modified, or rescinded by a resolution of the said House and such rules shall, after notification in the official Gazette, be deemed to have been modified or rescinded accordingly:"

इसमें रखा है कि इसके नीचे जो रूल्स बनेंगे उन्हें इस सदन की मेज पर रखा जायेगा और एक प्रस्ताव के द्वारा उसमें संशोधन किया जा सकेगा या उनको रद्द किया जा सकेगा और फिर ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन होने के बाद वे रूल्स बनेंगे। इसमें जिस तरह से संशोधन हैं वे रद्द किए जावेंगे उस रूप में लागू होंगे, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष, जो इसमें प्रोवीजो है वह बड़ा मजेदार है....

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Vaid, much has been said on this issue both by Hon'ble Shri Sribhan Singh and Shri P. K. Chaudhary, and they have rightly expressed the opinion on this issue that this is a strange coincidence.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Now, Sir, the authority, the Chairman of the Committee on Subordinate Legislation is clarifying.

श्री उपाध्यक्ष : I don't want to curtail his right.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): He will have sufficient opportunity to speak....

श्री चन्दनमल वैद : यह इसका और प्रमाण है कि दो माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे हैं और दो, चार ही नहीं हर एक माननीय सदस्य को विचार रखना चाहिए इस विषय में; क्योंकि यह इतना गम्भीर मामला है कि हरएक माननीय सदस्य कहे तो भी थोड़ा है। यह सदन के प्रिविलेजेज को लेने का सवाल है, सदन के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है और इसलिये दो माननीय सदस्य ही नहीं, बल्कि जितने माननीय सदस्य इस बात को बारबार कहें तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि इस प्रकार की टेन्डेन्सी पैदा हो रही है, सरकार की यह टेन्डेन्सी बनती जा रही है और वे कुछ इस प्रकार समझने लगे हैं कि लेजिस्लेटिव और एक्जीक्युटिव में आपस में झगड़ा है। एक्जीक्युटिव के द्वारा इस प्रकार की ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा पॉवर

(श्री चन्दनमल वैद)

हमारे हाथ में आवे । यह कोशिश हो रही है कि जो लेजिस्लेचर है, विधान सभा की पॉवर हैं उनको अपने हाथ में लेकर विधान सभा की पॉवर्स को कम करें, यह जो एक्जीक्युटिव की टेन्डेन्सी बन रही है उस टेन्डेन्सी की तरफ हमें ध्यान आकर्षित करना चाहिए, उस टेन्डेन्सी का विरोध करना चाहिये और यह बता देना चाहिये कि एक्जीक्युटिव जो लेजिस्लेटिव का पॉवर लेना चाहती है, विधान सभा का जो अधिकार है उसको कोई ले नहीं सकता, कोई उसे छीन नहीं सकता, लेजिस्लेचर अपने आप में एक सुप्रीम पॉवर है, एक सोवरिन ऑथोरिटी है और सुप्रीम रहेगी और कोई भी ऑथोरिटी लेजिस्लेचर की इस सोवरेन्टी को, उसकी सुप्रिमेसी को कम नहीं कर सकती और अगर कम करने की कोशिश करती है तो गल्ती करती है और मैं समझता हूं कि जो इस तरह का प्रावधान हमारे एक्ट में रखा गया है तो यह भी कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी सदन में ऐसी बातें आ चुकी हैं और इसलिए भी इस वक्त जरूरी है कि हर माननीय सदस्य इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करे और जो हमारे मन्त्री महोदय ऐसे बिल पेश करते हैं तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वे भी इस ओर ध्यान नहीं देते कि वे किस प्रकार का बिल यहां पेश कर रहे हैं । मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे माफी चाहता हूं कि मैं इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, जो प्रोवीज़ो है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं । वह इस प्रकार है :

"Provided that, when, in the opinion of the State Government, such modification or rescission is likely to defeat or frustrate any of the purposes of this Act, the State Government may, by notification in the official Gazette, declare that the modification or rescission shall have no effect and thereupon the rules shall remain in force as if it had not been modified or rescinded."

कहना यह है कि अगर सरकार को यह मालूम पड़े कि जो विधान सभा ने संशोधन किया है उस संशोधन से इस एक्ट की कोई धारा का प्रभाव कम हो जाता है या वह समझे कि उससे इस एक्ट का पर्पज़ डिफीट हो रहा है तो राज्य सरकार बिना इस बात की परवाह किए हुए, बिना इस बात को कन्सीडर किए कि विधान सभा ने क्यों पास किया है, यह राजपत्र में प्रकाशित कर देगी कि चूंकि यह हमारे एक्ट के पर्पज़ को डिफीट करता है इसलिए इसमें विधान सभा ने जो संशोधन किए हैं वह कोई मायने नहीं रखते हैं और जो रूल्स बने वे ही असल में अमली रूप में कायम हैं ।

इस तरह की पॉवर कोई भी विधान सभा किसी भी एक्ज़ीक्युटिव को दे नहीं सकती । देने की बात तो दूर रही मैं समझता हूं कि कोई भी एक्जीक्युटिव इस तरह की पॉवर विधान सभा से मांग नहीं सकती । किसी भी एक्जीक्युटिव के द्वारा लेजिस्लेचर से मांग करने का बिल मैं समझता हूं कि लॉ डिपार्टमेंट के द्वारा पास नहीं किया जा सकता और अगर किया जाता है तो वह विभाग इनएफिशियेंट है, इनकॉम्पीटेन्ट है और इस बात की बहुत जरूरत है कि लॉ डिपार्टमेंट

Page No.94

(श्री चन्दनमल वैद)

को जल्दी से जल्दी री–एन्फोर्स किया जाय, अच्छे कॉम्पीटेन्ट आदमी रखे जायं जिससे इस तरह के डिफेक्टिव बिल, इस तरह के प्रोविजन सामने न आवें जो कि संविधान की भावना के प्रतिकूल हों। यह तो उसी तरह की बात हो गई कि जैसे पुराने समय में स्टेट्स के समय में होता था कि विधान सभा तो कोई कानून पास करती है और राजा-महाराजाओं को यह अधिकार था कि वे जिसको चाहे रद्द कर दें। उनको यह अधिकार था और वे ऐसा कर दिया करते थे कि जो बिल पास किया गया वह जनता के हित में नहीं है, इसलिए इसको रद्द समझा जावे और काम जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। लेकिन उस स्टेट के जमाने में और आज के समय में फर्क हो गया है । एक्जीक्युटिव का यह काम नहीं है कि वह यह देखे कि किसी प्रोविजन से उसका पर्पज़ डिफीट होता है या नहीं या उससे जनता का हित होता है या नहीं। यह देखना एक्ज़ीक्युटिव का काम नहीं है, इसका निश्चय तो विधान सभा ही कर सकती है । एक्ज़ीक्युटिव का काम तो इतना ही है कि विधान सभा के द्वारा जो कानून बनाए जावें उनका पालन कराने का, उनको एक्ज़ीक्युट करने का काम एक्ज़ीक्युटिव का है, उसको इम्पलीमेंट करने का काम है सिर्फ उनका। यह कभी नहीं हो सकता कि विधान सभा जो रूल्स बनाए उसको अमेंड करने या रद्द करने का अधिकार एक्ज़ीक्युटिव अपने हाथ में ले ले। इससे बढ़ कर तो विधान सभा के अधिकारों का अतिक्रमण हो नहीं सकता । माननीय उपाध्यक्ष, इस बात के कहने के बाद मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि यह आसनजो है समय के सिलसिले में कुछ बहुत चिन्तित है, इसलिए, इस वास्ते मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ५ मिनट, श्री हरिप्रसाद यादव।

(विराम)

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०) : माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान एग्रीकल्चर, कृषि, पैदावार बिल....

श्री उपाध्यक्ष : वह तो लिखा हुआ है उस पर। आप आरम्भ करें आगे।

श्री हरिप्रसाद यादव : वह बड़े महत्व का है । यदि उस बिल को पास कर दें तो हमारी राजस्थान की जनता पर कोई भार नहीं होगा। हालांकि, इस बिल को देखने के बाद और मेरे कई माननीय मित्रों ने इस सदन में जो अपनी विचारधारा रखी है उससे मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यदि यह बिल बन जाता है तो व्यापारी वर्ग को नुकसान होता है। यदि राजस्थान के कृषकों के लिए फायदेमन्द है तो व्यापारियों के एजेन्ट इसका विरोध करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किसानों की पैदावार को व्यापारी लोग अन्धाधुन्ध लूटते थे, आज जब किसानों की पैदावार का सही मूल्य देने के लिए राजस्थान सरकार यह बिल लाती है तो हमारे माननीय सदस्यों को पसीना आ रहा है ।

(श्री हरिप्रसाद यादव)

मैं, माननीय उपाध्यक्ष, यह निवेदन करूं कि यदि किसान अपनी खेती के चावल, गेहूं या कोई भी चीज जो मंडी में व्यापार के लायक चीज है उसको लाता है तो उसके लिए हम पैदावार बढ़ाने के लिए इस सदन में होहल्ला करके भाषण के रूप में रखते हैं, किन्तु आज जब पैदावार को बेचने का सवाल आता है, उसके लिए कमेटी बनाने का सवाल आया तो कानून की पेचीदगियां आ गई....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, 'होहल्ला' क्या चीज़ है ?

श्री हरिप्रसाद यादव : हमारे क्षेत्र में यदि किसान पैदा करता है और व्यक्तिगत रूप में बेचता है और आज यदि वह फार्मिंग सोसाइटी बना कर, उसका गल्ला भी गोदाम में जाता है, और मार्केट सोसाइटी बना कर उस सोसाइटी के जरिये मेम्बरों का माल बेचा जाता है तो वे लोग फायदे में रहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। आप प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, इस प्रश्न पर बोल रहे हैं ?

श्री हरिप्रसाद यादव : वह मैं लास्ट में कहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष, यह जो बिल आया है वह बड़े महत्व का है, वह किसानों के फायदे का है। यदि इस बिल में कोई कानूनी कमी रह गई तो माननीय मन्त्रीजी ने अपने भाई-बन्धुओं की एक कमेटी बनाई है उसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय....

श्री सोहनलाल भटनागर(सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष, it is quite objectionable..

श्री हरिप्रसाद यादव : प्रवर समिति के सुपुर्द करके किया जाय, या किसानों के हित का बिल है, इसलिए मैं इस बिल को प्रवर समिति के....

डॉ० बहादुरसिंह : मैं जानना चाहता था कि कोई कमेटी भाई-बन्धुओं की बनाई हैं वे भाई बन्धु ...

श्री हरिप्रसाद यादव : मैंने यह सुना है कि यह सोच रहे हैं प्रवर समिति बनाने का, जिसमें श्री लादूराम सुलाणिया को ले लिया जायगा, तो भाई-भतीजे को बना कर कर दी जाय तो अच्छा होगा ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय पर यह आक्षेप है कि भाई भतीजों की एक कमेटी बना दी गई है, तो यह कहना क्या उचित है ?

श्री हरिप्रसाद यादव : हम सभी भाई बराबर के हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, और ये शब्द वापिस लिये जाने चाहिए। आप वापिस ले लें।

श्री हरिप्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, भाई कहना कोई गुनाह नहीं है। यदि कोई भतीजा मेम्बर है, जैसे कि गोरधनसिंह हैं, उसको मैं भतीजा मानता हूं, तो क्या

(श्री हरिप्रसाद यादव)

हो गया ? श्रीलादूरामजी को भतीजा मान लें। तो मैं इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का समर्थन करता हूं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के संबंध में सदन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसके ऊपर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक के सिद्धान्त का सवाल है, मैं समझता हूं कि कोई भी इसके विरोध में नहीं होगा। इस सदन में सभी माननीय सदस्य यह इच्छा रखते हैं कि किसानों की प्रोड्यूस का जो उनको रिटर्न मिलना चाहिए वह वाजिब रीति से, वाजिब उनको मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था है और इसी दृष्टिकोण को लेकर सरकार द्वारा प्रस्तुत इस विधयक को माननीय सदस्यों ने देखा है और देखने के बाद जो इसके अन्दर त्रुटियां नजर आई हैं उनको सदन के सामने रखता किया है मैं ऐसा समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यदि इस सारे कानून की जगह केवल एक क्लॉज़ रख कर इस सारे कानून को खत्म कर दिया जाता तो इसमें इस प्रकार के वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं होती और हम भी ऐसा महसूस कर लेते कि सरकार केवल विधान सभा की मोहर लगवा कर इस प्रकार के अधिकार लेना चाहती है जिन अधिकारों का अपनी स्वेच्छा से प्रयोग कर सके।

जहां तक मार्केटिंग कमेटी बनाने का सवाल आता है उसको शुरू से लेकर अंत तक देखा जाय। तो सारा, सब कुछ सरकार की स्वीट विलपर डिपेन्ड करता है। सबसे पहले जब यह कानून लागू होगा तो उसके लागू होने के साथ ही कोई जिस प्रकार चुनाव की व्यवस्था इस कानून में की गई है उस व्यवस्था के अनुसार चुनाव नहीं होगा, बल्कि उसके स्थान पर सरकार के नुमायन्दों की मार्केट कमेटीज़ होंगी। सरकार किन को, किस प्रकार से नोमीनेट करेगी, उस इतिहास में इस समय मैं इस सदन को लाना नहीं चाहता, वर्ना नगरपालिका का इतिहास इस बात के लिए पूर्णतया साक्षी है कि सरकार नोमीनेशन पद्धति के अन्दर किस प्रकार की रीति-नीति से काम लेती है। लेकिन उस सारी व्यवस्था के पालन पर यदि इस विषय की इस गम्भीरता को देखें कि जो इलेक्शन की परिपाटी रखी है उनमें किन व्यक्तियों का इलेक्शन होगा ? कौन व्यक्ति इस प्रकार की संस्थाओं से नामजद किये जा सकेंगे ? किस प्रकार की संस्थाओं को यह अधिकार होगा कि अपने प्रतिनिधि इन मार्केट कमेटीज़ के अन्दर अपने रिप्रेज़ेन्टेटिव के नाते अपॉइन्ट कर सकेगी ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

मैं ऐसा समझता हूं कि क्लॉज़ ८ के अन्तर्गत इस बात की व्यवस्था की गई है और उस व्यवस्था के अन्दर इस बात का उल्लेख आया है कि हमें उन संस्थाओं को प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा जो कि आज इस समय इस कोऑपरेटिव बेसिस के आधार पर मार्केट सोसाइटीज़ के नाम पर हमारे प्रदेश के अन्दर फन्क्शन कर रही हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि जहां एक कोऑपरेटिव स्पिरिट का प्रश्न आता है और उस कोऑपरेटिव

(श्री भैरोंसिंह)

स्पिरिट के नाते जितने भी बेनिफिट्स, इन्डिजुअल्स को मिलने वाले बेनिफिट्स को कोआॅपरेटिव द्वारा सारे समाज में वितरित करने की दृष्टि से इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं उस व्यवस्था से विशेष प्रकार की आपत्ति किसी को नहीं हो सकती है । अपने लेकिन इसमें क्या है कि किसी काम के लिए कोई कानून बनाना है तो कानून बनाने में हमें अपने पिछले अनुभव को सामने रखना पड़ेगा । यदि हमारा पिछला अनुभव इस प्रकार का है कि जिसके आधार पर इसी कोआॅपरेटिव स्प्रिट के नाम पर, कोआॅपरेटाइजेशन के नाम पर, लोगों में सहकारिता के भाव पैदा करने की भावना से यदि इस प्रकार का कानून बनायेंगे तो कानून को अमली रूप देने के बाद जो सर्विसेज़ किसानों को देना चाहेंगे वे सर्विसेज़ ठीक प्रकार से दे नहीं सकते । मैं ऐसा समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में इस सदन के सामने एक उदाहरण पेश करूंगा तो सदन मेरी बात से इत्तिफ़ाक करेगा कि इस प्रकार के कानून में, इस प्रकार की व्यवस्था करने में जो बैकग्राउन्ड तैयार होना चाहिए वह ठीक प्रकार से तैयार नहीं हुआ है । अभी कुछ पिछले दिनों में राजस्थान में कई सहकारी समितियां बनी हैं, कई मार्केटिंग कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हैं और राजस्थान के बेसिस के ऊपर इन सारी मार्केटिंग सोसाइटीज़ का एक फेडरेशन बना है जिसको हिन्दी में क्रय-विक्रय संघ कहा जाता है । मैंने अभी बयाना से आनेवाले माननीय सदस्य का भाषण भी सुना था । उन्होंने भी इस क्रय-विक्रय संघ के सम्बन्ध में जो विचार था वह सदन में प्रस्तुत किया था । लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि उन विचारों के सम्बन्ध में यदि सदन में और तथ्यों की जानकारी दी जाय तो शायद सदन मेरी इस बात पर विश्वास करेगा कि हमारा कोआॅपरेटाइज़ेशन का अनुभव जिस प्रकार का आया है उस अनुभव से ज्ञात होता है कि विशेष रूप से कोआॅपरेटिव सोसाइटी के रिप्रेज़ेन्टेशन के बेसिस पर किसानों का लाभ पहुँचाना चाहते हैं वह किसी भी प्रकार से लाभ नहीं पहुँचा सकेंगे ।

सभापति महोदय, कुछ दिन पहले जिस समय गेहूं की फसल पक कर तैयार हुई थी उस समय हमारी राज्य सरकार ने हमारे राजस्थान में सूरतगढ़ का जो कृषि फार्म है उस फार्म से ८०,००० मन गेहूं खरीद करने के सम्बन्ध में बात-चीत की थी और जिस समय यह बात-चीत हो रही थी उस समय मैं ऐसा समझता हूं माननीय मन्त्रीजी जो आज इस बिल को पाइलोट कर रहे हैं वे उस विभाग के इन्चार्ज थे । उनके कारण सूरतगढ़ कृषि फार्म के मेनेजमेंट और हमारी सरकार के बीच समझौता हुआ कि रबी की फसल में ८०,००० मन गेहूं उस फार्म से राज्य सरकार खरीदेगी । लेकिन इसके बाद इस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ कि कोआॅपरेटिव फीलिंग पैदा करने के नाम पर व्यवस्थित रूप से स्थापित किया गया हो इस प्रकार का जो संघ था क्रय-विक्रय संघ ने कुछ दिन बाद राज्य सरकार के सामने यह आपत्ति उठाई कि जिस समय सारे किसानों से अनाज खरीद कर सप्लाई करने का काम क्रय-विक्रय संघ को सौंपा गया था उसमें सरकार हस्तक्षेप क्यों कर रही है ? यदि सरकार सूरतगढ़ फार्म से गेहूं खरीदती है तो वह क्रय-विक्रय संघ को सेबोटेज करना चाहती है जिससे कि किसानों को पनपने नहीं दिया जाय । इस पर सरकार ने यह निर्णय

(श्री भैरोंसिंह)

लिया कि ८०,००० मन गेहूं खरीदने का काम क्रय-विक्रय संघ को दिया जाय और जिस समय सूरतगढ़ फार्म के मेनेजमेंट से गेहूं खरीदने की बातचीत क्रय-विक्रय संघ की हुई उस समय एक दिक्कत सामने आई और वह यह कि उनके पास एजेन्सी का सर्टिफिकेट होना चाहिये कि सरकार ने जो गेहूं खरीदा है उसकी डिलीवरी क्रय-विक्रय संघ को दी जाय। इस तरह के लैटर ऑफ ऑथोरिटी के बारे में काफी समय तक बातचीत या लिखापढ़ी चलती रही। अंत में जून में इस प्रकार का सर्टिफिकेट दिया गया कि क्रय-विक्रय संघ हमारा एजेन्ट है। ४ जून को इस प्रकार का ऑर्डर इश्यू कर दिया गया। उसके बाद क्रय-विक्रय संघ की ड्यूटी थी कि वह ८० हजार मन गेहूँ को अपने कब्जे में लेता।

जो माननीय सदस्य सूरतगढ़ फार्म देखने गये होंगे उन्होंने देखा होगा और वे जानते होंगे कि वहां जो रबी की फसल बोई जाती है वह २७ मील लंबे ट्रैक में बोई जाती है और इस दूरी में स्थान स्थान पर उनके गोदाम हैं वहां पर गेहूँ या प्रड्यूस इकट्ठी की जाती है। वहां पर ८० हजार मन गेहूँ की ३०,००० बोरियें भरवा कर अलग रख दी गई और क्रय-विक्रय संघ को सूचना दे दी गई कि वह डिलीवरी ले ले। लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जिनका जिक्र मैं बाद में करूंगा। उनसे कहा गया कि अनाज की डिलीवरी ले लो लेकिन सभापति महोदय, अनाज की डिलीवरी नहीं ली जा सकी और हुआ यह कि ८० हजार मन गेहूं में से ३०,३५ हजार मन की डिलीवरी ली गई और वहां से अनाज हटा कर स्टेशन पर डाला गया लेकिन बाकी गेहूं वहीं पर पड़ा रहा। उसमें से १०-१५ हजार मन ऐसा था जो दूसरे गोदामों में था और बाकी दूसरों में था। यह रंगमहल स्टेशन सूरतगढ़ के पास है वहां लाकर क्रय-विक्रय संघ को रखना था। लेकिन वहां एक झगड़ा खड़ा हो गया। २७ मील के उस ट्रैक में जो गोदाम हैं वहां से गेहूं कैसे लाया जाय। यह सही है कि सूरतगढ़ फार्म के पास ट्रैक्टर्स हैं जिनके जरिये वे अनाज लाने की व्यवस्था कर सकते थे, स्टेशन तक माल पहुंचाया जा सकता था लेकिन जहां तक मुझे जानकारी मिली है और मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि वह सही है, सरकार चाहे तो इसकी जानकारी करले। जिस आदमी को डिलीवरी लेने के लिये वहां भेजा गया था उसने उक्त फार्म के मेनेजमेन्ट से बात की और वह चाहता था कि जो किराया क्रय-विक्रय संघ को देना पड़ेगा वह ३ हजार रुपयों के लगभग था उसमें से २,५००रुपये तो मैनेजमैन्ट लेले और ३,००० रुपये लेने की रसीद दे दे। इन ५०० रुपयों की कीमत में ५०,००० मन अनाज वहां से हटाया नहीं गया। नतीजा यह हुआ कि १०-११ जुलाई को राजस्थान में नहीं बल्कि सूरतगढ़ में भयंकर वर्षा हुई उसमें सारा अनाज पानी से गल गया। ८० हजार मन अनाज में से ३० हजार मन की डिलीवरी होती है और ५० हजार मन अनाज पानी में भीगने के लिए पड़ा मिलता है। मेरे पास उसकी फोटोज़ हैं। मैं भूल से यहां नहीं लाया हूं; उससे पता चल जाता कि किस प्रकार से गल्ला भीगा है और बाहर पड़ा रहा है।

अब सवाल यह आता है कि इसके लिये जिम्मेवार कौन है? जहां तक मेरी जानकारी है सूरतगढ़ मैनेजमेंट ने क्रय-विक्रय

(श्री भैरोंसिंह)

संघ से लिखवाकर लिया है कि ८० हजार मन अनाज की डिलीवरी क्रय-विक्रय संघ ने ले ली है। ऐसी हालत में उनकी जिम्मेवारी हो जाती है कि किसी प्रकार से ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था करते। लेकिन इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई। अन्त में नतीजा यह हुआ कि ५० हजार मन गल्ला था जिसमें से १०–१५ हजार मन गल्ले को तो खुद सूरतगढ़ फार्म के मैनेजमेंट ने अपने आदमियों को भेज कर त्रिपाल डाल कर बचाने की कोशिश की कि किसी प्रकार से वह बच जावे।

अब प्रश्न यह आता है सरकार के सामने कि ५०,००० मन अनाज में से करीब ३५ हजार मण गेहूँ इस प्रकार का है जो भीग गया है, उसके बारे में क्रय-विक्रय संघ यह कहता है कि भीगे हुए गेहूं का आटा बना कर जनता में बांट देंगे। इस ३५,००० मन गल्ले के बारे में एग्रीकल्चर विभाग को सूचना दी लैटर लिख कर कि हमारे पास गल्ला पड़ा है और वह इसलिये पड़ा है कि हम राजस्थान में रबी की फसल के लिये बीज देने वाले हैं। वह बीज आप मार्केट में न खरीद कर क्रय-विक्रय संघ की मार्फत खरीदें, क्योंकि हमने सप्लाई करने की रेस्पोन्सिबिलिटी ली है। इस लिखा-पढ़ी के बाद एग्रीकल्चर विभाग ने इस बात की जांच करने का आॅर्डर दिया है कि इसमें जर्मनिशन पॉवर कैसी है। मैं जानता हूँ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या करने वाला है। इसके बारे में मेरे पास न जानकारी है, न दे सकता हूं लेकिन पोज़ीशन ऐसी है कि अभी इस क्रय-विक्रय संघ को सरकार ने ३५ लाख रुपये राजस्थान में सीड और अन्न की सप्लाई करने के लिये लोन दिया है। इसी क्रय-विक्रय संघ ने ५०,००० मन गेहूं का आटा पहुँचाया है। रबी की फसल के लिये बीज की आवश्यकता होगी तब काश्तकारों को धोखा देकर यह भीगा हुआ गेहूं उनको बांट दिया जायगा। तब वे तीन-तीन आंसू रोयेंगे कि हम फसल पैदा नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकते बल्कि हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। इस सारी परिस्थिति में क्रय-विक्रय संघ नाम की कोआॅपरेटिव बेसिस पर मार्केटिंग संस्था किस तरह से काम करती है, इसका आपको पता चल गया होगा। आज दूसरे मुल्कों मे ५०,००० मन गेहूं इस तरह से बर्बाद कर दिया जाता वह भी ऐसे समय में जबकि पी. एल. ४८० नम्बर का १७ लाख टन अनाज हमको अमेरिका से मंगाना पड़ता है। इस ५० हजार मण रबी की फसल को बर्बाद करने के बारे में यदि सरकार सावधान है और ईमानदार है तो इस प्रकार का नुकसान करने वाले को चौपड़ पर फांसी दे दे। यहां इस बात का सवाल नहीं है कि इस संघ को ३५ लाख रुपयों का ऋण दिया गया है लेकिन सवाल इस बात का है कि इसी क्रय-विक्रय संघ के दो रिप्रज़ेन्टेटिव्ज़ लिये जायेंगे।

सभापति महोदय, मैं उन बातों की ओर सदन का ध्यान नहीं दिलाना चाहता हूं कि क्रय-विक्रय संघ ने जिस समय राजस्थान में फेअर प्राइस शॉप्स के जरिये मार्केट में अनाज मिलता था उस समय किस प्रकार की कार्यवाही हुई है। मैं समझता हूं सरकार और क्रय-विक्रय संघ में जो झगड़ा हुआ उसको सभी जानते हैं कि जहां से कोटा की मंडियों

(श्री भैरोंसिंह)

से अनाज खरीदा था और गंगानगर से क्रय विक्रय संघ की मार्फत अनाज खरीदा था उस समय कमीशन तय करने के बारे में झगड़ा हुआ था। क्रय-विक्रय संघ सरकार पर इल्जाम लगाता है कि हमारे काम में हस्तक्षेप करके जिस प्रकार से हम काम करना चाहते हैं उस प्रकार से काम नहीं करने देते हैं और सरकार कहती है कि जिस प्रकार की आकांक्षा हम करते थे उस प्रकार का काम नहीं किया इसलिये रिजेक्ट करना पड़ेगा। जिस क्रय–विक्रय संघ के कारनामे हमारे सामने हैं उसके लिये हम यह करें कि उसके दो रिप्रेजेन्टेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में रिप्रेजेन्ट करेंगे और किसानों को उचित कीमत दिलाकर उनका माल खरीदा जायगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज राजस्थान में पोलिटिकल-स्केन्डल बन रहा है। गवर्नमेंट की आंखों के नीचे यही क्रय–विक्रय संघ कर रहा है। इसकी जितनी जल्दी जांच करवा कर इसको नहीं तोड़ा जायगा तब तक पोलिटिकल–स्केन्डल खड़ा रहेगा।

(४ म० प०)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हम भावावेश में आकर, सहकारिता की भावना पैदा करने के लिए, जोश में आकर, जो सहकारिता का टार्गेट है, उसको अचीव करने के लिए सर्वथा इस प्रकार कोई निर्णय लेंगे, तो जनता उसका स्वागत करने वाली नहीं है। आप जाइये गांवों में और देखिये कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किस प्रकार काम कर रही है। सहकारिता की भावना शुद्ध है, इसमें समाज का हित है, इस समाज के हित के लिए इन्डीवीजुअल के बेनिफिट को पब्लिक में बांटना चाहते हैं, इसके ऊंचे ऊंचे और मोटे मोटे सिद्धान्त हैं। लेकिन होता क्या है कई सोसाइटीज़ के अन्दर पूरी मेम्बरशिप नहीं मिलती है, मेम्बरों का जो शेयर का अमाउन्ट होता है, उसकी रसीदें नहीं मिलती, जो केपिटल सरकार की ओर से लगाया हुआ है, उसका हिसाब नहीं मिलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में, घोटालों की, गड़बड़ियों की और अनियमितताओं की शिकायतें सदन में होती हैं और गांवों में प्रत्यक्ष देखने को मिलती हैं। उसके लिए कहें कि उसके अन्तर्गत सारा काम चलेगा, तो मैं उस काम के प्रति कोई विश्वास नहीं रखता और मैं सदन से भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के विश्वास के रखने की आवश्यकता नहीं है।

मैं एक बात की ओर भी, माननीय सभापति महोदय, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वह है, धारा आठ के अन्दर हमारी सरकार ने व्यवस्था की है, इसके कॉन्स्टीट्यूशन की। मैं ऐसा समझता हूं कि मैं केवल इतना सा कह कर विचार करूं कि सरकार ने इस विषय पर जो नोमीनेशन की पॉवर अपने हाथ में रखनी चाही है, उससे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि किसानों का हित नहीं होने वाला है। आज कोई यह समझे कि किसान, जिनके हाथ में पॉलीटिकल पावर्स हैं, जो विधान सभा के सदस्य हैं, लोक सभा के सदस्य हैं वे किसानों के रियल रिप्रेज़ेन्टेटिव हैं, तो मैं स्वीकार नहीं करता। स्वीकार इसलिए नहीं करता कि किसानों का इन्ट्रेस्ट, पॉलिटिकल इन्ट्रेस्ट, ये दोनों इन्ट्रेस्ट इस ढंग से कोलाइड करते हैं कि किसानों का इन्ट्रेस्ट जो

(श्री भैरोंसिंह)

सेफ गार्ड किया जाना चाहिए, वह नहीं होता है। मैं इसलिए निवेदन करता हूं कि इस स्थिति के अन्दर जहां पोलिटिकल कन्सीडरेशन के आधार पर किसानों का मनोनयन-निर्वाचन, सरकारी मशीनरी के द्वारा, जो सरकारी मशीनरी आज की है, तो निश्चित रूप से मानिये, जो टिलर ऑफ लैंड हैं, उनका रिप्रज़ेन्टेशन नहीं होगा. बल्कि टिलर ऑफ लैंड को एक्सप्लोइट करनेवाली पॉलिटिकल पब्लिक एजेन्सी है, उसका रिप्रज़ेन्टेशन होगा, उनका भला होगा। आप देखिये, कौन से किसान की कोऑपरेटिव के थ्रू सर्विस होती है, कौन सा किसान है जिसको कोऑपरेटिव मदद देती है ? मदद उसको मिलती है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य बने। वह सरकार से लोन लें और जब वापिस जमा कराने का समय हो तो कह दे कि नहीं है। अगर तहसीलदार पी.डी.आर. के तहत मुकदमा चलाता है तो मुकदमा लड़े और दो वर्ष की तारीख ले ले। यह कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू किसान की सेवा करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि कोऑपरेटिव का वांछित लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है नीचे से नीचे किसान की सेवा करना। नीचे से नीचे का किसान, जो दबा हुआ है, वह उन्नतावस्था प्राप्त कर सके, यह व्यवस्था करनी है। अगर यह नहीं कर सकते तो इस प्रकार के कानून से किसान को कोई संरक्षण नहीं मिलने वाला है।

अन्त में मैं इस कानून में लिखी हुई बातों के बारे में कुछ कहूंगा। मैं ऐसा समझता हूं, सभापति महोदय, यह कानून बनाया है और कानून बनाने के साथ साथ जो अधिकार दिये हैं वे वापिस छीन लिये हैं। सरकार ने एक आदत बना ली है कि कोई भी कानून बनाये, उसके अन्दर इस प्रकार ऐन्टीसिपेट करके चले कि इस कानून का उल्लंघन होगा। मैं समझता हूं यह डेमोक्रेटिक स्पिरिट नहीं है, पब्लिक को अपना काम करने के लिए अवसर देना चाहिए, आप अवसर देते हैं, उसमें गलतियां होती हैं, तो आपकी एक्जीक्युटिव का काम होता है, मन्त्री महोदय का काम होता है कि अगर डेमोक्रेटिक इन्सटीट्यूशन में कोई गलतियां होती हैं तो उनको शख्ती से रोके और ट्रेनिंग देने का एटीट्यूड रखे। उनको सिखाये और सिखाने के बावजूद अगर गलतियां करें, तो उसके कारण शख्त से शख्त सजा दें। हमारी सरकार ये दोनों काम नहीं करती हैं और एन्टीसिपेट कर लेती है कि जो कोई कानून बनाया है, उसका उल्लंघन होगा और क्योंकि उल्लंघन होगा, इसलिए सुपरसीड करने की पॉवर होनी चाहिए, कमेटी को डिज़ोल्व करने का अधिकार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ? आप कैसे एन्टीसिपेट कर रहे हैं कि मार्केटिंग सोसाइटी बनायेंगे तो उसमें गलतियां करेंगे ? आज यह अधिकार क्यों लेते हैं ? मैं समझता हूं कि अगर मंत्री महोदय क्रय-विक्रय संघ को भंग करके उसका प्रोसीक्यूशन करने के लिए बिल लायें, सदन की स्वीकृति लें, तो सदन स्वीकृति दे सकता है। लेकिन जो चीज़ बनी नहीं है, उसको भंग करने की व्यवस्था करें तो मैं समझता हूं कि यह डेमोक्रेसी के अन्दर फिट-इन नहीं होती। सरकार ने नोमीनेशन की पॉवर, सुपरसेशन की पॉवर ले ले, मेम्बर को हटा सकती है, यह पॉवर

(श्री भैरोंसिंह)

ले लें, लेकिन मैं समझता हूं कि कानून की धाराओं की भाषा को देखा जाय, तो ऐसा लगता है कि सरकार हर चीज़ के अन्दर हस्तक्षेप करनी चाहती है। एक जगह खाली हो गई, उसकी पूर्ति नहीं की गई तो उसका सूट फाइनल नहीं किया जा सकता है, उसका दावा नहीं किया जा सकता, जगह कितने दिनों में भरेगी, इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते! इस प्रकार की कमियां छोड़ी हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? आप टैक्स लगाने की व्यवस्था कर दें, टैक्स लगा दें लेकिन उसका ऑडिट कौन करेगा, इसकी व्यवस्था नहीं हो तो गड़बड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में जो परम आवश्यक चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए, नोमीनेशन करने का, सुपरसीड करने का जो सरकार ने अधिकार लिया है, वह गलत है। जो प्रिन्सिपल बनाये हैं, इस प्रकार की इन्स्टीट्यूशन के लिए, पंचायत के लिए, नगरपालिका के लिये, जिला परिषद् के लिए, वे बड़े प्रिन्सिपल हैं इलेक्शन के लिए और इलेक्शन के बाद उनके अधिकारों और उनके कामों में हस्तक्षेप न करने की व्यवस्था हमने स्वीकार कर रखी है, उसके आधार पर इस बिल को ड्राफ्ट करें और फिर स्वीकार करायें, तो ज्यादा उचित होगा।

अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिसके लिए कुछ कहना मेरा फर्ज है, और जिसके लिए सदन के माननीय सदस्यों ने पुरजोर शब्दों में सदन से अपील की है, एक क्लॉज़ के लिए अपील की है और कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि प्रवर समिति में जाने से पहले इस क्लॉज़ को रिजेक्ट किया जाय। सभापति महोदय, मुझे खेद है, उस बात को कहने के लिए। मैं पांच मिनट का समय और लूंगा। हमारे मूल अधिकारों का जहां प्रश्न आता है और कई मूल अधिकारों के प्रश्न को आज की शासन व्यवस्था की लाइट में लेकर देखते हैं, तो हमें लगता है कि आज की ब्यूरोक्रेसी ने प्रजातंत्र, शासन पद्धति और प्रजातंत्र के नुमाइन्दे के रूप में जो मंत्री मंडल है, उसको जबरदस्त शिकस्त दी है, एक मात दी है और मात इस प्रकार की दी है कि मंत्री मंडल के सदस्य जो ट्रेज़री बैंचेज़ पर विधान सभा में बैठते हैं वे कानून बना दें, और वे कानून मंत्रि-मंडल की स्वीकृति होने पर विधान सभा में पेश किये जायेंगे और विधान सभा फिर उन पर विचार करेगी। लेकिन एक कोई कानून मंत्री मंडल की स्वीकृति होने पर यहां पास करेंगे, उसके लिए डाइरेक्टर को अधिकार होगा कि वह मंत्रि मंडल की नाक के ऊपर चूना लगा कर कह दे कि जो कानून बनाया है, वह ठीक नहीं है, यह मंत्रि मंडल को इन्सल्ट ही नहीं, इस सदन की इन्सल्ट है और ब्यूरोक्रेसी का एक्सपेन्शन है। जो ब्यूरोक्रेसी अपने एक्सपेन्सन से सदन की तोहीन करती है, उस स्थिति में इस धारा को निकाला नहीं जाय तो मैं यह कहूँगा कि जिन मंत्री महोदय के दस्तख्त से, कृषि मंत्री श्रीनाथूराम मिर्धा के दस्तख्त से यह पेश हुआ है उनके लिए एक कमेटी बनाकर इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट की जाय। उनकी यह हिम्मत कि विधान सभा की तोहीन करें। मैं समझता हूं कि यह पहला मौका है जब हमारी इन्सल्ट की जा रही है। आज तक कई कानून बने हैं और हमने सरकार को

(श्री भैरोंसिंह)

अधिकार दिये हैं, लेकिन आज तक सरकारी अधिकारियों की हिम्मत नहीं हुई कि वे विधान सभा को नाकाबिल करार दे दें। हो सकता है आपकी दृष्टि में विधान सभा नाकाबिल हो, लेकिन कॉन्स्टीट्यूशन में विधान सभा को सर्वोच्च सत्ता माना है, उसके नीचे काम करने वाले सरकारी अधिकारी होते हैं और ऊपर वाली विधान सभा तो नीचे वाला ऊपर वाले को नाकाबिल कहता है तो इसका मतलब है कि ऊपर-वाला नीचे वाले को ठीक ढंग से गाइड नहीं कर सका। इसकी सारी रेस्पोन्सिबिलिटी मन्त्री महोदय के ऊपर है और मंत्रि-मंडल के एक मंत्री ने विधान सभा को अयोग्य बताते हुए, सारे प्रजातंत्र की तोहीन की है।

मैं इन शब्दों के साथ इस बिल के क्लॉज़ेज़ पर अपनी राय व्यक्त करता हुआ, सदन से और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि प्रवर समिति में जाने से पहले, इसके सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पास करने से पहले, इस धारा को वापिस लिया जायगा, इस प्रकार का माननीय मंत्री केटेगेरीकल एश्योरेंन्स दें, उसके बाद इस बिल के सारे क्लॉज़ेज़ पर ठीक ढंग से विचार करने के लिए प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि गम्भीरता से विचार किया जा सके और जो राहत हम पहुँचाना चाहते हैं वह ठीक ढंग से पहुंचा सकें।

श्री सभापति : Yes, Hon'ble Minister.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय चेअरमैन महोदय, इस बिल पर माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैंने पहले ही अर्ज किया कि एक प्रवर समिति बनाई जाकर इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो सदन में बहस हुई उसमें बहुत सी बातें कही गई हैं और मैं समझता हूं कि सदन में जितने माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की है उन सबने यह कहा है कि इस बिल का उद्देश्य अच्छा है और इसलिए इस बिल का सब माननीय सदस्यों ने स्वागत किया है। मगर इसमें कुछ कमियां बतलाई गई हैं, जिस कारण माननीय सदस्यों ने यह राय व्यक्त की कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक इस बिल के प्रवर समिति में जाने का सवाल है, यह बिल प्रवर समति में जाता है और वहां पर इस पर विचार करते हैं और वहां पर विचार करने के बाद फिर दुबारा सदन में पेश किया जाता है और उस समय भी कोई कमी हो तो सदन को अख्त्यार है कि वह उसकी कमियों को दूर करने के लिये सुझाव पेश करे। इसलिये जो कमियां हैं उनके लिये मैं ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन एक बात अर्ज करूंगा कि खास तौर से एक धारा के बारे में आपत्ति की है उसके लिये कहूँगा और यह कहा गया है कि उसको सिलेक्ट कमेटी में जाने से पहले ही विद्ड्रॉ कर ली जावे; मैं समझता हूं कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो बिल सिलेक्ट कमेटी में जा रहा है तो उसको सिलेक्ट कमेटी में जाने से पहले

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

ही उसकी धारा को विथ्ड्रा कर लिया जावे । बिल सिलेक्ट कमेटी में इसी लिये जाता है कि वहां पर उस बिल पर विचार हो और जो कमियें हों उनको दूर किया जावे और उसके बाद वह दुबारा सदन में पेश किया जावे । खास कर जहां तक खास धारा का प्रश्न है वह भी वहां पर सिलेक्ट कमेटी में जावेगी और उस पर भी विचार होगा । इसलिये यह कहना कि इससे विधान सभा के सदस्यों के मान और प्रतिष्ठा का हनन किया गया है इसलिये इस सेक्शन को वापिस ले लिया जावें तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि यह बिल सदन में विचार करने के लिये तो आया ही है । अब सदस्य यह कहते हैं कि....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : But as the Minister piloting the Bill, you should have seen this clause whether it should be placed before the House or not ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : There is nothing wrong.

श्री श्रीभानसिंह : It is absolutely wrong.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बिल ड्राफ्ट हुआ है....

श्री श्रीभानसिंह : It is absolutely unconstitutional.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : You quote me any provision from the Constitution. इसके लिये यह कह कर कि यह बात माननीय सदस्यों के लिये अपमानजनक है, ऐसी बात मेरी नजर में नहीं आती है । मैं यह कहूंगा कि सदन के सामने हमने बिल रखा है....

श्री श्रीभानसिंह : The Government should be able to justify the inclusion of this provision.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसको तो जब आप कन्सीडर करेंगे तभी करेंगे ।

श्री श्रीभानसिंह : You justify it.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I am justifying, you just hear me.

श्री श्रीभानसिंह : Since this clause has been a cause of severe criticism in the House...

श्री सभापति : One Member at a time please. Yes, Shri Shribhan Singh.

श्री श्रीभानसिंह : Since this House is near unanimity on this clause that this clause is very detrimental but since the Minister states there is nothing wrong, he should explain the cause...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं यह कहता हूँ कि सिलेक्ट कमेटी में यह बिल वापिस जा रहा है । सिलेक्ट कमेटी को अपनी राय जाहिर करने का अधिकार है । आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह क्लॉज़ इल्लीगल है ? हमने अभी तो यह बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया है और सदन चाहता है कि

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे। माननीय सदस्य कहते हैं कि इस क्लॉज़ को विथड्रॉ करके इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे....

श्री श्रीभानसिंह : Does the Constitution guides us...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : You quote authority or any provision from the Constitution. Mr. Chairman, I am in possession of the floor, he should not disturb me.

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Minister should explain what is unconstitutional ?

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): माननीय सदस्य इस बारे में अनसर्टेन हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : हम जान-बूझ कर....

श्री सभापति : We need not go into all the details but the Hon'ble Members would like to have a clarification as to why this clause has been kept here and I will request the Hon'ble Minister to explain this if at all possible.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बात जरूरी है कि आप जानकारी चाहेंगे कि यह क्यों जा रहा है, लेकिन यह दलील देना कि यह अन-कॉन्सटीट्यूशनल है, सभी माननीय सदस्यों ने माना है और मानने के लिये तैयार हैं कि यह बात नहीं आनी चाहिये। लेकिन यह कहना कि सदन का अपमान है, यह गलत है और इसमें कोई तथ्य नहीं है। जब यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जा रहा है तो इस क्लॉज़ को वापिस लेने का प्रश्न नहीं आता। किसी भी एसेम्बली में ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि सदन में बिल पेश हो गया और उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जा रहा हो तो उसमें से इस प्रकार का कोई क्लॉज़ पहले ही हटा लिया जाय। इसलिये यह डिमान्ड अन-कॉन्स्टीट्यूशनल है।

श्री श्रीभानसिंह : यह आपके कहने से अन-कॉन्स्टीट्यूशनल हो नहीं सकती। आप कहते हैं कि वर्ल्ड में किसी भी पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हुआ है....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : You quote me any instance. I still invite you and request you to quote me any instance. You have not any instance or procedure or way whe other it has been done before....

श्री श्रीभानसिंह : I have given you my arguments. Now it is for you to say and explain.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I will secure protection from the Chair, Sir. I should not be disturbed like this. I am in possession of House.

लेकिन मैंने कहा है कि अगर किसी माननीय सदस्य के अधिकारों का हनन होता है और अपमान होता है तो सभी सदस्यों

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

को अधिकार है और मेरा भी कर्तव्य हो जाता है कि मैं भी एक सदस्य के नाते उसके लिये कहता। अगर कोई अधिकार की बात होती तो मैं भी तो समझता हूँ। इसलिये आपको फील नहीं करना चाहिये कि हमारे अधिकारों का हनन होता है! सिलेक्ट कमेटी में डिस्कशन होगा कि क्या जस्टीफाइड है और क्या नहीं।

एक बात माननीय सदस्य ने यहां रखी फार्म के बारे में, बहुत लम्बी-चौड़ी बातें बताई और उसमें मेरा नाम भी इनक्ल्यूड किया। जहां तक मुझे याद है यह मेरी जानकारी में नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह : फेयर प्राइसेज़ के लिये, कोटा खरीदने के लिये तो आपके सामने हुआ है।

एक माननीय सदस्य : बोल आपके सामने रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फार्म के लिये मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि यह मेरे नोटिस की बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सरकार के नोटिस में नहीं है, आप यह कहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं निवेदन करूंगा कि मैं जब समाप्त करूं तब आप कहें। रिप्रेजेन्टेशन उसके लिये हुए या नहीं, उसके सारे इतिहास को बयान करने की और गवर्नमेंट ने ऐसा किया या नहीं, ये सारी बातें रिलेवेन्ट नहीं थीं कि फार्म ने क्या किया। यह स्टेज नहीं है अगर किसी स्टेज पर इसके लिये प्रश्न उठावेंगे तो इसका जवाब दे दिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या गवर्नमेन्ट ने सूरतगढ़ से अनाज खरीदा और जो बात उसके लिये कही गई, वह गलत है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं यह कहता हूं कि यह बात इस समय रिलेवेन्ट नहीं है। वह इस बिल के साथ रिलेवेन्ट नहीं है! इस बिल में सिर्फ एक बात है। अगर फार्म के बारे में कोई बिल रखते उसमें....

श्री श्रीभानसिंह : माननीन चेयरमैन, यह ठीक है लेकिन जब डिबेट में आरोप के रूप में आ जावे तो क्या माननीय मंत्री इसको हाउस में क्लेरीफाई न करें या सफाई न दें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं कोई बात नहीं कहता। मैं कहता हूं कि मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूं कि इस पर कोई बात बता सकूं। इसके एक्टीविटीज़ के बारे में कई जानकारी हो सकती हैं जिसको ऑफ हैन्ड नहीं बता सकता। कई बातें पैदा होंगी। सारी बहस होगी, इसलिये इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता।

मैं जस्टिफाई और अनजस्टिफाई करने की बात नहीं करता हूं और किसी स्टेज़ पर इस प्रश्न को माननीय सदस्य उठायेंगे तो उनको गवर्नमेंट की ओर से उत्तर दिया जा सकता है। मेरी जानकारी में तो यह नहीं है।

और भी कई बातें कही गई हैं। मैं समझता हूं कि प्रवर समिति के नाम आपके सामने

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

हैं। इसलिए इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय, यदि माननीय सदस्य इसको स्वीकार करें। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषक उपज विपणि विधेयक, १६६० को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में अपना प्रतिवेदन उपस्थित करे। प्रवर समिति के सदस्य निम्नांकित हैं :–

१. श्री नाथूराम मिर्धा, मिनिस्टर-इन-चार्ज
२. श्री पी० के० चौधरी
३. श्री गणपतिलाल वर्मा
४. श्री किशनसिंह
५. श्रीमती गोरी पूनिया
६. श्री श्रीभानसिंह
७. श्री सम्पतराज जैन
८. श्री सज्जनसिंह
६. श्री श्रीनिवास शारदा
१०. श्री शिवनाथसिंह
११. श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री
१२. श्री देवीलाल
१३. श्री रामप्रसाद लड्ढा
१४. श्री चुन्नीलाल
१५. श्री हरिकिशन
१६. श्री बृजमोहनलाल शर्मा
१७. श्री मुरलीधर व्यास
१८. श्री बालमुकुन्द
१६. श्री प्रभुलाल पुरोहित
२०. श्री जगदीशप्रसाद माथुर
२१. श्री रामकरणसिंह
२२. श्री लक्ष्मीचन्द
२३. श्री दलपतसिंह
२४. श्री लादूराम सुलाणिया
२५. श्री लल्लूराम

प्रश्न यह है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

राजस्थान लैंड रेवेन्यू एन्ड पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी (संशोधन) विधेयक, १६५०

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान लैंड रेवेन्यू एन्ड पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी (अमेंडमेंट) बिल, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एन्ड पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी (अमेंडमेंट) बिल, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

क्लॉज़ २ डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा यह संशोधन है कि धारा २५६ जैसी कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन से पूर्व ही मूल विधेयक में थी वैसी ही रखी जावे। सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद स्टेट गवर्नमेंट या लोकल ऑथोरिटीज़ को डिलीट कर दिया। मेरा निवेदन है कि यह बराबर रहना चाहिये। चाहे म्युनिसिपैलिटी का रुपया हो या लोकल बॉडीज़ का रुपया हो उसको वसूल करने के लिए लोकल ऑथोरिटीज़ या म्युनिसिपैलिटी की अदालतों के समक्ष जाना पड़ेगा। इसलिए उनको बचाने के लिए जिससे कि उनको कोई आर्थिक हानि न उठानी पड़े; इसकी आवश्यकता थी, लेकिन सिलेक्ट कमेटी ने इसको डिलीट कर दिया। उसको डिलीट न करके इन्सर्ट करना चाहिये। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे जिससे लोकल बोडीज़ बर्डन से बच सकें।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : माननीय चेयरमैन महोदय, जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है मैं उसका विरोध करना चाहता हूं। इस पर सिलेक्ट कमेटी में काफी वाद-विवाद हुआ था और फिर वादविवाद के ही बाद यह तय किया गया था कि लोकल ऑथोरिटीज़ शब्द का विलोपन कर दिया जाना चाहिये। जिन लोकल ऑथोरिटीज़ को पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी एक्ट के अनुसार वसूली का अधिकार दे दिया है और उसके लिए अलग एक्ट्स में प्रावधान किया हुआ है, इसी तरह से म्युनिसिपैलिटीज़ का प्रावधान एक्ट में किया हुआ है, वसूली पी०डी० आर० के तहत हो सकेगी इस प्रकार से जिला परिषद् और पंचायत समितियों के लिए बनाये गये एक्ट्स में दिया हुआ है। यह बिल बना रहे हैं यदि उसमें लोकल ऑथोरिटीज़ शब्द जोड़ दिया तो ग्राम पंचायतें हो सकती हैं और वे संस्थाएं भी हो सकती हैं जो म्युनिसिपैलिटीज़ और जिला परिषद् के एक्ट के अन्तर्गत नहीं आती हैं। यह बड़ा हथियार है और यदि इसको मामूली इकाई को देंगे तो लोगों के लिए परेशानियां और दिक्कतें पैदा कर देंगे। जिन लोकल ऑथोरिटीज़ को पावर्स देनी हैं वह हमने रेस्पेक्टिव एक्ट्स के अन्तर्गत ने दी हैं। उन कानूनों में तो अधिकार दे सकते हैं लेकिन हर लोकल ऑथोरिटीज़ को अधिकार दे देना अदायगी की वसूली का तो हर ऑथोरिटी उसको काम में लावेगी और दिक्कतें पैदा हो जावेंगी। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और निवेदन करता हूँ कि जैसा सिलेक्ट कमेटी ने रखा है उसको उसी प्रकार से रखा जाना चाहिये।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय चेयरमैन, जो माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। एक राय जो अभी माननीय सदस्य ने व्यक्त की थी वह एक अरबन और शहर की राय थी।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : My Constituency is comprised more of villages other than....

श्री सभापति : सरदारशहर की ?

श्री चन्दनमल वैद : मेरी कॉन्स्टिट्युएन्सी में गांव भी आते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : जब अलग अलग उन एक्ट्स में है और यहां पर एक्सक्ल्यूड कर देते हैं तो यह देखना पड़ेगा कि लोकल आँथोरिटीज़ की फाइनेन्शियल पोज़िशन क्या है और ड्युज़ कितने हैं। इन्डिविज्युअल्स या उनके जुरिस्डिक्शन में जो हैं, उनके कितने ड्युज़ हैं, लोकल आँथोरिटीज़ की वीक पोज़िशन वे ड्युज़ पी० डी० आर. के अन्तर्गत वसूल कर लेते हैं तो कौनसा दुरुपयोग करते है ? जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा, दुरुपयोग की धारणा लेकर चले तो फाइनेन्स के मैटर में तो जितने पॉवर्स जिला परिषद्, पचायत समिति, म्युनिसिपैलिटीज़ को हैं उनको भी फिर पॉवर्स देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वहां भी दुरुपयोग हो सकता है। जो कोई व्यक्ति या आदमी उसके ज्युरिस्डिक्शन में रहने वाला है तो लोकल आँथोरिटीज़ की फाइनेन्शियल पोज़िशन को स्ट्रोंग बनाने के लिए पी० डी० आर० के अन्तर्गत वसूली पॉवर्स दे देते हैं तो उनकी पोज़िशन को तो स्टेन्थन ही करते हैं। यदि उनको ये अधिकार न दिये जावेंगे तो उनकी पोज़िशन वीक हो जावेगी,। आखिर उनकी आउटस्टेंडिंग ड्युज़ हैं। यह कहना कि वे रेस्पोन्सिबल नहीं हैं, अच्छी तरह से नहीं कर सकती, यह यहां प्रश्न नहीं है। जो हमारा स्ट्रक्चर लोकल आँथोरिटीज़ पर रेस्ट करता है उनके उस स्ट्रक्चर को और लोकल बोडीज़ को डिस्ट्रस्ट नहीं कर सकते। नहीं तो वही चीज़ होगी जैसा अंग्रेज कहते थे, और माननीय सदस्य इसको सपोर्ट करेंगे, इन्डिया सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कॉम्पिटेन्ट नहीं है। उनमें भरोसा नहीं रखें और यह कहें कि ड्युज की रिकवरी करने के लिए कॉम्पिटेन्ट नहीं है। प्रति जो अविश्वास की भावना है वह माननीय सदस्य को निकाल देनी चाहिये और इस संशोधन को माननीय मंत्री महोदय को स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : चेयरमैन महोदय, जो म्युनिसिपल एक्ट सदन से पारित हुआ मैं समझता हूं उसमें इस बात का प्रोविजन है कि कोई भी म्युनिसिपैलिटी अपने ड्यूज़ के लिये वारन्ट जारी कर सकती है, उसको किसी कोर्ट में जाने को आवश्यकता नहीं है। ऐसी सूरत में यहां यह आवश्यक नहीं होगा कि यहां इस बात का प्रोविज़न करें। लेकिन बात यह है कि टैक्सेज़ के बारे में कोई प्रोविज़न नहीं है। टैक्सेज़ को किसी ने इवेड किया है तो म्युनिसिपैलिटी टैक्सेज़ को वसूल नहीं कर सकती। म्युनिसिपैलिटी को दावा करना पड़ता है कि इस लाइट में इस अमेन्डमेंट को स्वीकार कर लिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ में जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

Page No.110

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ ३ व ४

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ तीन और चार विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ ३ व ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ १,

(विराम)

डॉ० बहादुरसिंह ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): मैं अपने संशोधन को प्रेस नहीं करना चाहता।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ एक, प्रिएम्बल टाइटल आदि विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पब्लिक डिमान्ड्स से रिकवरी बिल, १६५६ पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १६६०

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १६६० को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : Dr. Bahadur Singh, you don't want to move your motion ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : Not pressing.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : सभापति महोदय, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड विधेयक पर जो संशोधन चाहा गया है वह बहुत छोटा है। इसके मूल अधिनियम को देखने पर ऐसा लगा कि इसमें कुछ अधिक संशोधन की आवश्यकता है....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): That is not within the perview of this Bill and hence this cannot be discussed here.

मूल को अमेंड करना चाहते हैं ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (जारी): विशेष रूप से मेरा यह निवेदन है कि यह मूल विधेयक (अधिनियम) जो १६५५ में बनाया गया उसके बाद में कुछ संशोधन लाया गया था । उसमें कुछ प्रकार के प्रावधान थे, तत्कालीन उद्योग मंत्री उसके अध्यक्ष हैं ; उसमें से दस गैर सरकारी और चार सरकारी सदस्य लिये गये थे । मैं समझता हूं अब राजस्थान का कुछ क्षेत्र और बढ़ गया है, उद्योग मंत्री भी बदल गये हैं । इससे मूल विधेयक में कुछ अन्तर आ जाता है, क्षेत्र में वृद्धि हो जाने से । दस जो गैर सरकारी सदस्य रखे हैं उसके बाद में खादी संस्थानों की संख्या भी काफी बढ़ गई है । उस वक्त जितनी खादी संस्थायें थी उनसे दुगुनी—तिगुनी हो गई हैं और जो इसके अन्दर सदस्य हैं वे १६५५ में सदस्य रहे हैं । मैं यह नहीं कह सकता कि माननीय मंत्री महोदय इस स्थिति में हैं कि नहीं कि इसमें इस प्रकार का हेर फेर कर सकें, फिर भी औचित्य यह चाहता है कि नये नये खादी संस्थान बने हैं....

श्री सभापति : आपका प्रस्ताव इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये है ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अब स्थितियां बदल गई हैं उनके अनुसार मूल विधेयक में परिवर्तन की आवश्यकता है....

श्री सभापति : इस हालत में नये प्रोविजन्स इन्कोर्पोरेट नहीं कर सकते ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं तो इसके औचित्य पर विचार कर रहा हूँ । जो संस्थाओं के सदस्य उस समय लिये गये थे ११गैर सरकारी सदस्य थे । उस समय संस्थाओं की संख्या कम थी, अब संस्थायें उस समय से दुगुनी—तिगुनी हो गई हैं । उद्योग मंत्रीजी अध्यक्ष थे । आज इसका कॉन्स्टीट्यूशन इस तरह का बना हुआ है कि इसमें कुछ विशेष परिवर्तन की आवश्यकता है । इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है । माननीय मंत्रीजी के इस पर कहने के बाद आवश्यक समझूंगा तो मैं अपने प्रस्ताव को वापिस ले लूंगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : सभापति महोदय, यह बिल सदन में इस मन्शा से लाया गया है कि जो खादी विलेज इन्डस्ट्रीज़ एक्ट है, जो सारे राजस्थान में लागू है, आबू और सुनेल एरिया जो राजस्थान में शामिल हुआ है उसमें भी यह लागू हो ।इसलिये यह विधेयक लाया गया है । क्षेत्र को एक्सटेन्शन के लिये इसमें कहा गया है । यह तो सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाना उसके स्कोप से बाहर होगा । इसलिये इस बिल को जैसा कि यह है वैसा ही पास कर देना चाहिये ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी(डीग): सभापति महोदय, मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेने की सदन से इजाजत चाहता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह हैकि राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री सभापति : Clause 1. There are no amendments on this clause. Then Hon'ble the Minister may move motion for its passing.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिल को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन)१६६० को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

(विराम)

अब सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ४.३८ बजे दिनांक १४ सितम्बर १६६० को म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त–विवरण

(मंगलवार, १३ सितम्बर, १९६०)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

डाबला कोट का नपुर की सड़क की मरम्मत सम्बन्धी कार्यवाही ।

बीकानेर से लूणकरणसर, नापासर तथा पूगल तक सड़क का निर्माण ।

सारनेश्वरजी देवस्थान बोर्ड तथा सिरोही देवस्थान बोर्ड

करकेड़ी (किशनगढ़) सड़क निर्माण

राजस्थान जन–सेवा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्षों की राज्य सेवा में पुनर्नियुक्तियां ।

श्री चांदमल जैन, स्टेनो की रेवेन्यू ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, टोंक के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्ति ।

उच्च शिक्षाध्यक्ष कार्यालय, बीकानेर ।

राजस्थान में प्रथम श्रेणी के नगर ।

स्कम्भ

३७३४ श्री नारायणलाल पटवारी (प्रतापगढ़) के विरुद्ध घूंस के आरोप ।

प्राइमरी तथा मिडल स्कूल्स की भवन–निर्माण योजना ।

बांसवाड़ा जिले के हाई स्कूल प्रधानाध्यापकों का शिष्ट–मंडल ।

पूर्वी बंगाल के विस्थापित ।

सरदारशहर में अतिवृष्टि से हुई हानि ।

सर्किट हाउस, जोधपुर ।

ग्राम फूलांबाई खेड़ा (सिरोही) की पड़त भूमि ।

तहसील तारानगर (चुरू) के काश्तकारों से बकाया तावान की वसूली ।

गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, किशनगढ़ (अजमेर) की बस व्यवस्था ।

मृतक अध्यापकों के विचाराधीन ग्रेच्युइटी केसेज़, जिला भीलवाड़ा ।

स्कम्भ

ग्राम वाणियांला तथा भांडग, तहसील तारानगर (चूरू) के निवासियों के नाम झूठी तकाबी का अंकन।

राष्ट्रीय कृत पुस्तकों की प्राप्ति में विलम्ब।

बैटरमेन्ट लेवी में किसानों को राहत।

सरकारी स्तर पर निर्मित तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप एवं पंचायतों का सहयोग।

राजस्थान स्टेट लैंड कमीशन के सुझावों की क्रियान्विति।

भरतपुर जिले में हरिजनों के विकास हेतु कल्याणकारी योजनाएं।

उदयपुर जिले में निर्मित कृषि सहकारी समितियां।

भाखरा क्षेत्र में बैटरमैन्ट टैक्स की शहर में कमी की अपेक्षा।

पलाना खान से उपभोक्ताओं को कोयले की अनुपलब्धि।

भरतपुर जिले में हुई आगजनी से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता।

स्कम्भ

अजमेर जिले में नम्बरदारों के बकाया अलाउन्स का भुगतान कराना।

रानीवाड़ा से बड़गांवकी सड़क का ठेका।

विधायी कार्य

(क) पुरःस्थापित किये गए विधेयक:—

निम्नांकित विधेयक, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, पुरःस्थापित किये गए:—

(१) राजस्थान लैंड रिफॉर्मस् एण्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स (तेरहवां संशोधन) विधेयक, १६६० ३८०८

(२) जयपुर नगरपालिका प्रशासन (अस्थायी प्रावधान) विधेयक, १६६० ३८०८

(ख) विचारार्थ लिए गए विधेयक:

(१) राजस्थान कृषि उपज विपणि विधेयक, १६६० ३८१२

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि उक्त विधेयक को विचारार्थ लिया

Page No.115

जाय, डॉ० चन्द्रकला ने यह संशोधन प्रस्ताव रखा कि विधेयक एक वर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे। इस पर किए गए वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) डॉ० बहादुरसिंह
(२) श्री दयाकृष्ण विजय
(३) श्री रामप्रसाद लड्ढा
(४) श्री पी. के. चौधरी
(५) श्री रामकरणसिंह
(६) श्री संपतराज जैन
(७) श्री भैरवलाल 'काला-बादल'
(८) श्री अनूपसिंह
(९) श्री श्रीमानसिंह
(१०) श्री मुरलीधर व्यास
(११) श्री मोहरसिंह
(१२) श्री शंकरलाल
(१३) रावल श्री नरेन्द्रसिंह
(१४) श्री लादूराम सुलाणिया
(१५) श्री चन्दनमल वैद
(१६) श्री हरिप्रसाद यादव
(१७) श्री भैरोंसिंह (१४)

स्वास्थ्य मंत्री के उत्तर के पश्चात् डॉ० चन्द्रकला का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया। समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:—

(१) श्री नाथूराम मिर्धा, प्रभारी मंत्री
(२) श्री पी. के. चौधरी
(३) श्री गणपतिलाल वर्मा
(४) श्री किशनसिंह
(५) श्रीमती गौरी पूनिया
(६) श्री श्रीमानसिंह
(७) श्री संपतराज जैन
(८) श्री सज्जनसिंह
(९) श्री श्रीनिवास शारदा
(१०) श्री शिवनाथसिंह
(११) श्री हरिशंकर सिद्धांत-शास्त्री
(१२) श्री देवीलाल
(१३) श्री रामप्रसाद लड्ढा

(१४) श्री चुन्नीलाल

(१५) श्री हरिकिशन

(१६) श्री बृजमोहनलाल शर्मा

(१७) श्री मुरलीधर व्यास

(१८) श्री बालमुकुन्द

(१९) श्री प्रभुलाल पुरोहित

(२०) श्री जगदीशप्रसाद माथुर

(२१) श्री रामकरणसिंह

(२२) श्री लक्ष्मीचन्द

(२३) श्री दलपतसिंह

(२४) श्री लादूराम सुलाणियां

(२५) श्री लल्लूराम

(२) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एण्ड पब्लिक डिमांड्स रिकवरी (संशोधन) विधेयक, १९५९

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वास्थ्य मन्त्री ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि उक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय जो सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड—२

संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड: ३, ४, १ आदि:

बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गए।

विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(३) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६०

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वास्थ्य मन्त्री का यह प्रस्ताव कि उक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

Page No.117

स्कम्भ

सदन की बैठक ४ बज कर ३८ मिनट पर बुधवार दिनांक १४ सितम्बर, १६६०, को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

स्कम्भ

बुधवार, दिनांक १४ सितम्बर, १६६०
की कार्य-सूची

राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन तथा उस पर दिये गये मेमोरेण्डम पर विचार।

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५२३ का उत्तर देखिये)

PART H

SUGGESTION

(a) Teaching:—

1. Dictation, spelling drills, tenses and their sequences' the forms of verbs, number and cases-such elementary grammer should form the important part of the syallabus in teaching of languages.

2. Teachers taking language classes in Middle Sections must be graduates or Intermediate trained.

3. In order to fill up the void created by lack of B. Sc. and M. Sc. hands and lack of Science equipment it will be to the advantage of the institutions of the Distt. if periodical coaching and practical work camps are held at places having optional Science or the hands are made available to rural institutions for a short period.

4. Teachers of Lower qualifications themselves do not understand the subject matter, having meagre grasp over the subject. The result is the teaching of wrong subject matter. In order to remove this drawback it will be advantageus to hold teaching camps on Distt. basis where the qualified Higher Secondary / High School Headmasters, Lecturers, Senior teachers can explain the difficult topics in the syallabus before they are taught to the students.

5. Knowledge of sanskrit, improve Hindi as such greater emphasis be laid on its teaching.

6. Knowledge of Alphabets in English should be imparted in class V.

7. In Mathematics from class V to VII, knowledge of four fundamental requires greater attention. However High sounding the syallabus, without command over these fundamental standard in Maths. will never improve. Half of the time devoted to the teaching of Maths. should be given to the practical in these fundamentals, training of multiplication tables is also necessary and cannot be neglected in a craze for lessoning the pressure on children.

8. Let us have common policy not to accept allications, statements, reports etc. written in incorrect languages from the members of the staff.

9. Rationalization of the Staff:

Sober and serious consideration is required to this problem. There are schools having a deficit of 5 teachers while certain having surplus of 5 hands-great P. C. of the staff is under qualified. Senior and experienced teachers generally tend to centralize in towns and better places. We, therefore, suggest that District wide rationalization be planned and effected on the basis of the lines drawn out below:—

1. In the first place High/Higher Secondary Schools should be taken up. The Middle Schools should follow them.
2. Every teacher should be given an option to choose 3 places. where they will like to be posted.
3. The transfer made under the schemes should be lasting for at least 3 years.
4. Instead of transfer on promotions, the promotions should be given in the very institutions the teachers are working.
5. Every High/Higher Secondary schools must get one B. Sc. with Maths. or Inter Science (If B. Sc. not available) hand per 100 boys.
6. Every other subject must have at least one Graduate or Post Graduate hand.
7. Every school must get A. C. C. and games hand.
8. Craft teacher also should be spread over to various institutions.
9. Persons talented with socio-cultural activities should be spread over and given to every institutions.
10. A Drawing hand with the subject of Drawing in High Schools or Intermediate should be provided to every institutions.
11. There should not be more than two local hands in an institutions.

12. Eevey institution must have one surplus hand per 150 boys. This will help in making absent arrangements, in balancing the work on transfers, taking extra classes in subjects wherein students are weak and in the additional work of the office.

13. Graduates and Senior Inter Trained teachers must be utilised first for managing High/Higher Secondary School.

B. Examination:-(1) Simple checking of the results, assessment of examination copies, monthly tests etc. in middle schools should be introduced. For this purpose the services of the High/Higher Secondary School, Headmaster, Senior teachers and trained Graduates can be utilised. This should be done before the announcement of final promotions.

or

Distt. Middle Schools Examination should be organised. We all fee that some check on the Middle Schools' results is absolutely necessary.

2. To appear and to pass at the annual examination must be compulsory.

Availability of Qualified hand:—The Distt. is short of Graduate and Matriculate hands. General permission, as a special can be granted to appear at these public examinations for at least two consecutive years.

2. Who-so-ever wants to go for training at his expenses must be allowed for the same.

Discipline:—

1. Students failing twice should not be admitted.
2. Students whose records is of fines and punsihment also should not get admission as far as possible.
3. For serious offences of indiscipline in disturbed insitutions, where it is not possible to take decisions due to fear of under towards incidents, to help the Headmaster a Distt. level Discipline Committee may be iormed composed of the Dy. Inspector of Schools, the Principal and two Headmasters.
4. Transfer of notorious students should be made possible. It should be a convention to inform the Collegue Headmaster of the Nature

and conduct of such bous, as may be found undesirable, leaving the institution, in a confidential personal letter.

5. Undesirable elements amongst the Staff Members should not be allowed to assemble in one institution only. No institutions should be considered to be a place of punishment.

6. Thrse should not be more than two local teachers in a school.

7. Guardianless students (Keeping nominal guardians) form a pilot of indicipline and bad character circle. Boarding house under the strict supervision of the institutions are absolutely necessary.

Improvement in co-curricular activitiss :—

1. Basic Training Schools, Colleges and Town's High Schools generally have a better talents and experts in other activities. In these artists, music and games teachers, dances and dramaists are made available to other institutions for periodical coaching the standard can be improved and raised.

2. Distt. level Sports and Games Associations be formed that may organise Training Camps and provide games hands and teachers.

3. Students teans may be semt to see selected programmes in various institutions.

Office :—

1. Graduate or Intermediate U. D. C.s should be made available.

2. Receipt system should be introduced to avoid duplications of work so that no clerk can say that he has not received a particular statement of work. Receipts of letters should be issued to institutions and no duplicate or triplicate copies (illegible) on demand.

3. All the requirements for stationary and printing articles should be procurred in the begining of the session.

4. One accounts 'and Purchases' experts should be sent for the institutions to get the work regularised at the end of the every session.

5. Purchase work should be decentralised and should be loft to local officers only.

6. Purchase of Science articles on the basis of the open tender system from Distt. firms and local dealeres should be allowed.

7. Chalk sticks should be allowed to be purchased from open market Whether the High/Higher Secondary School standard can be improved :—

Our opinion is affirmative. It is not the syllabus that raises the standard but the persons in charge. Once full and fully qualified staff is provided transfer are made less frequent, equipment is complete and building problems go, middle school results are checked and admission controlled, office work load minimished, housing accommodation is provided,.

We see no reasons why the standard cannot be raised.

Future Tour :- In Future :-

1. Unnecessary time consuming meetings and programmes should be shorn off.
2. More time should be allotted to the students and the teachers.
3. The tour should be broken up in two stages on zonal basis.
4. One institution should be given three days-one for students, one for teachers and one for office and other activities.
5. The teachers also must be given an opportunity to put up their problems and doubts through paper-reading.
6. Certain Middle Schools also should be included in the programme.
7. Senior teachers teams also should visit selected institution.
8. Implementation of certain aspects should be Distt. wise.

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५२७ आर.एम. का उत्तर देखिये)

CIRCUIT HOUSE, JODHPUR

S. N.	Description of articles	Difference of Excess	Col. 4 & 5 Shortage
1	2	3	4
1.	Covers Bhagolas Alluminium.	1.	
2.	Jolly Mouls Assorted.	4.	
3.	Bewls Assorted.	1.	
4.	Milk Can Alluminium.		1.
5.	Hamandasta Iron & Brass.	2.	
6.	Chaklota Wooden.	11.	
7.	Jharan Assorted.	4.	
8.	Apron.		4.
9.	Cheese Knives.	2.	
10.	Joint Forks.		16.
11.	Desert Forks.		4.
12.	Bread Knife.		1.
13.	Desert Knife.		4.
14.	Soup Spoons.		6.
15.	Pudding Spoons.		4.
16.	Service Forks.		2.
17.	Spoon Tea.		19.
18.	Salt & Pepper-pots.		1.
19.	Salvers Round.		1.
20.	Plate Covers. E. P.		2.

Page No.124

1	2	3	4
21.	Entree Dish E. P.		3.
22.	Tea Posts M. G. & M. P.		4.
23.	Sugar Basin Silver.		3.
24.	Milk Jugs E. P.		8.
25.	Coffee Pots E. P.		1.
26.	Hot Water Jugs E. P.		2.
27.	Tea Strainers E. P.		1.
28.	Toast ring E. P.		3.
29.	Sauce Boat E. P.		1.
30.	Meat Plate China Assorted.		25.
31.	Desert Plate.		6.
32.	Pudding Plates.		12.
33.	Quarter Plates.	9.	
34.	Cake Plates.		1.
35.	B. F. Cups & Saucers.		10.
36.	Tea Cups & Saucers.	27.	
37.	Egg Cups China Assorted.		6.
38.	Glass Tumblers Assorted.		35.
39.	Gimlet Glass.	28.	
40.	Cock tail Glass.	16.	
41.	Ginger Bowl Glass.		3.
42.	Wooden Tray.		8.
43.	Sauce Pan Alluminium.		1.
44.	Flat Dish Assorted.		6.
45.	Butter Pot Glass.		20.

Page No.125

1	2	3	4
46.	Vegetable Dish China Assorted.		6.
47.	Ochas Khadi.		31.
48.	Quarter Plate Assorted.		20.
49.	Dusters.	21.	
50.	Bowls China.		8.
51.	Cream Machine.	1.	
52.	Cake Mould Tin.		1.
53.	Queen Cake Tin.		2.
54.	Stam Pot.		1.
55.	Roasting Fork.		1.
56.	Potato Chepper.		1.
57.	Tin Openers.		2.
58.	Table Sheets English.	4.	
59.	Tray Cloth English.		3.
60.	Napkins English.	17.	
61.	Teacosy.	1.	
62.	Chaddar Khasi.		2.
63.	Glass Barnis & Juice Pail.	1.	
64.	Glass Tublers Full.	8,	
65.	Glass Tumblers Half.		4.
66.	Liquor Glass.	4.	
67.	Plate Doyles Assorted.	250.	
68.	Coat Hangers.	26.	
69.	Milk Jugs Flowd.	1.	
70.	Cream Jugs Flows.		3.

1	2	3	4
71.	Kotardan Brass.		1.
72.	Dusaka & Chosaka Brass.		1.
73.	Chamcha Muradabadi.	1.	
74.	Tea Cups & Saucers Ordy.	205.	
75.	Coffee Cups & Saucers.	5.	
76.	Hot water Jug China.		
77.	Tea Pot China Assorted.	3.	
78.	Milk Jug China Assorted.		4.
79.	Sugar Basin China Assorted.	2.	
80.	Sauce Boat China.		
81.	Bruility Knife.	2.	
82.	B. F. Cups & Saucers.		6.
83.	Jali Kabab Not.	1.	
84.	Nut Crackers (Sarota.)		1.
85.	Horse-de-vere Forks Glass.		8.
86.	Sila-Loda.	1.	
87.	Mug Tamchini.		2.
88.	Bhagola Covers Assorted.		9.
89.	Bikarias Brass.	1.	
90.	Charis Brass & Iron.		6.
91.	Kharals of Marble.		2.
92.	Rankin Dish.		1.
93.	Dol Copper & Brass.	1.	
94.	Degras Copper & Brass.		4.
95.	Deri Brass.	3.	

1	2	3	4
96.	Jharas Brass & Copper.	2.	
97.	Jar Iron & Brass.		2.
98.	Kalas Brase & Copper.	2.	
99.	Kundas Iron.	2.	
100.	Lotis Brass.	1.	
101.	Nut Crackers.		2.
102.	Patasi Iron.		1.
103.	Thal Brass.	24.	
104.	Soup Cups & Saucers.	1.	
105.	Ice Cream Server.		1.
106.	Coffee Cups Assorted.		16.
107.	Tray China.	1.	
108.	Saucers Tea & Coffee Assorted.	9.	
109.	Cheese Plate Bakalite.	3.	
110.	Egg Cutter.		6.
111.	Covers Assorted China.	6.	
112.	Tumblers Bakalite.		1.
113.	Tray Bakalite.		7.
114.	Plates Enamled.	5.	
115.	Waist Band Cloth Yellow.	5.	
116.	Toast Rack Clay.		2.

Total Cost of shortages
Rs. 571.12 n. p.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५३० का उत्तर देखिये)

सूची ग्राम वाइज तावान पड़त भूमि पर सम्वत् २०१३ से, १६ तक मंजूर हुआ। तहसील, तारानगर जिला, चुरू (राजस्थान)

क्रमांक	नाम गांव	रकम तावान
१	साहवा व चक्र साहवा	१०६३३-६४
२	रैया टुण्डा	६०३०-७५
३	पीरवास	१६५६-५२
४	बीड़ तारानगर	२७३-००
५	कसवा तारानगर	४१६२-२८
६	खरथवास	२२३-६४
७	सोमणीसर	२५२१-३०
८	कोहिना	६५०-४०
९	राजपुरा	२६५-६८
१०	मोरथल	१७६-८४
११	हड़ियाल	३८८-३८
१२	बूचावास	७२-५०
१३	जगसाना ताल	४०-०८
१४	तोगावास	८०६-८१
१५	बीगरान	१२६-२५
१६	गोगड़िया कछावतान	२-८८

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३५६ का उत्तर देखिए)

भरतपुर जिले की तहसीलवार जनसंख्या और इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों की संख्या

क्रमांक	तहसील का नाम	कुल जन संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
१.	भरतपुर	१४००२५	१४४०८	२३७१
२.	नदवई	५४६११	१०२५१	१४८३
३.	बयाना	७२५१५	१४२५६	१७६१
४.	रूपवास	६११८७	११३२८	६६६
५.	वीयर	७४००४	१३६६८	६२३८
६.	डीग	६२८८३	११८५८	२१५
७.	नागर	५४७६०	१०३४८	८७७
८.	कामा	८४१३६	७२८३	४५५
९.	बारी	१०९५०९	१६१३५	५०४७
१०.	बसेरी	६३२६२	१०१५४	३९४०
११.	गीर्ड (धौलपुर)	८२५७६	११०९७	५६७८
१२.	राजाखेरा	४५४६०	५५१७	१५६
	योग	९०६०६४	२८९२६	१३६३३३

समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजनों के लिये जिला भरतपुर में जो कार्य किये गये उनकी सूची 'त्र'

क्रमांक	वर्ष	पीने के पानी के कुओं हेतु सहायता	अग्नि पीड़ितों को सहायता	हरिजन मोहल्लों में जल व रोशनी की व्यवस्था हेतु सहायता	छात्रवृत्ति जो वितरित की गई
१	१९५७–५८	१२,०००	५,५६६	१०,०३७	२२,३४८
२	१९५८–५९	१६,०००	३,४१६	—	५१,०६८
३	१९५९–६०	१०,०००	४,५८१	२,०००	४६,६४१

निम्नलिखित ग्रामों के हरिजनों को मकान सहायता दी गई

क्रमांक	ग्राम का नाम	वर्ष	जिला	जाति	परिवारों की संख्या	दर	कुल रकम
१	जैया	१९५९–६०	भरतपुर	चमार	१५	७५०	११,२५०
२	सोनपुरा	,,	,,	,,	२१	,,	१५,५००
३	भुसावर	,,	,,	मेहतर	१५	,,	११,२५०
४	वेयर	,,	,,	,,	३६	,,	२६,२५०
५	भरतपुर	,,	,,	,,	१४	,,	१०,५००
६	नदवई	,,	,,	,,	२२	,,	१६,५००
७	रविदासपुरा	,,	,,	,,	२२	,,	१२,५००

———

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५४० का उत्तर देखिए)

माह जनवरी सन् ५६ से अब तक कुल १०४ व्यक्तियों को भूमि अस्थाई रूप से एक वर्ष के लिए दी गई है उनकी सूची निम्न प्रकार हैं:-

१-श्री नवला पिता दोला डागी
सा० घासा

२-श्री कालू पिता भेरा गमेती
सा० मागथला

३-श्री रता पिता देवा गमेती
सा० मागथला

४-श्री वाला पिता कन्ना डागी
सा० विजनवास

५-श्री खुमाण पिता पीता गमेती
सा० विजनवास

६-श्री गमाना पिता चतरा कारबेलिया
सा० सालेरा

७-श्री कुका पिता काशीनाथ कारबेलिया
सा० सालेरा

८-श्री नवलराम पिता मियाचन्द इनाणी
सा० सालेरा

६-श्री सवा पिता लाला डागी
सा० सालेरा

१०-श्री मुणा पिता मयाराम कुमार
सा० सालेरा

११-श्री बगतराम पिता पनादास बैरागी
सा० सालेरा

Page No.133

१२–कालू पिता हेमा नगारची
सा० सुवावतो कागुडा

१३–घासीदास पिता चैनदास
सा० डबौक

१४–श्री मोहनदास पिता गिरधारीदास नगार ची
सा० डबौक

१५–श्री केवलदास पिता शंकरदास नगारची
सा०....

१६–श्री पनादास पिता शंकरदास रंगास्वागी
सा०....

१७–श्री जीतुदास पिता धनादास रंगास्वामी

१८–श्री गोतमदास पिता देवीदास रंगास्वामी

१९–श्री गोतमदास पिता सुरतराम रंगास्वामी

२०–श्री नाथूदास पिता अन्वादास रंगास्वामी

२१–श्री अम्बादास पिता तुलीरामदास

२२–श्री गोपीदास पिता सुरराम

२३–श्री गोविन्ददास पिता मोडीदास रंगास्वामी

२४–श्री गोतमदास पिता तोलीरामदास

२५–ममूतदास पिता पाचदास रंगास्वामी

२६–गोविन्ददास पिता मांगदास रंगास्वामी

२७–नरसीवदास पिता मेंसादास

२८–विजयराम पिता जवानदास

२९–जुजाराम पिता केवानदास रंगास्वामी

३०–मोहनदास पिता सुरतदास रंगास्वामी

३१–बेनदास पिता भैरूंदास रंगास्वामी

३२–जोधाराम पिता केवलदास रंगास्वामी

३३–रोडीदास पिता खुशालदास रंगास्वामी

३४–मीसरीदास पिता रोडीदास रंगास्वामी

३५–मू० हगामी बैवा मांगीलाल

३६–प्रताप पिता घासी नगारची

३७–भंवरलाल पिता देवा गुजर

३८–जालू पिता चमना गुजर

३९–ठीला पिता देवा भील

४०–रूगराम पिता हरिराम रैबारी

४१–कालू पिता कन्ना भील

४२–नाराण पिता कसना नगारची

४३–चुन्नीलाल पिता प्रताप धोबी

४४–मेगराज पिता कालू सेवग

४५–फकीरचन्द पिता रामूजी धोबी

४६–माणकचन्द पिता गिरधारी रैबारी

४७–बरधा पिता मोतीकुमार

४८–रामचन्द्र पिता गिरधारी खाती

४९–जगन्नाथ पिता गिरधर खाती

५०–मोहनलाल पिता पन्नालाल खाती

५१–टेका पिता उदा भील

५२–सोहनलाल पिता बरदीचन्द महाजन

५३–नान पिता नवला भील

५४–चुनिया पिता पुरानाथ काबेलिया

५५–कजोड़ पिता हीरा नगारची

५६–लालू पिता पुरानाथ कारबेलिया

५७–रामा पिता कालु भील सा० गोर्धनपुरा

५८–नाथू पिता पुरा नाथ कारबेलिया

५९–गोदा पिता लाल भील सा० बड़गांव

६०—खुमा पिता उदा भील सा० बड़गांव

६१—कालू पिता हनसा कारबेलिया

६२—गीता पिता परथा भील सा० बीडगास

६३—जमनादास पिता नवलदास बैरागी

६४—देवा पिता परथा भील

६५—हीरा पिता जैता भील

६६—कालू पिता किशना मेगवाल

६७—लोगरिया पिता कशना मेगवाल

६८—कन्ना पिता तेजा डागी, सा० होली

६९—माना पिता खुमा भाट

७०—फजलअहमद पिता हसन, सा० मावली

७१—हुमनबक्स पिता अलाबक्स

७२—अजलानुर पिता अलीमोहम्मद, सा० मावली

७३—करीमबक्स पिता नाथू, सा० स्टेशन मावली

७४—करीमबक्स पिता अहमदबक्स

७५—रमुदीन पिता अदुलाखांजी

७६—जमालूदीन पिता अलाबक्स

७७—रहीमबक्स पिता अलाबक्स

७८—चान्दखां पिता नुरबक्सजी

७९—भजा पिता देवा बलाई, निवासी होली

८०—मेगा पिता हीरा डागी, साकिन होली

८१—डालूजी

८२—हुकमाजी

८३—तेजा पिता ऊंकार

८४—श्री कालू पिता तेजा

८५–ऊंदा, कालू, वरदा पिता मोती

८६–तेजा पिता ऊंकार

८७–केला पिता नवला

८८–कन्ना पिता लालू

८९–धन्ना पिता पेमा

९०–वरदा पिता नन्दा

९१–थुला पिता नन्दा

९२–चोखा पिता दला

९३–कुका पिता छगु

९४–भगा पिता लालू

९५–लालू पिता दला

९६–मोहनलाल, सा० फतहनगर

९७–कन्ना पिता दुला डागी

९८–ऊदा पिता दुला

९९–कृषि सहकारी समिति, बिरधोलिया

१००–श्री नाथ पिता भीमनाथ, पिपरोली

१०१–दुला पिता भजा बागरीया

१०२–नाथूनाथ पिता....

१०३–ऊदा पिता भजा बागरिया

१०४–ननेखां पिता हमीरखां मुसलमान, निवासी डबोक।

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२० का उत्तर देखिये)

सूची नम्बरदारान किशनगढ़ तहसील जिनको ५८-५९ सम्वत् २०१५ देना बाकी है

० १	ग्राम २	नाम ३	रकम ४	कारण ५
१.	मेवाड़ा	गंगाराम जाट	२४०)	मिसल एपोइन्टमेंट की शिकायत, एस. डी. ओ. साहब किशनगढ़ के विचाराधीन है ।
२.	मूडालाव	बीजा जाट	२१७.८७	
३.	काढा	मोडू जाट	१८४.३७	
४.	बरना	हरण भूरा, भैरू, कल्याण, सोजी	५२८.८१	
५.	रूघनाथपुरा	श्री छोटू रावत	२४.६२	
	खेडा	श्री मांगू व नाराण	६०.६६	
७.	टिकावड़ा	श्री नारायण जाट	२२६.५३	
८.	गोदियाना	श्री बीजा जाट	१२२.२५	
९.	उदयपुर खुर्द	श्री भूरा दरोगा	१२६.१२	
१०.	उदयपुर कलां	राधाकिशन	१३६.५३	
११.	सीलोरा	गणपतलाल	३४.२५	
१२.	रारी	लादू जाट	१०४.५३	
१३.	सरगांव	बालू सभा व गमीरा	३६७.६५	
१४.	बीती	हरनाथ	४४४.५०	
१५.	सूरतपुरा	गोकल व धीसा	६२.३७	
१६.	डीडवाड़ा	गोकल धीसा	५७२.००	

१	२	३	४
१७.	तीहाणी	शरवन	३१७.४४
१८.	खंडाच	बालू	३१०.००
१९.	गनेशपुरा	सवाई	२.५६
२०.	खेड़ा कर्म	रामा	१३९.२५
२१.	मेड़ी भाटा	नानू गुजर	३३.३७
२२.	रामपुरा	सवाई	१८८.००
२३.	नलू	भूरा जाट	२६७.००
२४.	मड़ौती	घीसालाल	२३४.५०
२५.	बडगांव	श्री नन्दा	१९४.३१
२६.	धूनी	सवाई	१३१.७५
२७.	चूंदड़ी	मंगला	१४५.९७
२८.	तोला भाटा	पेमा	९७.७९

Page No.139

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, १३ सितम्बर, १९६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३७४०	७	र व मंत्री (श्री दामोदरलाल ब्य):	राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :
३७५०	१५	wnder the rules	under the rules
३७५२	६	श्री दामदरलाल	श्री दामोदरलाल
३७५३	शीर्षक	प्रश्नत्तर	प्रश्नोत्तर
,,	१६	श्री दामोदरलल	श्री दामोदरलाल
३७५५	८	a bcdy	a body
,,	अन्तिम से ३	know i	know it.
३७६१	५	siavailable	is available
३७६३	अन्तिम से ४	ाजस्थान	राजस्थान
,,	अन्तिम	कृपा क	कृपा करेंगे
३७६४	५	थम श्रेणी	प्रथम श्रेणी
,,	२५	श्री मोदरलाल	श्री दामोदरलाल
,,	अन्तिम से ३	अग्रवल	अग्रवाल
३७६६	२२	गया ।	गया है ।
३७७१	?	अलट	अलॉट
३७७४	२	questiin	question
३७८४	शीर्षक	—	(श्री मोहरसिंह)
३७९३	१०–११	(बयान-सु.)	(बयाना-सु.)
३७९५	शीर्षक	ारांकित	तारांकित
३८०५	४	पूर्व on a	पूर्व) : on a
३८०६	१८	श्री सम्पतराम :	श्री सम्पतराम (स्वायत्त शासन मंत्री) :
३८०६	अन्तिम से ३	एक प्रोक्टिम	एक प्रेक्टिस
३८१०-३८१४	शीर्षक	३७१०–३७१४	३८१०–३८१४
३८१४	शीर्षक	(डॉ० चन्दकला)	(डॉ० चन्द्रकला)
३८१४-३९४७	शीर्षक	राजस्थान कृषि उप	राजस्थान कृषि उपज
३८२०-२१	शीर्षक	तम्बर, ६०	सितम्बर, ६०
३८२२	७	करती हूँ	करता हूं
३८२३	अन्तिम से २	आर्गेनाइशजेन -	आर्गेनाइज़ेशन

(२)

१	२	३	४
३८२६	१३	प्रथा तकड़ा की	प्रथा तकड़ी की
३८२७	७	यह में	यह मैं
३८३६	१४	को विघेयक	को विधेयक
३८४१	३१	डॉइरेक्ट व स्टेटर	डाइरेक्टर व स्टेट
३८४२	अन्तिम से ३	frustreate	frustrate
३८४३	शीर्षक	१९६७	१९६०
,,	७	afir	after
३८४५	१७	स्टेन्डाइज्ड	स्टेन्डर्डाइज्ड
३८४७	शीर्षक	विषणि विघेयक	विपणि विधेयक
३८४८	शीर्ष	चौग्ररी	चौधरी
,,	१३	नोमिनीज़	नोमिनी
३८४९	अन्तिम पंक्ति	रप्रे जेन्टेशन	रिप्रेज़ेन्टेशन
३८५६	अन्तिम पंक्ति	किमतं	कीमतें
३८५७	६	की रहम	के रहम
३८६८	शीर्षक	८	३८६८
,,	अन्तिम पंक्ति	इंटरवेंन्शन	इंटर्वेन्शन
३८७३	७	ओर	और
३८७७	३	सोवोन्टी	सोवरेन्टी
३८९०	२२	ओर ८	और ८
३८९७	२०	की–ऑर्डिनेशन	को–ऑर्डिनेशन
३८९९	अन्तिम से २	उतना अच्छी है	उतना अच्छा है !
३९०२	६	कनंन्वेन्शन	कन्वेन्शन
३९११	११	काप करते हैं	काम करते हैं
३९१४–१५	शीर्षक	१३ तम्बर	१३ सितम्बर
३९१४	६	undert his	under this
३९२२	१६	ओर मार्केट	और मार्केट
३९२४	१८	विषयक	विधेयक
३९२७	शीर्षक	१९६७	१९६०
,,	७	कां लाभ	को लाभ
,,	२७	था क्रय-विक्रय	था उस क्रय-विक्रय
३९२८	१२	क्रय	क्रय
३९३७	२५	एकसपेन्सन	एक्सपेन्शन
३९४२	शीर्षक	राजस्थन	राजस्थान

१	२	३	४
३६४७	१५	१६५०	१६५६
३६४६	२०–२१	रेस्पिेक्टिव एक्ट्स के अन्तर्गत ने दी हैं।	रेस्पेक्टिव एक्ट्स के अन्तर्गत
,,	२४	की यसूली	की वसूली
,,	२८	कनेटी	कमेटी
,,	अन्तिम	राय यी	राय थी
३६५०	५–६	वैद : मेरी कॉन्स्टिट	वैद : मेरी कॉस्टीट्
३६५४	शीर्षक	प्रामोद्योग	ग्रामोद्योग
३६५६	३	noiamendments	no amendments
३६५७	प्रथम	(संशोधन) १६६०	(संशोधन) विधेयक, १६६०
३६७०	प्रथम	12. Eevey	12 Every
,,	१७	Can be	Case be
३६७१	६	6. thr. se	6. There
,,	१३	dramists are	dramatists are
३६७२	१२	minimished	minimised
३६८१	प्रथम	३५६ का	५३६ का
३६८६	सीरियल ५४		